## DIT UNIVERSITY FIRST STATUTES





## **DIT University**

Mussoorie Diversion Road Dehradun, Uttarakhand-248009

In pursuance of the Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. – dated- 2014 DIT University First Statutes, 2014 for general information.

## **DIT UNIVERSITY FIRST STATUTES, 2014**

In exercise of the powers conferred by section 27 read with section 28 of the DIT University Act, 2012 (Uttarakhand Act No. 10 of 2013), the Governor is pleased to approve the following First Statutes of the DIT University for regulation and matters connected therewith or incidental thereto

	CHAPTER - I PRELIMINARY			
Short Title and Commencement	1.01	(1)	These Statutes shall be called the DIT University First Statutes, 2014.	
[Section-28(1)]		(2)	After the First Statutes have come into force, new Statutes or additions or subsequent amendments or repealing of the existing Statutes can be made by the Board of Governors. These new/amended Statutes shall come into force on approval of the Board of Governors of the University and shall be submitted for the approval of the State Government of Uttarakhand as per Section 28(2) and 29 of the Act.	
Definitions [Section-27(o)]	1.02	(1)	In these Statutes unless there is anything repugnant to the subject or the context:-	
			a) 'Academic Staff' means such employee of the University who are appointed in the University, its Constituent Colleges, Departments, Faculties, Schools, Regional Centres and Study Centres, etc., for teaching, training, research and consultancy work;	
			b) 'Act' means The DIT University Act, 2012;	
			c) 'Administrative Staff' means such employee of the University who are appointed in the University, its Constituent Colleges, Departments, Faculties, Schools, Regional Centres and Study Centres, etc. for administrative work;	
			d) 'Board of Research' means the Board of Research of the University;	

- **e)** 'Chairman' and 'Co-chairman' respectively means the 'Chairman' and 'Co-chairman' of the Board of Governors of the University;
- f) 'Chancellor', 'Pro Chancellor', 'Vice Chancellor', 'Pro Vice Chancellor', 'Registrar', 'Controller of Examinations' and 'Finance Officer' respectively means the 'Chancellor', 'Pro Chancellor', 'Vice Chancellor', 'Pro Vice Chancellor', 'Registrar', 'Controller of Examinations' and 'Finance Officer' of the University;
- **g)** 'Clause' and 'Sub-clause' means a 'Clause' and 'Sub-clause' of the Statutes in which that expression occurs;
- h) 'Dean(s)' and 'Associate Dean(s)' means 'Dean(s)' and 'Associate Dean(s)' of Faculty/School of the University or 'Dean(s)' and 'Associate Dean(s)' of various functions of the University;
- i) 'Employee' means employee appointed on regular and full time basis by the University and includes all Academic Staff, Administrative Staff and other staff of the University and does not include part time staff or staff provided by the outsourced external service agencies;
- **j) 'Faculty'** means Faculty/School of the University comprising of one or more Departments engaged in teaching, training and research and consultancy in a subject or a group of subjects;
- **k) 'Head of the Department'** means Head of the concerned Department of the University;
- 1) 'Part-Time Staff' means such persons engaged by the University on visiting/guest/ad-hoc/contractual basis for a specified short term period for specific functions and duties and such persons shall not deemed to be the Employees of the University and shall also not include outsourced persons provided by the external service agencies to the University;
- **m)** 'School' means Faculty/School of the University comprising of one or more departments engaged in teaching, training and undertaking research and consultancy in a subject or a group of subjects;
- **n) 'Section' and 'Sub-section'** means a 'Section' and 'Sub-section' of the Act; and

		1	
			o) 'University' means the 'DIT UNIVERSITY', Uttarakhand including its Faculties, Schools, Departments, Constituent Colleges, Career Academic Centres, Regional Centres, Study Centres and campuses within the state or outside.
		(2)	Words denoting the singular shall include the plural and also viceversa.
		(3)	Words denoting any gender shall include all genders.
		(4)	Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in that Act.
	•	•	CHAPTER - II
			OFFICERS OF THE UNIVERSITY
The Chairman and Co- chairman,	2.01	(1)	The Chairman and Co-chairman of the Board of Governors shall be nominated by the Promoting Society from amongst its members, for a period as specified by the Promoting Society.
Board of Governors [Section-19, Section-21(1)(a)		(2)	In the absence of the Chairman, the Co-chairman shall exercise the powers and perform the duties and functions of the Chairman, Board of Governors.
& Section-27(o)]		(3)	The Promoting Society may from time to time decide the pay /honorarium, allowances and perquisites to be paid to the Chairman and Co-chairman by the University.
	2.02	The	Chairman shall have the following powers, namely: -
		(1)	Chairman by virtue of his office shall be the Head of the University and shall control overall functioning of the University;
		(2)	Chairman will call and preside over all the Board of Governors meetings of the University at such time and place as he deems fit. In the absence of the Chairman, Co-chairman will preside;
		(3)	Chairman will be the Chief Patron in the Convocations and all the functions and ceremonies of the University;
		(4)	When any exigency arises and the Chairman is of the opinion that it is not possible or convenient, under the prevailing circumstances, to convene a meeting of the Board of Governors at short notice, he may take any appropriate decision or action, as he


may deem fit and necessary in the interest of the University. In pursuance of such decisions for their implementation, the Chairman shall have the powers to issue any order or instruction to all or any of the Authorities, Officers, Academic Staff, Administrative Staff, other Employees, and/or students of the University and they shall be bound to comply with such order or instruction forthwith. The Chairman may, at any time, amend or revoke any order or instructions issued by him. All such decisions shall be reported to the Board of Governors in the next meeting;

- (5) Any or all the actions or decisions taken by the Chairman in exercise of his powers under sub-clause (4) above shall not be invalid merely for being inconsistent with any of the Statutes, Rules and Ordinances of the University, or for want of consultation/approval/ratification of any Authorities of the University or for any other reason;
- (6) The Chairman will approve the minutes of the selection committee, appraisal committee and promotion committee for various posts in the University;
- (7) The Chairman may call for a fresh panel if he is not convinced with the recommendations of the committees constituted for the selection/appraisal/promotion of an Officer/Employee of the University;
- (8) The Chairman shall consider and approve all the proposals relating to expenditures which are duly examined and submitted by the Finance Committee and have not been included in the annual budget and shall report to the Board of Governors in its next meeting;
- (9) The Chairman shall consider and approve the proposals of expenditure other than that provided in the annual budget and are of urgent nature and where it is not convenient to conduct the meeting of the Finance Committee at a short notice, which shall be incurred on the proposal of the Finance Officer and shall report to the Board of Governors in its next meeting;
- (10) The Chairman, while considering any matter referred to him or suo moto, may call for such records or documents or information from any Office or Department of the University, as he may deem necessary. The Chairman may, after reviewing all facts, take any action against anyone and/or suspend or modify any such resolution or order or proceedings of any Authority/Officer/Employee of the University as he may deem fit, which is his opinion, is not in the interest of the University or not

- in conformity with the provisions of the Act, the Statutes, Rules or Ordinances of the University, as the case may be;
- (11) The Chairman can conduct an inspection himself or can direct any Officer(s)/Employee(s) to person(s) or do of establishment/part of the University, examinations, teaching, research, administration, finance, buildings, laboratories, records, etc., and also of any other work conducted or done by the University. He can order an inquiry to be made in respect of any of these establishments or the functions of the University. The decision of conducting an inspection or inquiry can be taken by the Chairman himself suo moto or on a representation. The officer/ officers, so deputed by the Chairman to conduct such an inspection/inquiry, shall submit to the Chairman the report of the inspection/inquiry within such period as stipulated by the Chairman. This report shall remain confidential and shall only be for review and appraisal of the Chairman, and shall not be disclosed either by the officer/officers deputed to conduct such inspection/inquiry or by any other officer of the University;
- (12) The Chairman shall communicate to the Vice Chancellor the result of such an inspection or inquiry together with the recommended action to be taken thereon. The Vice Chancellor shall communicate the recommended action forthwith to the Authority/Officer/Employee concerned and ensure implementation within stipulated time;
- (13) The Authority/Officer/Employee concerned shall communicate, through the Vice Chancellor, to the Chairman on the action taken as per the recommendations of the Chairman;
- (14) Where the Authority/Officer/Employee of the University concerned, as the case may be, do not act upon the recommended action of the Chairman to his satisfaction, the Chairman may, after considering any explanation furnished or representation made by the Authority/Officer/Employee of the University concerned, issue such directives as he may deem fit and the Vice Chancellor or the Authority/Officer/Employee concerned shall be bound to comply with such directives;
- (15) The Chairman shall have the power to suspend the Vice Chancellor during the pendency or in contemplation of any inquiry against him depending upon the seriousness of the charges, as he may deem fit. In such a situation, the Chairman may appoint the Pro Vice Chancellor or any Director/Dean or any other competent Officer as he may deem fit to act as the officiating Vice Chancellor;

- (16) If in the opinion of the Chairman, the Vice Chancellor willfully omits or refuses to carry out the provisions of the Act, Statutes, Rules and Ordinances or abuses the powers vested in him and if it appears to the Chairman that the continuance of the Vice Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chairman may, after making such an inquiry as he may deem fit, remove the Vice Chancellor. In such a situation, the Chairman may appoint the Pro Vice Chancellor or any Director/Dean or any other competent Officer as he may deem fit to act as the officiating Vice Chancellor for the period until a new Vice Chancellor is appointed as per the procedure laid down in the Act and the Statutes and he assumes his office;
- (17) The Chairman shall, either on his own or on the recommendation of the Chancellor or the Vice Chancellor, have the power to suspend/remove any Officer/Employee of the University depending upon the seriousness of the charge;
- (18) The Chairman may call for a fresh panel if he is not convinced with the recommendation of the committee constituted as per subsection (2) of Section 14 of the Act for the selection of the Vice Chancellor;
- (19) The Chairman on behalf of the Board of Governors shall have the power to open, close, operate and manage bank accounts of the University and/or to authorize senior officer(s) of the University to do the same and University will keep transparency in their expenses;
- (20) The Chairman shall have the power to authorize any officer or its representative to represent the University before any government/non-government agencies and other statutory authorities and bodies:
- (21) The Chairman shall have the power to authorize any officer or employee in addition to the Registrar, to represent the University in suits or proceedings by or against the University, to sign Power of Attorney and other required documents in any Court of Law, Tribunal or Authority;
- (22) The Chairman shall have the power to enter into or cancel and can authorize any officer or employee of the University for signing Agreements, Memorandum of Understanding, Contracts and any other documents, which are necessary for achieving the objectives of the University and are required for its smooth functioning;

	(24)	by an order in writing annul, suspend or modify any resolution, proceeding of any of the Authorities or order of any of the officers of the University not in conformity with the Act, the Statutes or the Rules and Ordinances or not in the interest of the University;  In the event of conflict of interpretation with regard to the Act, Statutes, Rules and Ordinances of the University, the decision of the Chairman shall be final; and
	(25)	The Chairman shall have such powers and shall perform such duties and functions which may be required by him and necessary for the smooth conduct of the functioning of the University and as may be assigned to him by the Board of Governors of the University and the Promoting Society including such powers, duties and functions which are imposed on him by the Act, the Statutes, the Rules and Ordinances of the University.
2.03	(1)	The Chancellor may be appointed from amongst/or by the members of the Promoting Society for a period as specified by the Promoting Society.
	(2)	If the office of the Chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise, or if there is a temporary vacancy because of absence due to illness or any other cause, the Pro Chancellor, if any, shall be the officiating Chancellor until the new Chancellor is appointed or until the incumbent Chancellor resumes his office, unless specified otherwise by the Promoting Society. If there is no Pro Chancellor, the Promoting Society may, if required, appoint an officiating Chancellor until the new Chancellor is appointed or until the incumbent Chancellor resumes his office. The officiating Chancellor shall take all decisions in consultation with the Chairman, Board of Governors.
	(3)	The Promoting Society may from time to time decide the pay /honorarium, allowances and perquisites to be paid to the Chancellor by the University.
	(4)	The Chancellor shall hold his office at the pleasure of the Promoting Society.
	(5)	In case, the Chancellor wishes to resign, he may do so by sending a letter of resignation to the Chairperson of the Promoting Society.
	2.03	(25) (25) (2) (3) (4)



- (1) The Chancellor, in absence of the Visitor, shall preside over the convocation of the University;
- (2) The Chancellor shall be the ex-officio Chairman of the selection committee for the post of the Vice-Chancellor of the University;
- (3) The Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor, the Pro Vice Chancellor, the Registrar, the Finance Officer and the Controller Examinations of the University with due approval of the Chairman, Board of Governors as per provisions of the Act, Statutes and Ordinances made in this regard;
- (4) The Chancellor may call for a fresh panel if he does not agree with the recommendations of the selection committee constituted for the selection of an Officer/Employee of the University which comes for his approval;
- (5) The Chancellor can call for the proceedings of any Authority of the University, except the Board of Governors, or on any matter referred to him and if he deems fit, shall give suitable recommendations to the Chairman, Board of Governors for his consideration and necessary decision. If necessary, he can appoint a committee to inquire into any matter which he deems fit;
- (6) The Chancellor, while considering any matter referred to him or suo moto, may call for such records or documents or information from any Office or Department of the University, as he may deem necessary. It shall be lawful for the Chancellor, after perusal of such information or records, to give, in the interest of the University, suitable recommendations to the Chairman, Board of Governors for his consideration and necessary decision;
- (7) The Chancellor can conduct an inspection himself or can direct any person(s) or Officer(s)/Employee(s) to do so of any establishment/part of the University, examinations, teaching, research, administration, finance, buildings, laboratories, records, etc., and also of any other work conducted or done by the University. He can order an inquiry to be made in respect of any of these establishments. The decision of conducting an inspection or inquiry can be taken by the Chancellor himself suo moto or on a representation. The officer/officers, so deputed by the Chancellor to conduct such an inspection/inquiry, shall submit to the Chancellor the report of the inspection/ inquiry within such period as stipulated by the Chancellor. This report shall remain confidential and shall only be for review and perusal of the Chancellor, and shall not be disclosed either by the

		(8)	officer/officers deputed to conduct such inspection/inquiry or by any other officer of the University. The Chancellor shall make suitable recommendations in this regard along with the report of the inspection/inquiry, to the Chairman, Board of Governors for his consideration and necessary decision;  The Chancellor will oversee the development of the entire University and advice any Officer/Employee of the University as he may deem fit;  The Chancellor shall provide guidance for maintaining excellence in teaching, training, research, consultancy and examinations in the University, and to take initiative for starting of new faculties/departments, programs, courses and electives as per the local, national and global requirements and to collaborate with reputed Institutions/Organizations for the same;
		(10)	The Chancellor will ensure implementation of the directions given by the Board of Governors and the Chairman, Board of Governors;
		(11)	The Chancellor will ensure that the University functions as per the guidelines of the Regulatory Bodies and within the framework of the Act, the Statutes, the Rules and Ordinances of the University;
		(12)	The Chancellor in the interest of the University may recommend, after due inquiry, to the Chairman, Board of Governors to suspend/remove the Vice Chancellor or other Officers of the University appointed by the Chancellor, depending upon the seriousness of the charge;
		(13)	The Chancellor will be entitled to be present and address any meeting of any Authority or other Body of the University under him and may participate in voting only if he is a member of such an Authority or Body; and
		(14)	The Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be assigned to him by the Board of Governors and the Chairman, Board of Governors including such powers, duties and functions which are imposed on him by the Act, the Statutes, the Rules and Ordinances of the University.
The Pro Chancellor (if any)	2.05	(1)	The Pro Chancellor shall be appointed by the Promoting Society on such terms and conditions and for such period as specified by the Promoting Society.

[Section-19&			
Section-27(o)]		(2)	The Pro Chancellor shall assist the Chancellor in exercise of his powers and performance of his duties.
		(3)	The Pro Chancellor, in absence of the Visitor and the Chancellor shall preside over the convocation of the University.
		(4)	The Pro Chancellor will be entitled to be present and address any meeting of any Authority or other Body of the University under him and may participate in voting only if he is a member of such an Authority or Body.
		(5)	The Pro Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be assigned to him by the Promoting Society, the Board of Governors, the Chairman and the Chancellor.
		(6)	The Pro Chancellor shall hold his office at the pleasure of Promoting Society.
		(7)	In case, the Pro Chancellor wishes to resign, he may do so by sending a letter of resignation to the Chairperson of the Promoting Society.
The Vice Chancellor [Section-14(1)& Section-27(c)]	2.06	(1)	The Vice Chancellor shall be a full time salaried officer of the University. The emoluments and other terms and conditions of service of the Vice Chancellor shall be as decided by the Board of Governors.
		(2)	In case, the Board of Governors is of the opinion that the present Vice Chancellor should continue, then the present Vice Chancellor can be reappointed for another term or for such a term as decided by the Board of Governors, provided the said Vice Chancellor meets the required eligibility criteria.
		(3)	The Chairman may direct the Vice Chancellor, after his term has expired, to continue in office for such period until his successor assumes the office but for a period normally not exceeding 01 (one) year.
		(4)	If the office of the Vice Chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise, or if there is temporary vacancy because of absence due to long illness or any other cause, the Chairman, Board of Governors shall nominate the Pro Vice Chancellor or any Director/Dean or any other competent senior officer of the University as officiating Vice Chancellor. The officiating Vice Chancellor shall perform the routine duties of the Vice Chancellor

or as directed by the Chairman, Board of Governors until a new Vice Chancellor is appointed or the existing Vice Chancellor resumes duties, as the case may be.  (5) If the Vice Chancellor wishes to resign, he may do so by submitting his signed letter of resignation in writing to the Chancellor by giving notice of the period as specified in the appointment letter and shall cease to hold his office on the acceptance of the resignation and expiry of the notice period or as per the terms and conditions mentioned in the appointment letter of the Vice Chancellor.  Subject to provisions of the Act &Statutes and control of the Board of Governors, the Chairman and the Chancellor, the Vice Chancellor shall have the following powers, duties and functions, namely:-  (1) The Vice Chancellor shall be the Principal Executive and Academic Officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of all the Authorities of the University;  (2) The Vice Chancellor shall provide leadership for maintaining excellence in teaching, training, research, consultancy and assessment in the University and to take initiative for starting of new programs, courses and electives as per the local, national and global requirements;  (3) It shall be the duty of the Vice Chancellor to ensure that the provisions of the Act, the Statutes, the Rules and the Ordinances of the University are duly observed and implemented;  (4) The Vice Chancellor would ensure proper maintenance of discipline amongst officers, academic staff, administrative staff, other employees and students of the University and to initiate disciplinary action against them as per the provisions of the Statutes, Rules and Ordinances made in this regard;			
submitting his signed letter of resignation in writing to the Chancellor by giving notice of the period as specified in the appointment letter and shall cease to hold his office on the acceptance of the resignation and expiry of the notice period or as per the terms and conditions mentioned in the appointment letter of the Vice Chancellor.  [Section-14(6)& Section-27(c)]  Subject to provisions of the Act & Statutes and control of the Board of Governors, the Chairman and the Chancellor, the Vice Chancellor shall have the following powers, duties and functions, namely:  (1) The Vice Chancellor shall be the Principal Executive and Academic Officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University; and give effect to the decisions of all the Authorities of the University;  (2) The Vice Chancellor shall provide leadership for maintaining excellence in teaching, training, research, consultancy and assessment in the University and to take initiative for starting of new programs, courses and electives as per the local, national and global requirements;  (3) It shall be the duty of the Vice Chancellor to ensure that the provisions of the Act, the Statutes, the Rules and the Ordinances of the University are duly observed and implemented;  (4) The Vice Chancellor would ensure proper maintenance of discipline amongst officers, academic staff, administrative staff, other employees and students of the University and to initiate disciplinary action against them as per the provisions of the			Vice Chancellor is appointed or the existing Vice Chancellor
Section-27(c)]  Subject to provisions of the Act estatutes and control of the Board of Governors, the Chairman and the Chancellor, the Vice Chancellor shall have the following powers, duties and functions, namely:  (1) The Vice Chancellor shall be the Principal Executive and Academic Officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of all the Authorities of the University;  (2) The Vice Chancellor shall provide leadership for maintaining excellence in teaching, training, research, consultancy and assessment in the University and to take initiative for starting of new programs, courses and electives as per the local, national and global requirements;  (3) It shall be the duty of the Vice Chancellor to ensure that the provisions of the Act, the Statutes, the Rules and the Ordinances of the University are duly observed and implemented;  (4) The Vice Chancellor would ensure proper maintenance of discipline amongst officers, academic staff, administrative staff, other employees and students of the University and to initiate disciplinary action against them as per the provisions of the		(5)	submitting his signed letter of resignation in writing to the Chancellor by giving notice of the period as specified in the appointment letter and shall cease to hold his office on the acceptance of the resignation and expiry of the notice period or as per the terms and conditions mentioned in the appointment letter
Academic Officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of all the Authorities of the University;  (2) The Vice Chancellor shall provide leadership for maintaining excellence in teaching, training, research, consultancy and assessment in the University and to take initiative for starting of new programs, courses and electives as per the local, national and global requirements;  (3) It shall be the duty of the Vice Chancellor to ensure that the provisions of the Act, the Statutes, the Rules and the Ordinances of the University are duly observed and implemented;  (4) The Vice Chancellor would ensure proper maintenance of discipline amongst officers, academic staff, administrative staff, other employees and students of the University and to initiate disciplinary action against them as per the provisions of the	2.07	Gove	ernors, the Chairman and the Chancellor, the Vice Chancellor shall
excellence in teaching, training, research, consultancy and assessment in the University and to take initiative for starting of new programs, courses and electives as per the local, national and global requirements;  (3) It shall be the duty of the Vice Chancellor to ensure that the provisions of the Act, the Statutes, the Rules and the Ordinances of the University are duly observed and implemented;  (4) The Vice Chancellor would ensure proper maintenance of discipline amongst officers, academic staff, administrative staff, other employees and students of the University and to initiate disciplinary action against them as per the provisions of the		(1)	Academic Officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give
provisions of the Act, the Statutes, the Rules and the Ordinances of the University are duly observed and implemented;  (4) The Vice Chancellor would ensure proper maintenance of discipline amongst officers, academic staff, administrative staff, other employees and students of the University and to initiate disciplinary action against them as per the provisions of the		(2)	excellence in teaching, training, research, consultancy and assessment in the University and to take initiative for starting of new programs, courses and electives as per the local, national and
discipline amongst officers, academic staff, administrative staff, other employees and students of the University and to initiate disciplinary action against them as per the provisions of the		(3)	provisions of the Act, the Statutes, the Rules and the Ordinances
		(4)	discipline amongst officers, academic staff, administrative staff, other employees and students of the University and to initiate disciplinary action against them as per the provisions of the
(5) All powers relating to the proper maintenance of discipline of the University shall be vested in the Vice Chancellor and he may delegate any such powers to such officer(s) or employee(s) as he may deem fit;		(5)	University shall be vested in the Vice Chancellor and he may delegate any such powers to such officer(s) or employee(s) as he
(6) The Vice Chancellor would ensure that the University is run in an effective manner and lay down systems and procedures, which are in line with the objectives of the University;		(6)	effective manner and lay down systems and procedures, which are
(7) The Vice Chancellor shall convene or cause to be convened meetings of various Authorities of the University except the Page 11 of 64		(7)	meetings of various Authorities of the University except the

Board of Governors;

- (8) The Vice Chancellor will be entitled to be present and address any meeting of any Authority or other Body of the University under him but may participate in voting only if he is a member of such an Authority or Body;
- (9) The Vice Chancellor shall make appointment of various Officers, Academic Staff, Administrative Staff and other employees of the University(except Pro Vice Chancellor, Registrar, Finance Officer and Controller of Examinations), on the recommendations of the duly constituted Selection Committees with prior approval of the Chairman, Board of Governors;
- (10) The Vice Chancellor shall make short-term appointments on part time/ad-hoc basis, for a period not exceeding 01 (one) year, of such officers and employees as he may consider necessary for the functioning of the University;
- (11) The Vice Chancellor shall grant leave to any officer or employee of the University as per the provisions of the leave policy of the University and make necessary arrangements for discharging the responsibilities of such officer or employee during his absence;
- (12) The Vice Chancellor may take an appropriate decision/action, with prior approval of the Chairman, Board of Governors, in the interest of the University, when exigency arises and he is unable to convene a meeting of any Authority under him at short notice and shall report such decisions/actions to the Authority concerned in the next meeting for ratification;
- (13) The Vice Chancellor shall be responsible and shall exercise control over the Examinations of the University and shall make all necessary arrangements and adopt such mechanisms to ensure smooth, efficient, fair and transparent conduct of the examinations of the University;
- (14) The Vice Chancellor shall take steps to arrange adequate opportunities for trainings, internships and final placements for the students of the University and facilitating the networking of the University with various corporate/industrial organizations at the local, national and global level for the same;
- (15) The Vice Chancellor shall be responsible for the brand promotion, marketing activities, public relations of the University at local, national and global level;

- (16) The Vice Chancellor shall be responsible for the conduct of various study tours, exchange programs, co-curricular and extracurricular activities amongst the students and staff of the University. The Vice Chancellor shall also make arrangements for the conduct of various value added programs and certification programs to be provided to the students of the University by reputed training/ corporate partners to enhance the skill set and employability of the students of the University;
- (17) The Vice Chancellor shall take initiatives to run collaborative programs of studies in various Faculties/Schools of the University with Universities of high repute at national and international level;
- (18) The Vice Chancellor shall act as a vital link with the University Grants Commission, National and International Accreditation Bodies, State Government, other National & International agencies and other Regulatory Authorities as the case may be;
- (19) The Vice Chancellor shall take steps to get financial grants from various funding agencies including UGC, DST, State Government, Central Government, NGOs, other Societies and Trusts, other Universities and Institutions of Higher Learning, National and International Agencies;
- (20) The Vice Chancellor shall take steps to keep abreast with the latest educational policies of both the State and Central Governments and to apprise the various Faculties/Schools/ Departments about the same and to guide them in their proper implementation;
- (21) The Vice Chancellor at the close of each academic year, assess and evaluate the teaching, training, research and consultancy work done by the members of the Faculty/School, and the work of the other employees of the University, and if he deems necessary, he may appoint a Committee of experts for the purpose. On such assessment and evaluation, if he is of the opinion that the work and the conduct of any member of the Faculty/School or any employee of the University is not satisfactory, he may initiate action against such a member as per the provisions of the Statutes and Ordinances;
- (22) The Vice Chancellor shall present the Annual Report of all the activities of the University before the Board of Governors;
- (23) The Vice Chancellor shall furnish to the Board of Governors such

			information as the Board may call for; and
			,
		(24)	The Vice Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be assigned to him by the Board of Governors and the Chairman including such powers, duties and functions which are imposed on him by the Act, the Statutes, the Rules and Ordinances of the University.
The Pro Vice Chancellor	2.08	(1)	The Pro Vice Chancellor shall be appointed by the Chancellor with prior approval of the Board of Governors.
[Section-15 & Section-27 (c)]		(2)	The Chancellor, on recommendation of the Vice Chancellor, shall consider eminent Deans/Professors from within or outside the University, and select one of them for appointment as Pro Vice Chancellor. The person so selected would be associated with his preferred department for academic purposes.
		(3)	The Pro Vice Chancellor shall be a full time salaried officer of the University and shall hold office for a period of 03 (three) years. On expiry of the term of his office, the Pro Vice Chancellor shall be eligible for re-appointment. In case of completion of his term or should he decide to relinquish his administrative responsibility earlier, he can exercise the option to continue as Professor in the preferred department.
		(4)	The eligibility criteria, emoluments and other terms and conditions attached to the post of the Pro Vice Chancellor shall be as per the Ordinances of the University.
		(5)	In the absence of the Vice Chancellor or when for any reason the Vice Chancellor is unable to exercise his powers and perform his routine duties, then routine functions of the Vice Chancellor shall be performed by the Pro Vice Chancellor unless specified otherwise by the Chairman, Board of Governors.
		(6)	In the absence of the Vice Chancellor, the Pro Vice Chancellor shall preside over meetings of University Authorities/Selection Committees of which the Vice Chancellor is the Chairman.
	2.09	his p	Pro Vice Chancellor shall assist the Vice Chancellor in exercise of owers and performance of his duties and shall perform such duties ay be assigned to him by the Vice Chancellor and by the Board of ernors from time to time.
The Registrar [Section-16(1) &	2.10	(1)	The Registrar shall be a full time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor, with due approval of the Chairman, Board of Governors, on the recommendations of

Section-27(c)]		tl	ne selection committee consisting of the following	g:-
		(a	) Vice Chancellor	- Chairman
		`	One Nominee of the Chairman, Board of Governors	- Member
		(c		- Member
		U	The Registrar shall be the Chief Operating University and he shall work directly under the irection and control of the Vice Chancellor.	
		c	The eligibility criteria, emoluments and other conditions of service attached to the post shall be the Ordinances of the University.	
		re b a p B R	When the office of the Registrar becomes vacar esignation or otherwise, or if there is a tem ecause of absence due to illness or any other rend functions of the Registrar shall be performe erson as the Chancellor, with prior approval of coard of Governors, shall appoint or authorize tegistrar is appointed or until the incumbent Reguty.	porary vacancy ason, the duties d by such other f the Chairman, e, until a new
	2.11	Chairm	to the provision of the Act & Statutes and an, the Chancellor and the Vice Chancellor, the following powers, duties and functions, namely	Registrar shall
			o conduct the official correspondence on authorities of the University;	behalf of the
		(2) T	o authenticate records on behalf of the University	<i>y</i> ;
		C al	To be the custodian of the records and the communiversity and shall be bound to place before the chancellor, the Vice Chancellor or any other All such information and documents as may be ansaction of their business;	e Chairman, the athority/Officer,
		A	o maintain and secure the minutes of the measuthorities of the University and of all the Commonmittees appointed by any of these Authorities;	nittees and Sub-

- (5) To issue notices for the meetings of the Authorities of the University and all Committees and Sub-committees appointed by any of these Authorities;
- (6) To forward to the Officers of the University, copies of the agenda of the meetings of the Authorities as soon as they are issued and approved minutes of such meetings within 15 (fifteen) days of the holding of the meetings;
- (7) To make arrangements for conduct and supervision of all examinations conducted by the University;
- (8) To prepare and update the Handbook of Statutes, Rules, Ordinances and other Policies framed by the Authorities/Officers as the case may be, from time to time and make them available to all respective members of the Authorities and Officers of the University;
- (9) To represent the University with prior approval of the Vice Chancellor in suits or proceedings by or against the University, to sign the documents related to such suits and proceedings and/or depute his representative for this purpose in any Court of Law or Tribunal;
- (10) To keep the Chairman, the Chancellor and the Vice Chancellor apprised of all significant legal proceedings in respect of the University from time to time and be bound to place before the Board of Management all such information as may be necessary for transaction of its business;
- (11) To prepare the Annual Report of all the activities of the University and place the same before the Board of Management;
- (12) To maintain records of students pertaining to admission, registration, enrollment, migration, results of various examinations including entrance examination and award of degrees, diplomas, certificates etc.;
- (13) To maintain personnel records of all academic staff, administrative staff and other employees of the University;
- (14) To superintend the task of all subordinate employees and to distribute the work amongst them with the prior approval of the Vice Chancellor;
- (15) To facilitate any inquiry conducted by any Officer or Authority

			and to provide relevant information and documents in this regard;
			and to provide relevant information and documents in this regard,
		(16)	To enter into agreement, contracts and sign documents on behalf of the University after the written approval of the Vice Chancellor and the Chairman as per the provisions of the Statutes;
		(17)	To formulate a time schedule for various administrative activities including receiving of applications for admission to the University and keeping a permanent record of all syllabi, curricula and information related to it;
		(18)	To maintain a register of all degrees, diplomas, certificates and academic distinctions conferred by the University;
		(19)	To maintain minutes of all the selection committees;
		(20)	To look after general administration of the University;
		(21)	To maintain discipline amongst employees of the University;
		(22)	To act as the custodian of all movable and immovable properties of the University unless otherwise provided by the Board of Governors. He shall be responsible for proper maintenance and upkeep of properties and assets of the University;
		(23)	To make arrangements to safeguard and maintain all the moveable and immovable assets of the University and keep all such assets under regular insurance coverage against all threats/damages;
		(24)	To ensure that all legal/statutory compliances in regards to all functions/activities of the University, as per the guidelines of the State/Central agencies and bodies, are duly complied with at all times; and
		(25)	To exercise such other powers and perform such other duties as may be specified in the Act, the Statutes, the Rules and Ordinances or as may be assigned to him by the Board of Governors, the Chairman, the Chancellor, the Board of Management or the Vice Chancellor from time to time.
The Deans of Faculties [Section-17]	2.12	(1)	The Vice Chancellor with approval of the Chancellor shall appoint Dean of Faculties as per requirement on such terms and conditions as decided by the Board of Governors on the recommendation of Board of Management, from amongst the

			teachers of the Universities. The Dean(s) of Faculty(s) shall exercise such powers and perform such duties as assigned to him by the Vice Chancellor and Authorities of the University from time to time including such powers, duties and functions which are imposed on him by the Statutes, the Rules and Ordinances of the University.
Other Dean(s)/ Associate Dean(s) [Section-19]	2.13	(1)	The Vice Chancellor with approval of the Chancellor and the Chairman, Board of Governors shall appoint other Dean(s) and Associate Dean(s) for various functions of the University. The Deans and Associate Deans shall be appointed on such terms and conditions as decided by the Board of Governors on the recommendation of the Board of Management, from amongst the teachers of the University after taking into consideration seniority, ability and administrative experience. However, the person(s) so selected would remain associated with their respective department.
		(2)	The Dean(s) and Associate Dean(s) shall exercise such powers and perform such duties as assigned to him by the Vice Chancellor and Authorities of the University from time to time including such powers, duties and functions which are imposed on him by the Statutes, the Rules and Ordinances of the University.
The Finance Officer [Section-18 & Section-27 (c)]	2.14	(1)	The Finance Officer shall be a full time salaried officer of the University and he shall be appointed by the Chancellor, with due approval of the Chairman, Board of Governors, on the recommendations of the selection committee consisting of the following:-
			(a) Vice Chancellor - Chairman
			(b) One Nominee of the Chairman, Board of - Member Governors
			(c) One nominee of the Chancellor - Member
		(2)	The eligibility criteria, emoluments and other terms and conditions of service attached to the post shall be as laid down in the Ordinances of the University.
		(3)	The Finance officer shall be the Member Secretary of the Finance Committee and of Committees constituted by it.
		(4)	When the office of the Finance Officer becomes vacant due to death, resignation or otherwise, or if there is a temporary vacancy because of absence due to illness or any other reason, the duties

and functions of the Finance Officer shall be performed by such other person as the Chancellor, with prior approval of the Chairman, Board of Governors, shall appoint or authorize, until a new Finance Officer is appointed or until the incumbent Finance Officer resumes duty.

- 2.15 Subject to the provision of the Statutes and control of the Chairman, the Chancellor and the Vice Chancellor, the Finance Officer shall have the following powers and duties, namely:-
  - (1) To prepare, issue agenda and maintain minutes of the meetings of the Finance Committee, and Committees constituted by the Finance Committee;
  - (2) To take part in the proceedings of the other Authorities of the University and Committees constituted by the Authorities on matters which have financial implications;
  - (3) To maintain, supervise and control the book keeping of accounts and relevant records of all the monies received and spent by the University;
  - (4) To prepare the Annual Budget and Annual Statement of accounts of the University and place the same along with the Audit Reports before the concerned Authorities of the University;
  - (5) To supervise and manage the funds and investments of the University under the guidance and prior approval of the Chairman, Board of Governors;
  - (6) To advise the University in any financial matter either suo moto or on his advice being sought;
  - (7) To maintain records of the funds, properties and investments of the University and conduct of the annual verification of all the assets of the University;
  - (8) To ensure that the limits fixed in the Annual Budget of the University for recurring and nonrecurring expenditures are not exceeded, and that all allocations are utilized for the purposes for which they are granted;
  - (9) To monitor the cash flow, bank balances and investments;
  - (10) To monitor the progress of revenue collection and advice the

			University on methods to be employed for collection;
		(11)	To ensure that internal and statutory audit of accounts of the University are conducted as laid down by the Board of Governors;
		(12)	To collect the income, disburse the payments and maintain the accounts of the University;
		(13)	To ensure that registers for all capital and fixed assets are prepared and maintained on a regular basis;
		(14)	To ensure that physical verification of all fixed assets and other assets is carried out at regular intervals;
		(15)	To propose to the Vice Chancellor that explanation be called for unauthorized expenditures or other financial irregularities, if any, from any Committee or individual of the University and recommend appropriate disciplinary action;
		(16)	To seek information from any Faculty/ School, Constituent College, Department, Office or Centre of the University, that he may consider necessary for proper discharge of his financial responsibilities;
		(17)	To make proposals of expenditure other than that allocated in the budget and are of urgent nature and are in conformity with the objectives of the University for the approval of the Chairman, Board of Governors, before the expenditure is incurred;
		(18)	To superintend the task of all subordinate employees and to distribute the work amongst them with the prior approval of the Vice Chancellor;
		(19)	To exercise disciplinary control over all employees in the Audit and Finance Department of the University; and
		(20)	To perform such other duties and responsibilities as may be prescribed in the Statutes and Ordinances of the University and / or assigned by the relevant Authorities, the Chairman, the Chancellor and the Vice Chancellor from time to time.
The Controller of Examinations	2.16	(1)	The Controller of Examinations shall be a full time salaried officer of the University and he shall be appointed by the Chancellor, with due approval of the Chairman, Board of

[Section-19]		Governors, on the recommendations of the selection committee consisting of the following:-
		(a) Vice Chancellor - Chairman
		(b) One Nominee of the Chairman, Board of - Member Governors
		(c) One nominee of the Chancellor - Member
	(2	The eligibility criteria, emoluments and other terms and conditions of service attached to the post shall be as laid down in the Ordinances of the University.
	(3	The Selection Committee, alternately, may also recommend a name of one of the Professors of the University as the Controller of Examinations, who has experience in all the matters related to examinations by being a part of examination section, who has demonstrated highest order of confidentiality and integrity, and who is capable of administering the examination related matters.
	(4	The Controller of Examinations shall be the Principal Officer for conducting all examinations of the University and for declaring their results. He shall work directly under the supervision, direction and control of the Vice Chancellor.
	(5	When the office of the Controller of Examinations becomes vacant due to death, resignation or otherwise, or if there is a temporary vacancy because of absence due to illness or any other reason, the duties and functions of the Controller of Examinations shall be performed by such other person as the Chancellor, on the recommendation of the Vice Chancellor, shall appoint or authorize, until a new Controller of Examinations is appointed or until the incumbent Controller of Examinations resumes duty.
	(6	The Controller of Examinations shall be the Member Secretary of the Board of Examinations and of Committees constituted by it.
	2.17   Cl	abject to the provision of the Statutes, and control of the Vice nancellor, the Controller of Examinations shall have the following owers and duties, namely:-
	(1	To make all necessary arrangements for free, fair, smooth, orderly and timely conduct of all examinations of the University including entrance examinations and declaration of their results;
	(2	To prepare and announce in advance the calendar and scheme of

examinations in consultation with the Dean of Academics. **(3)** To appoint paper setters, examiners, evaluators, invigilators, tabulators/ collators, moderators, observers, flying squad, etc., with prior approval of the Vice Chancellor; **(4)** To decide the examination centers and appoint Center-in-Charge(s) with prior approval of the Vice Chancellor; **(5)** To arrange inspection of examination centers by a flying squad and observers; **(6)** To arrange for printing of question papers and to maintain secrecy; **(7)** To ensure timely printing and supply of answer books, receive back the unused answer books from the centres and maintain proper record of the same; **(8)** To co-ordinate with Deans of Faculty/ School and the Principals of Constituent Colleges and Heads of Departments with regard to student enrolment and conduct of examinations: **(9)** To arrange for proper assessment of candidates appearing for examinations and to process results accordingly; (10) To notify results of examinations to the concerned Faculty/ School, the Constituent College and Department and also display the results in the public domain; (11) To maintain a data base of student performance in examinations; To forward names of candidates to the Registrar for conferment of degrees, diplomas, certificates, etc. except honorary degrees; To act as custodian of all records related to conduct of (13)examinations and declaration of results: (14) To postpone or cancel examinations with the prior approval of the Vice Chancellor in the event of malpractices or if the circumstances so warrant, and to take or recommend disciplinary action, as the case may be, or recommend initiation of any civil or criminal proceedings against any person or a group of persons or a college or an Institution alleged to have committed such malpractices;

- (15) To recommend disciplinary action where necessary, against candidates, paper setters, examiners, moderators or any other persons connected with examinations and found guilty of malpractices in relation to the examinations;
- (16) To review and evaluate, from time to time, results of the University examinations and forward reports thereon to the Vice Chancellor:
- (17) To take necessary steps for continuous examination reforms so as to keep updating the existing Ordinances relating to University examinations and to propose new Ordinances in this regard;
- (18) To counter-sign and approve various TA/DA and remuneration bills in respect of the examiner, supervisor, invigilator, paper setter, tabulator/collator, moderator, observer and any other person appointed for the purpose of confidential works related to the conduct of examinations;
- (19) To prepare and maintain accounts for secret funds, get the same checked and counter-signed from the concerned Authority and keep permanent records for all such confidential transactions or accounts;
- (20) To prepare and maintain minutes of meetings of the Board of Examinations and other Committees constituted by it;
- (21) To ensure that decisions taken by the Authorities of the University and Committees constituted by them with regard to the examination system are promptly implemented;
- (22) To superintend the task of all subordinate employees and to distribute work among them with prior approval of the Vice Chancellor;
- (23) To exercise disciplinary control over all employees in the examination section; and
- (24) To exercise such other powers and perform such other duties as assigned to him by the Vice Chancellor and other Authorities of the University from time to time including such powers, duties and functions which are imposed on him by the Statutes, the Rules and Ordinances of the University.

The Head(s) of the Department(s) [Section-19]	2.18	(1)	Each of the Departments in the Faculty/ School or the Constitue College of the University shall have a Head who shall appointed by the Vice Chancellor from amongst the Professors the Department or the Constituent College;  Provided that if there is no Professor in the Department the Vice Chancellor may appoint an Associate Professor as the Head of the Department. However, he may be relieved of the responsibility at any time by the Vice Chancellor at his discretion				
		(2)	The Head of the Department shall be appointed on such terms and conditions as decided by the Vice Chancellor with the prior approval of the Chancellor.				
		(3)	The Head of Department shall work under the overall control, supervision, direction and guidance of the Vice Chancellor/ Pro Vice Chancellor.				
		(4)	A teacher, who is appointed as the Head of a Department, shall act as the Head in addition to his teaching, research and other assigned duties.				
	2.19	_	ect to provisions of the Statutes the Head of the Department shall the following powers and duties, namely:-				
		(1)	To maintain high standards of undergraduate and post graduate teaching and training as per guidelines of the University and respective Statutory Council;				
		(2)	To provide a suitable environment in the department for development of academic staff in teaching and research activities;				
		(3)	To lead and direct innovative research and consultancy in the department by guiding the academic staff;				
		(4)	To make facilities and resources of the department available to the academic staff and students for their overall development;				
		(5)	To nominate/recommend the academic staff and other employees for training/ awards/ felicitations/ commendations etc., as per their merit, to higher authorities as and when required;				
		(6)	To maintain discipline amongst academic staff, other employees and students in the department and to initiate appropriate disciplinary action in consultation with the Vice Chancellor as and when required;				

	I	
	(7)	To supervise the working of academic staff and other employees of the department and to assign responsibilities for smooth functioning of the department;
	(8)	To upkeep and maintain the necessary records pertaining to activities and assets of the department;
	(9)	To prepare the annual budget of the department with full justification and submit it to the Vice Chancellor.
	(10)	To prepare periodic and annual reports of the activities of his department and submit the same to the Vice Chancellor.
	(11)	To conduct monthly departmental meetings to discuss and resolve various issues of the department and submit the minutes to the Vice Chancellor.
	(12)	To ensure that necessary information/circulars are brought to the notice of academic staff, other employees and students of the department;
	(13)	To look into the grievances of academic staff, other employees and students in all matters concerning the department and to redress appropriately;
	(14)	To execute and implement orders, policies and other directives issued by the Authorities from time to time;
	(15)	To co-ordinate/collaborate inter-departmental activities in administration, academics and research towards the common institutional goal of excellence;
	(16)	To work for future growth of the department as per goals set by the Constituent College and the University; and
	(17)	To exercise such other powers and perform such other duties as assigned to him from time to time.
Other Officers [Section-19 & Section-27(o)]	the cond	Board of Governors may decide by an Ordinance, other Officers of University and the manner of their appointment, terms and litions of service and their powers and duties from time to time, as be required for the effective functioning of the University.
		Page 25 of 64

		CHAPTER – III				
AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY						
The Board of Governors [Section-27(a)]	3.01	(1) The meeting of the Board of Governors shall be chaired by the Chairman. In the absence of the Chairman, Co-chairman will chair the meeting of the Board of Governors. In case of contingency when both the Chairman and the Co-chairman are not present, the Chairman may authorize the Chancellor to chair that particular meeting.				
		(2) The Board of Governors shall meet normally twice every year at such date, time and place as the Chairman, Board of Governors may decide.				
		(3) 2/5 (Two-fifth) members of the total appointed membership of the Board of Governors, including the Chairman, shall form the quorum at the meeting. If the quorum is not there at the scheduled date and time in the meeting of the Board of Governors, the meeting of the Board of Governors shall be reconvened after 02 (two) hours on the same date and venue for which no quorum shall be required.				
		(4) Each member of the Board of Governors including its Chairman and Co-chairman shall have one vote each and the Chairman shall have a casting vote in case of consensus not being met.				
		(5) An Emergency meeting of the Board of Governors may be called by the Chairman.				
	3.02	All Members of the Board of Governors, except the Chairman, the Co-chairman, the Chancellor, the Vice Chancellor and the Principal Secretary/Secretary to the State Government in Higher Education Department shall be members for a period of 02 (two) years from the date of their appointment and shall be eligible for re-appointment.				
[Section-27(o)]	3.03	The Board of Governors shall be the Principal Governing Body of the University and shall have the following powers, namely:-				
		(1) To lay down policies to be pursued by the University;				
		(2) To review decisions of the other Authorities and Officers of the University, if they are not in conformity with the provisions of the Act or the Statutes or the Rules and Ordinances or otherwise;				

- (3) To approve the budget and annual report of the University;
- (4) To make new or additional Statutes, Rules and Ordinances or amend or repeal the earlier Statutes, Rules and Ordinances of the University;
- (5) To approve proposals for submission to the Central/State Government;
- (6) To appoint the Statutory Auditors of the University, who shall be the members of the Institute of Chartered Accountants of India (I.C.A.I) in terms of Section 47 (2) of the Act;
- (7) To open, close, operate and manage bank accounts of the University and/or to authorize senior officers of the University to do the same on behalf of the Board of Governors;
- (8) To take such decisions and steps as are found desirable for effectively carrying out the objects of the University and the Promoting Society;
- (9) To take decision about voluntary dissolution/winding up of the University on the directions of the Promoting Society;
- (10) To supervise, regulate and maintain the Permanent Endowment fund, the General fund and the Development fund of the University as per the provisions of the Act and the Statutes and in conformity with the directions of the Promoting Society issued in this regard from time to time;
- (11) To raise, collect, subscribe, and borrow funds, with or without the security of the assets of the University, for the purposes of the University and in conformity with the guidelines of the Promoting Society issued in this regard and to authorize any Officer of the University for executing required documents for the same;
- (12) To manage and regulate the finances, accounts, investments and assets of the University with specific consent of the Chairman, Board of Governors and in conformity with the guidelines of the Promoting Society issued in this regard;
- (13) To submit proposals to the Promoting Society for its approval to receive donations, grants and gifts of any kind and/or to acquire, hold, manage, maintain, transfer or dispose of any moveable or immoveable asset for the purposes of the University;

- (14) To allocate and disburse grants to any other University or educational institution of higher learning;
- (15) To consider and approve the requirement of infrastructure for various faculties/ schools, hostels, sports facilities and residences of teachers and staff, on the recommendation of the Board of Management;
- (16) To appoint or remove arbitrator(s);
- (17) To approve the commencement of new faculties/schools and/or removal of faculties/schools on the recommendation of the Board of Management;
- (18) To approve the various fees, deposits & other fees/charges and Ordinances regarding the same for various programs offered by the University chargeable to the students on the recommendation of the Finance Committee of the University;
- (19) To approve, amend or rescind Ordinances covering the administrative functioning of the University on the recommendation of the Board of Management;
- (20) To approve, amend or rescind Ordinances covering the academic functioning of the University on the recommendation of the Academic Council;
- (21) To approve, amend or rescind Ordinances covering the financial control and management of the University on the recommendation of the Finance Committee:
- (22) To approve conferment of various Degrees, Diplomas and Certificates and other academic titles and distinctions and withdrawal of the same on the recommendations of the Board of Management;
- (23) To recommend the proposal for conferment or withdrawal of Honorary Degree to the Visitor for his consent;
- (24) To create, abolish or restructure any College, Department, School, Academic Centres, Divisions, Faculties, Regional Centres, Study Centres or Research Centres and to allocate the areas of studies or research on the recommendation of the Board of Management;

- (25) To establish Distance Education Centres with prior approval of the concerned Regulatory Body and to conduct examinations and grant degrees, diplomas, certificates to the students enrolled under distance education system on the recommendation of the Board of Management;
- (26) To recommend to the Promoting Society for the establishment, maintenance, recognition, restructuring and/or abolition of Campuses, Regional Centres, Study Centres, etc. within the State, other States and offshore as per the provisions of the Act;
- (27) To approve the creation and/or abolition of academic, administrative and other posts at the University and determine their numbers, cadres and qualifications thereof on the recommendations of the Board of Management;
- (28) To approve Ordinances governing HR Policy of the University including eligibility criteria, selection procedure, emoluments, disciplinary measures, code of conduct attached to various posts and promotion policy, etc., on the recommendations of the Board of Management;
- (29) To approve the suitable Ordinances to prescribe the mechanism for grievance redressal and resolving of disputes for employees and students on the recommendation of the Board of Management;
- (30) To entertain, adjudicate upon, and redress any grievance of the employee(s) and student(s) of the University, if aggrieved by the decision of other Authorities/Officers of the University and having exhausted all channels of grievance redressal on specific reference by the Board of Management;
- (31) To approve the establishment and support of Institutions, Universities, Funds, Trusts, Societies and Conveyances, etc., for the benefit of the University;
- (32) To approve signing of Memoranda of Understanding with various National, International, Governmental and Non-Governmental Agencies, Institutions, Organizations, Universities and Societies and authorize any officer or employee of the University for the same:
- (33) To consider and take necessary decisions on the recommendations and proposals and/or adopt the minutes of the Board of Management and other Authorities of the University;

		1	
		(34)	To delegate/authorize the Chairman, Board of Governors to take necessary decisions on behalf of the Board of Governors in the interest of the University on matters which have been brought up to the Board of Governors for consideration or on such matters which the Chairman, Board of Governors in consultation with other Officers/Authorities of the University may like to take for the effective functioning of the University;
		(35)	To take decision on the subject of Merger/Demerger of the Campuses or Constituent Colleges of the University; and
		(36)	To exercise such other powers and perform such other functions as may be considered necessary for the effective functioning of the University in conformity with the provisions of the Act and the Statutes or as may be conferred or imposed on it by the Act, the Statutes or the Promoting Society from time to time.
The Board of Management [Section-27(a)]	3.04	(1)	The meeting of the Board of Management shall be convened and chaired by the Vice Chancellor or in his absence by the Pro Vice Chancellor or the person who is officiating as the Vice Chancellor.
		(2)	The regular meetings of the Board of Management shall take place at least once in every 04 (four) months. However, the Vice Chancellor may call more meetings of the Board of Management.
		(3)	2/5 (Two-fifth) members of the total appointed membership of the Board of Management shall form the quorum for its meetings. If the quorum is not there at the scheduled date and time in the meeting of the Board of Management, the meeting of the Board of Management shall be reconvened after 02 (two) hours on the same date and venue for which no quorum shall be required.
		(4)	An Emergency meeting of the Board of Management may be called by the Vice Chancellor.
	3.05	mem	Members of the Board of Management, other than the Ex-officio bers, shall be members for a period of 03 (three) years from the of their appointment and shall be eligible for re-appointment.
[Section-22(3)]	3.06	(1)	The Board of Management shall be the Principal Managing Body of the University and shall have the authority to take necessary decisions for smooth and efficient functioning of the University.
		(2)	Subject to the control of the Board of Governors and provisions of

the Statutes, the Board of Management shall have the following powers and functions, namely:-

- (a) To manage administrative affairs of the University and for that purpose to appoint such persons or committees with such powers and duties as it may deem fit;
- (b) To frame, amend and rescind Ordinances for smooth administrative functioning of the University and to take necessary approval of the Board of Governors;
- (c) To recommend to the Board of Governors for the creation and abolition of Academic, Administrative and other posts, to determine their number, qualifications and cadres thereof for the University;
- (d) To recommend to the Board of Governors, the Ordinances governing HR Policy of the University including eligibility criteria, selection procedure, emoluments, disciplinary measures, code of conduct attached to various posts and promotion policy, etc.;
- (e) To avail services of various consultants, professionals, advisors and counsels on retainer-ship basis or on such terms and conditions as mutually agreed upon;
- (f) To regulate and enforce discipline amongst the Officers, employees and the students of the University and to take appropriate disciplinary action, wherever necessary;
- (g) To redress any grievances of the employees and students of the University;
- (h) To recommend to the Board of Governors to create, abolish or restructure any College, Department, School, Academic Centres, Divisions, Faculties, Regional Centres, Study Centres or Research Centres and to allocate the areas of studies or research:
- (i) To consider the requirement of infrastructure for various faculties/schools, hostels, sports facilities and residences of teachers and staff and forward the same to the Board of Governors for its consideration and approval;
- (j) To recognize, maintain, control and supervise hostels owned and managed by other agencies for students of the University and to rescind such recognition;

- (k) To recommend to the Board of Governors the constitution of such pension, insurance, provident fund and gratuity schemes as required by law for the benefit of officers, academic staff, administrative staff and other employees of the University;
- (l) To recommend to the Board of Governors on matters related to acquisition, management and disposal of any movable and immovable property of the University and donations and gifts of any kind;
- (m)To provide, establish, manage and maintain all movable and immovable properties of the University;
- (n) To recommend to the Board of Governors to establish new Colleges, Faculty/Schools, Academic Centres, Campuses, Regional Centres, Study Centres, etc., within the State, other States and offshore as per provisions of the Act and the Statutes;
- (o) To recommend to the Board of Governors, proposals for establishment of centres, institutions of higher learning, research and specialized studies and academic service units on the recommendation of the Academic Council:
- (p) To recommend to the Board of Governors the signing of Memoranda of Understanding with various National, International, Governmental and Non-Governmental Agencies, Institutions, Organizations, Universities and Societies and authorization of any officer or employee of the University for the same;
- (q) To recommend to the Board of Governors to select an emblem, flag, insignia or motto for the University and to create a common seal for the University and to provide for the custody and use of the same;
- (r) To recommend to the Board of Governors to establish Distance Education Centre with prior approval of the concerned Regulatory Body for granting degrees, diplomas, certificates to the students enrolled under distance education system;
- (s) To receive grants, donations, contributions, gifts, prizes, scholarships, fees and other funds for the University;
- (t) To review the Annual Statements of Accounts including the Balance Sheet for previous financial year and place the same to the Board of Governors;
- (u) To review the annual budget of the University and place the

1	1				
		san	ne to the Board of Governors for approval	ļ;	
			<u>-</u>		the University
		Un	iversity and give necessary directions		
		exa eva rec	miners/paper setters including examined luation of Doctoral thesis, external most ommendation of the Board of Examination	ers ode	appointed for rators, etc., on
		em off	ployees of the University for any journ icial purposes of the University, on recor	ey	undertaken for
		the	University to the Board of Gov		
		fur tim	ections as assigned by the Board of Governe or as required for efficient functioning	rno	rs from time to the University
3.07	(1)	The A	cademic Council shall consist of:-		
		a)	The Vice Chancellor	-	Chairman;
		b)	The Pro Vice Chancellor, if any	-	Member;
		c)	All Deans of the University	-	Members;
		d)	Heads of the Departments	-	Members;
		e)	10 (ten) Professors (by Rotation) to be nominated by the Vice Chancellor for a period of 01(one) year;	-	Members;
		f)	03 (three) Associate Professors (by Rotation) to be nominated by the Vice Chancellor for a period of 01(one) year;	-	Members;
		g)	03 (three) Assistant Professors (by Rotation) to be nominated by the Vice Chancellor for a period of 01(one) year;	-	Members;
	3.07	3.07 (1)	(v) To and (w) To Un fund fund (x) To examinate evaluation (y) To emposition (z) To the approximation (aa) To fund time in (ab) (b) (c) (d) (e)	(v) To review the Annual Report of the activitie and place the same to the Board of Governor  (w) To review the internal audit report of the University and give necessary directions functionaries, as it may deem fit;  (x) To fix emoluments, travelling and other allow examiners/paper setters including examine evaluation of Doctoral thesis, external more recommendation of the Board of Examina Finance Committee;  (y) To fix travelling and other allowances for employees of the University for any journ official purposes of the University, on recor Finance Committee;  (z) To recommend the proposals of the Author the University to the Board of Gove applicable; and  (aa) To exercise such other powers and disc functions as assigned by the Board of Gove time or as required for efficient functioning in conformity with the provisions of the Act  3.07  (1) The Academic Council shall consist of:  a) The Vice Chancellor  b) The Pro Vice Chancellor, if any  c) All Deans of the University  d) Heads of the Departments  e) 10 (ten) Professors (by Rotation) to be nominated by the Vice Chancellor for a period of 01(one) year;  f) 03 (three) Associate Professors (by Rotation) to be nominated by the Vice Chancellor for a period of 01(one) year;  g) 03 (three) Assistant Professors (by Rotation) to be nominated by the Vice Chancellor for a period of 01(one) year;	(x) To fix emoluments, travelling and other allowar examiners/paper setters including examiners evaluation of Doctoral thesis, external model recommendation of the Board of Examination Finance Committee;  (y) To fix travelling and other allowances for the employees of the University for any journey official purposes of the University, on recomm Finance Committee;  (z) To recommend the proposals of the Authoriting the University to the Board of Govern applicable; and  (aa) To exercise such other powers and dischare functions as assigned by the Board of Governous time or as required for efficient functioning of in conformity with the provisions of the Act and

			h)	08 (Eight) academicians, not being employees of the University, from other reputed Higher Educational Institutions related to programs of studies of the University, to be nominated by the Vice Chancellor for a period of 02 (two) years;  04 (Four) persons of eminence from Industry / Corporate Sector / Research Organizations / Reputed Practicing Professionals related to programs of				
				studies of University to be nominated by the Vice Chancellor for a period of 02 (two) years;				
			j)	The Controller of Examinations	-	Non- Member;		
			k)	The Librarian	-	Non- Member;		
			1)	The Registrar	-	Non-Member Secretary; and		
			m)	Special Invitee(s), if any	-	Non- Member(s).		
		(2)	Vice (	ominations on the Academic Council show Chancellor in such a way that there is Il the Faculties/Schools/Departments.		•		
		(3)		ominations made by the Vice Chancellor so val of the Chancellor.	shou	ald have a prior		
[Section-27(a)]	3.08	(1)	The meeting of the Academic Council shall be chaired by the Vice Chancellor. In his absence, the Pro Vice Chancellor, if any, or the person officiating as the Vice Chancellor shall chair the meeting of the Council.					
		(2)	once in	neeting of the Academic Council shall be nevery 04 (four) months.  In addition, Vice Chancellor may conversible Council as and when necessary.				
		(3)	(one-h	alf) of the total appointed membership of m is not there at the scheduled date and the Academic Council, the meeting of the	the ime	Council. If the in the meeting		

			shall be reconvened after 02 (two) hours on the same date and venue for which no quorum shall be required.
[Section-23(3)]		(4)	An Emergency Meeting of the Academic Council can be convened by the Vice Chancellor.
	3.09	(1)	The Academic Council shall be the Principal Academic Body of the University and shall co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University. The Academic Council shall be responsible for the maintenance of standards of teaching, training, research and consultancy, approval of curricula and syllabi, coordination of research activities, examinations and tests within the University.
		(2)	Subject to the control of the Board of Governors and provisions of the Act and the Statutes, the Academic Council shall have the following powers and functions, namely:-
			(a) To exercise general supervision over the academic & research activities of the University and to give direction regarding methods of instruction, evaluation, research or improvements in academic standards;
			(b) To maintain standards of education, teaching, training, research and examinations in the University;
			(c) To maintain coordination amongst Faculties/Schools, Constituent Colleges and Departments with respect to teaching, training, research and consultancy;
			(d) To promote research within the University and to obtain reports on such research from time to time;
			(e) To consider matters of academic interest either on its own initiative or on the directives of the Board of Governors and to take proper action thereon;
			(f) To consider and approve recommendations of the various Board of Faculty, Boards of Studies, Board of Research and Board of Examinations;
			(g) To conduct examinations for all the programs/courses conducted by the University including the entrance examinations for admission to these programs/courses and to declare their results;
			(h) To consider and approve constitution of Moderation Boards for various Schools/Departments for moderation of question

papers and examination results on the recommendations of the Board of Examinations;

- (i) To prescribe the policy for credit transfer and migration of students from other Universities/Institutions and equivalence of the same;
- (j) To prescribe programs/courses of study leading to degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions of the University;
- (k) To take measures for the improvement of standards of teaching, training, research and consultancy;
- (l) To recognize degrees, diplomas and certificates issued by various Educational Boards or Institutions;
- (m) To recommend to the Board of Management, proposals for establishment of centres, institutions of higher learning, research and specialized studies and academic service units;
- (n) To prepare and approve the plagiarism policy to maintain the ethical standards in the academic work carried out by the students and academic staff of the University;
- (o) To recommend to the Board of Governors:
  - (i) To prescribe qualifications and norms for appointment of paper-setters and examiners.
  - (ii) to commence Post-Doctoral, Ph.D, M.Phil., Post Graduate, Graduate, Diploma and Certificate Programs in the University.
  - (iii) to recognize degrees & diplomas of other Universities and Institutions and to determine their equivalence with the degrees & diplomas of the University.
  - (iv) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions.
  - (v) to confer, grant or award degrees, diplomas, certificates and other academic titles and distinctions and to withdraw the same.
  - (vi) to frame, amend and rescind Ordinances on academic matters and matters related to examinations, attendance and discipline, etc., in the University.
- (p) To undertake annual review of activities of the

			Faculty/School, Constituent Colleges, Departments, Regional Centres and Study Centres and to take appropriate action for maintaining and improving the standards of instruction;  (q) To conduct periodic review of existing courses of study and the desirability of modifying them in the light of new knowledge or changing societal requirements and to constitute committees for the same, if required; and  (r) To exercise such other powers and perform such other functions as assigned by the Board of Governors or by the Board of Management for academic growth of the University.
Under Graduate/Post Graduate Academic Committee	3.10	(1)	Under Graduate/ Post Graduate Academic Committee shall be responsible to scrutinize the recommendations of the Board of Studies of various Departments/Schools and forward the same along with its recommendation to the Academic Council for its approval.
[Section- 27(a)]		(2)	The Post Graduate Academic Committee shall consist of following: -
		(3)	a) Dean Academic - Chairman; b) All Other Deans - Member; c) Associate Dean, Post Graduate Program - Member; d) All Heads of Department - Members; e) All Faculty Incharge (Post Graduate Programs) f) 03 (three) expert members nominated by the Vice Chancellor having special knowledge (may be external) g) Deputy Registrar - Member Secretary. The Under Graduate Academic Committee shall consist of following: - a) Dean Academic - Chairman; b) All Other Deans - Member; c) Associate Dean, Under Graduate - Member; Program d) All HODs - Members;
			e) All Faculty Incharge (Under Graduate - Members; Programs)

			f)	03 (three) expert members nominated by the Vice Chancellor having special knowledge (may be external)	- Members; and
			g)	Deputy Registrar	- Member Secretary.
		(4)	before	the Academic Council. The said comments at least four times in a year.	-
		(5)	-	norum of the meeting of the above comm fifth) of the total members.	nittee shall be 3/5
		(6)	as deci	s and functions of the above mentioned co ded by the Board of Governors on the rec ard of Management.	
Planning and Monitoring Board [Section- 27(a)]	3.11	(1)	plannii	anning and Monitoring Board shall be rengther and monitoring of the various develop iversity.	-
[Section- 27(a)]		(2)	The Pl	anning and Monitoring Board shall consist	t of:-
			a)	The Vice Chancellor	- Chairman;
			b)	The Pro Vice Chancellor, if any	- Member;
			c)	All Deans	- Members;
			d)	All HODs	- Members;
			e)	Three external experts with subject knowledge to be nominated by the Vice Chancellor for a period of 01 (one) year.	- Members;
			f)	Registrar	- Member Secretary; and
			g)	Special Invitee(s)	- Members.
		(3)	-	owers and functions of the Planning and le as prescribed by the Board of Governors	_
		(4)	advice	lanning and Monitoring Board would lead the Board of Management and the Acadetter which it considers necessary for the	demic Council on

		(	bjectives of the University.
		l	The recommendation of the Planning and Monitoring Board shall be placed before the Board of Management for consideration and approval. The proposal relating to the academic matters may be processed through the Academic Council.
The Finance	3.12	(1)	The Finance Committee shall consist of, namely:-
Committee			a) The Vice Chancellor - Chairman;
[Section- 24(1)(d)]			b) The Pro Vice Chancellor (if any) - Member;
			c) Principal Secretary/Secretary to the - Member; State Government of the Higher Education Department
			d) 02 (Two) persons nominated by the - Members; Promoting Society
			e) 01 (One) person nominated by the - Member; Chairman, Board of Governors
			f) The Registrar - Member;
			g) The Finance Officer - Member Secretary; and
			h) Special Invitee(s), if any - Non-Member(s).
		r t	all members of the Finance Committee other than Ex-officionembers shall be members for a period of 03 (three) years from the date of their appointment and shall be eligible for reppointment.
[Section-27(a)]	3.13		The meeting of the Finance Committee shall be chaired by the Vice Chancellor.
		(2)	The Finance Committee shall meet at least twice a year.
		3	The quorum for the meeting of the Finance Committee shall be /5 (three-fifth) of the total appointed membership of the Finance Committee.
[Section-24(3)]	3.14	Manag	t to the control of the Board of Governors and the Board of ement and provisions of the Act and the Statutes, the Finance ittee shall have the following powers and functions, namely:-

- (1) To prepare the annual budget of the University and to fix limits of total annual recurring & non-recurring expenditures based on the income and resources of the University;
- (2) To examine and review the annual accounts and audit reports of the University;
- (3) To ensure that no expenditure is incurred in excess of the limits so fixed;
- (4) To recommend to the Chairman, Board of Governors the approval of expenditures other than that provided in the budget;
- (5) To advice the Board of Management on financial implications of newly proposed Colleges, Academic Units, Regional Centres, Study Centres, Departments and posts, etc.;
- (6) To propose to the Board of Governors the various fees, deposits & other fees/charges and Ordinances regarding the same for various programs offered by the University chargeable to the students;
- (7) To assess the financial viability of various existing programs as well as proposed programs;
- (8) To monitor and assess financial management, financial compliance and financial viability of Faculty/School, Constituent Colleges, Academic Units, Regional Centres, Study Centres, etc. and to suggest to the Board of Management specific remedial measures as required;
- (9) To recommend to the Board of Management proposal to fix emoluments, travelling and other allowances of external examiners/paper setters including examiners appointed for evaluation of Doctoral thesis, external moderators, etc., on recommendation of the Board of Examinations;
- (10) To recommend to the Board of Management proposal to fix travelling and other allowances for the officers and employees of the University for any journey undertaken for official purposes of the University;
- (11) To recommend to the Board of Governors the framing, amendment or rescind of the Ordinances covering the financial control and management of the University; and
- (12) To exercise such other powers and perform such other functions as assigned by the Board of Governors, the Board of Management or

		as required for efficient financial management of the University.
The Board of Studies [Section-20(e), Section-25 & Section-27(a)]	3.15	(1) There shall be a Board of Studies for each School/Department comprising a program or a group of programs. The Board of Studies shall be responsible to and shall report all actions to the Academic Council or the respective Board of Faculty, as the case may be. Each Board of Studies shall consist of the following
. , -		members, namely:-  a) Head of the Department - Chairman;
		b) All Professors of the Department - Members; for a period of 01 (one) year
		c) 02 (Two) Associate Professors of - Members; the Department (by rotation) to be nominated by the Vice Chancellor for a period of 01 (one) year
		d) 02 (Two) Assistant Professors of - Members; the Department (by rotation) to be nominated by the Vice Chancellor for a period of 01 (one) year
		e) 04 (Four) teachers from inter - Members; related Departments to be nominated by the Vice Chancellor for a period of 01 (one) year
		f) 04 (Four) external experts from - Members; Academia, Industry, R&D organization, Reputed Practicing Professionals, not in employment of the University and out of which minimum 01 (one) should be from Industry/Reputed Practicing Professional to be nominated by the Vice Chancellor for a period of 02 (two) years
		g) Nominee of the Registrar - Non-Member Secretary; and
		h) Special Invitee(s), if any - Non–Member(s).
		(2) In case the requisite number of Professors/Associate Professors are not available, the Vice Chancellor may nominate Associate Professors / Assistant Professors from amongst the teachers of the Department to make up for the short fall.

	1	1	
[Section-27(a)]	3.16	(1)	The Meetings of the Boards of Studies shall be convened by the Chairman, Board of Studies with the approval of the Vice Chancellor.
		(2)	The meeting of the Board shall be held at least twice in a year;
			Provided that the Chairman Board of Studies may, in consultation with the Dean of Academics convene a meeting of the Board whenever required, with prior approval of the Vice Chancellor.
		(3)	The quorum for the meeting of the Board of Studies shall be 3/5 (three-fifth) of the total appointed membership of the Board. The presence of 01 (one) external expert member shall be mandatory.
	3.17	T.	
[Section-25]			Board of Studies shall have the following powers and functions, ely:-
		(1)	To recommend, upon reference to it by the Planning and Monitoring Board or the Academic Council the programs/courses of study, curriculum and methods of assessment in the subject or group of subjects within its purview;
		(2)	To recommend books, including text-books, supplementary reading, reference books and other study material for such courses of study;
		(3)	To advise the Academic Council Through UGAC/PGAC regarding improvements in the programs/courses of study;
		(4)	To recommend organization of orientation and refresher courses in the subject;
		(5)	To review syllabi/curricula of all courses offered by the Department/ School every 02 (two) years. In case, the concerned Head of the Department is of the view that any of existing programs/courses needs review and modification earlier than 02 (two) years, taking into account the recent developments on the subject concerned, the same may be taken up by the Board for review;
		(6)	To recommend to the Academic Council plans for the development of the Department/ School; and
		(7)	To consider any other academic matter, which may be referred to

		it by the Academic Council/Planning and Monitoring Board.
The Board of Research	3.18	(1) There shall be a Board of Research in the University, which shall be responsible for overall development of Research and
[Section-20(e), Section-25 &		Consultancy activities in the University. The Board of Research shall consist of the following members, namely:-
Section-27(a)]		a) Vice Chancellor - Chairman;
		b) Pro Vice Chancellor (if any) - Member;
		c) All Deans - Members;
		d) Head of the Departments - Members;
		e) 01 (One) teacher with an established - Members; research background from each Department /School to be nominated by the Vice Chancellor for a period of 01 (one) year
		f) Dean Research and Consultancy - Member Secretary; and
		g) Special Invitee(s), if any - Non- Member(s).
		(2) The appointed members shall be eligible for re-appointment.
[Section-27(a)]	3.19	(1) The meeting of the Board of Research shall be convened at least 02 (twice)in a year;
		In addition, Vice Chancellor may convene meeting of the Board of Research as and when necessary.
		(2) The quorum for the meeting of the Board of Research shall be 3/5 (three-fifth) of its total appointed members.
[Section-25]	3.20	The Board of Research shall have the following powers and functions, namely:-
		(1) To exercise general supervision over the research work conducted within the University;
		(2) To consider all matters related to research and consultancy on its own initiative or when referred by various Board of Studies, Academic Units and Constituent Colleges of the University;

		(3)	To promote Inter-Faculty and Inter-Departmental research in the University;
		(4)	To frame and implement guidelines for conducting and monitoring research including, but not limited to the following:
			(a) Ethical conduct of laboratory, animal and clinical research;
			(b) Procedure for submission and funding of research proposals;
			(c) Reporting progress of research projects;
			(d) Dissemination of research findings through publications and presentations;
			(e) Submission of research budget to the Finance Committee;
			(f) Monitoring of research expenditures; and
			(g) Documentation of all research activities of the University.
		(5)	To undertake annual review of the research activities of the University;
		(6)	To frame the guidelines to facilitate the academic staff for getting funding from external agencies for research and to explore different consultancy projects and training programs to generate revenues for the University;
		(7)	To approve and facilitate collaborative and multi-disciplinary research in conjunction with National, International, Governmental & Non-Governmental Institutions, Universities, Organizations and Agencies; and
		(8)	To consider any other matter, which may be referred to it or which it may deem fit for research growth of the University.
The Board of Examinations [Section-20(e), Section-25 &	3.21	(1)	There shall be a Board of Examinations in the University which shall be responsible to regulate and smooth conduct of all examinations of the University. The Board of Examinations shall consist of the following members, namely:-
Section-27(a)]			a) The Vice Chancellor - Chairman;
			b) The Pro Vice Chancellor (if any) - Member;
			c) Deans - Members;
			d) Head of All Departments/Schools - Members;

			e) 02 (Two) Professors (by rotation) who - Members; are not holding the post of Dean/Head to be nominated by the Vice Chancellor for a period of 01 (one) year
			f) 02 (Two) Associate Professors (by - Members; rotation)to be nominated by the Vice Chancellor for a period of 01 (one) year
			g) Registrar - Member;
			h) Controller of Examinations - Member Secretary; and
			i) Special Invitee(s), if any - Non- Member(s).
		(2)	All appointed members of the Board of Examinations shall be eligible for re-appointment.
		(3)	The Board of Examinations shall be responsible to and shall report all actions to the Academic Council.
		(1)	The Board of Examinations shall meet at least twice in a year.
[Section-27(a)]	3.22	(2)	The quorum for the meeting of the Board of Examinations shall be 3/5 (three-fifth) of the total appointed membership of the Board.
			Board of Examinations shall have the following powers and ions, namely:-
[Section-25]	3.23	(1)	To regulate and ensure smooth conduct of all examinations of the University including the entrance examinations for various courses offered by the University;
		(2)	To frame policies with regard to organizing and conducting of all examinations and improving the system of examinations;
		(3)	To finalize the schedule of dates for holding examinations and for declaring the results;
		(4)	To deal with all complaints and malpractices pertaining to conduct of examinations, assessment, evaluation and declaration of results;

- (5) To decide the quantum of punishment in case of unfair means and malpractices by the students as per the Ordinances;
- (6) To prepare the annual budget for conduct of various examinations and submit the same to the Finance Officer to include the same in the annual budget of the University;
- (7) To issue guidelines to make arrangements for strict vigilance during the conduct of examinations;
- (8) To prepare and recommend to the Academic Council all Ordinances governing conduct of all examinations of the University.
- (9) To recommend remunerations payable to external examiners/ paper setters including examiners appointed for evaluation of Doctoral thesis to the Finance Committee for the approval of the Board of Governors;
- (10) To prepare and recommend guidelines for constitution of Moderation Board(s) for various Departments/Schools and to consider and decide upon cases referred by it;
- (11) To prepare and recommend guidelines for moderation of question papers/examinations results;
- (12) To recommend to the Academic Council the Ordinances, amendment or rescindment of the same covering the examinations of the University for the approval of the Board of Governors;
- (13) To consider and decide the cases referred by the Dean Academics /Head of the Department /School or the Constituent College of the University in regard to conduct of special examination of a student due to medical/ unforeseen genuine reasons as per the Ordinance approved in this regard by the Board of Governors; and
- (14) To take all such other decisions with regard to conduct of examinations and issues related to examinations, which may be referred to it or which it may deem fit.

Other Authorities of the University [Section-27(o)]	3.24	The Board of Governors may constitute by an Ordinance other Authorities, Bodies, Committees and Sub-committees of the University along-with their constitution, powers and functions from time to time for the effective functioning of the University. Each of the Authority, Body, Committee and Sub-committee will deal with the subject assigned to it and its recommendations may be considered by the appropriate Authority of the University as decided by the Board of Governors.			
CONFER	MENT A	AND '	CHAPTER - IV WITHDRAWAL OF HONORARY DEGREES OR OTHER ACADEMIC DISTINCTIONS		
Conferment and Withdrawal of	4.01	(1)	In accordance with section 8 (1) (d) of the Act, the University can confer Honorary Degree or any other Academic Distinctions;		
Honorary Degrees or other Academic Distinctions. [Section-8(1)(d) & Section-27(h)]		(2)	The Academic Council may make proposals to the Board of Governors for the conferment of Honorary Degrees or any other Academic Distinctions upon person who are distinguished and have made noteworthy contributions;		
		(3)	The proposal for conferment of Honorary Degrees after approval of the Board of Governors shall be sent to the Visitor of the University for his consent;		
		(4)	On receipt of approval of the Visitor, the Honorary Degree shall be conferred upon the selected person by the University either in regular convocation or in a special convocation held for such an award; and		
		(5)	The Board of Governors on the recommendations of the Academic Council may withdraw the Honorary Degree conferred by the University on any person after the approval of the Visitor.		
		1	CHAPTER – V		
INSTITUTION	AND G		T OF FELLOWSHIPS, SCHOLARSHIPS, STUDENTSHIPS, EESHIPS, MEDALS AND PRIZES		
Institution and Grant of Fellowships, Scholarships, Studentships, Freeships,	5.01	(1)	Each Dean of Faculty, Principal of a Constituent College and Head of the Academic Unit shall prepare proposal for institution of fellowships, scholarships, studentships, free ships, medals and prizes and submit to the Vice Chancellor for consideration;  The Vice Chancellor in consultation with the Finance Committee		
Medals and Prizes.		(-)	and the Academic Council, shall submit his recommendation to the Board of Governors. The Board of Governors shall have the power for institution of fellowships, scholarships, studentships,		

[Section-8(1)(e) &			free ships, medals and prizes in various Faculties/Schools;
Section-27 (i) & (l)]		(3)	The Board of Governors shall have full powers to award, suspend, withdraw or cancel any fellowships, scholarships, studentships, free ships, medals and prizes approved by it; and
		(4)	The procedure for grant of fellowships, scholarships, studentships, free ships, medals and prizes shall be as per the Ordinances made in this regard by the Board of Governors.
			CHAPTER – VI
MANNER O	F CO-C	)PER	ATION WITH OTHER UNIVERSITIES OR INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING
Manner of Cooperation with other Universities or Institutions of Higher Learning [Section-27 (g)]	6.01	(1)	On the recommendation of the Academic Council and with prior approval of the Board of Governors, the Board of Management shall have the power to establish co-operation and collaboration with other Institutions, Organizations, Universities, Individuals, Industries and Societies in India and abroad for promoting excellence in teaching, academics, trainings, research and consultancy based on mutually agreeable terms & conditions;
		(2)	The Board of Governors, on the recommendations of the Academic Council with the concurrence of the Department and Faculty/School, may recognize any other External Institute or R & D Organization for carrying out research for the award of the Research Degree of the University; and
		(3)	Any candidate having requisite qualifications & desirous of carrying out research work at such recognized Institutes for research degrees of the University, shall make an application to the Vice Chancellor of the University. The application so received shall be processed by the Board of Research of the University and, if approved by the Board, the candidate shall be permitted to start work at the intended institution.
			CHAPTER – VII
ESTABLISHM	ENT, M	AINT	ENANCE AND RECOGNITION OF REGIONAL CENTRES AND STUDY CENTRES
Establishment, Maintenance and Recognition of Regional Centres and	7.01	(1)	On the recommendation of the Board of Management in consultation with the Finance Committee, the Board of Governors, may establish, recognize or close Regional Centres and Study Centres; and
Study Centres [Section-8(1)(g)]		(2)	The procedure for maintenance of Regional Centres and Study Centres shall be as laid down in the Ordinances.

### CHAPTER - VIII

# NUMBER OF SEATS IN DIFFERENT PROGRAMS/ COURSES OF STUDIES AND THE PROCEDURE FOR ADMISSION OF STUDENTS TO SUCH PROGRAMS/ COURSES INCLUDING RESERVATION OF SEATS FOR PERMANENT RESIDENT OF UTTARKHAND

		1	
Number of Seats in different Programs/	8.01	(1)	The total number of seats in different programs/courses of the University shall be decided on recommendation of the Board of Management and approval of the Chairman, Board of Governors;
Courses of Studies and the Procedure for Admission of Students to		(2)	The number of seats in different programs/courses of the University may be increased or decreased on recommendation of the Board of Management and subject to approval of the Chairman, Board of Governors;
such Programs/ Courses including reservation of seats for		(3)	The eligibility criteria for admission in various programs/courses conducted by the University shall be as laid down in the Ordinances;
permanent resident of Uttarakhand [Section-27(j)]		(4)	Admission to all the courses/programs shall be made on the basis of merit/rank in the entrance examinations conducted by the University or by any other examining body/board recognized and approved by the Board of Management with the approval of the Chairman, Board of Governors;  Provided that where it is not mandatory to conduct an entrance examination, the admission shall be made based on the merit in the qualifying examination;
		(5)	The reservation of seats for permanent residents of State of Uttarakhand in various programs/courses shall be as per the provisions of sub-section 1 of Section 33 of the Act; and
		(6)	If the seats reserved for the students of Uttarakhand remain vacant after the last date of admission fixed by the University in this regard, the University shall admit other students to the said vacant seats.
	1	1	CHAPTER - IX
i			

## DISCIPLINARY ACTION AGAINST STUDENTS OF THE UNIVERSITY AND RIGHT TO APPEAL

Disciplinary action against students of the	9.01	(1)	The University shall lay down Ordinances for the ways and means to enforce discipline amongst the students, whether day scholars or hostellers, irrespective of their caste, color, gender,
University and right to appeal [Section-27(n)]		(2)	religion or place of birth.  All powers relating to discipline & disciplinary action shall vest in the Vice Chancellor who may delegate all or such powers, as

- he deems fit, to such other Person/Committee as he may specify in this regard.
- (3) Any act of indiscipline by a student shall be reported to the Vice Chancellor in writing through the Dean of the concerned Faculty/School, the Controller of Examinations, the Head of Department, the Librarian or any other Officer designated by the Vice Chancellor.
- (4) At the time of admission, every student shall be required to sign a declaration that he shall abide by the Ordinances of the University and shall maintain discipline as per the norms of the University. During the term of his studies in the University, he shall not indulge in any act of indiscipline, failing which appropriate disciplinary action shall be taken against him as per the Statutes, Rules and Ordinances made in this regard.
- (5) Without prejudice to the generality of powers to enforce discipline under the Statutes, the following will amount to an act of gross indiscipline:-
  - (a) Physical assault or threat to use physical force against any officer, academic staff, administrative staff, other employee or student of the University;
  - (b) Use of verbal/written abuses, derogatory or unparliamentary language/ terms against any officer, academic staff, administrative staff, other employee or student of the University;
  - (c) Carrying, or use of, or threat to use, any weapons, prohibited items or chemicals;
  - (d) Any violation of provisions of the Protection of Civil Rights Act, 1955;
  - (e) Violation of status, dignity and honour of students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes;
  - (f) Any gender related verbal or other derogatory act;
  - (g) Creating ill-will or intolerance on religious or communal grounds;
  - (h) Any act of bribery or corruption;
  - (i) Any act of malpractice related to any examination conducted by the University;

- (i) Willful damage to any property of the University;
- (k) Causing disruption in any manner in the functioning of the University;
- (l) Possession and/or use of banned/prohibited substances such as tobacco products, alcohol, narcotics, etc., within the premises of the University, its Constituent Colleges, Departments, Regional Centres, Study Centres etc., including in-campus or out-campus hostels of the University;
- (m) Ragging; and
- (n) Any other act of commission or omission which constitutes indiscipline in the view of the Disciplinary Authority.
- (6) Without prejudice to the generality of his powers relating to maintenance of discipline, the Vice Chancellor may, on the recommendation of a Committee constituted in this regard or on his own, order or direct that any student:-
  - (a) Be under disciplinary probation for a stated period; or
  - (b) Be suspended for a stated period; and/or
  - (c) Be fined monetarily with a specified amount; and/or
  - (d) That the result of the concerned student in the examination in which he has appeared be withheld for a stated period or cancelled, and/or
  - (e) Be debarred from one or more examinations conducted by the University; and/or
  - (f) Be rusticated for a stated period; or
  - (g) Be expelled from the University; or
  - (h) Any other punishment which the Vice Chancellor may deem fit under the law.
- (7) The decision of the Vice Chancellor regarding punishment shall be final subject to the right to appeal by the aggrieved student within 10 (ten) days of passing the punitive order to the Chancellor. The decision of the Chancellor regarding the punitive order shall be final and binding; and
- (8) Without prejudice to the powers of the Vice Chancellor and the Officers, detailed Ordinances of discipline and proper conduct shall be laid down.

			CHAPTER – X
GRIEVA	NCE RE	DRE	SSAL AND RESOLVING OF DISPUTES FOR STUDENTS
Grievance Redressal and Resolving of Disputes for Students [Section-27 (e),	10.01	(1)	The Vice Chancellor shall, in consultation with the Chancellor, appoint a senior teacher as the Dean of Students Welfare to oversee the grievance redressal, resolving of disputes and welfare of the students. The Dean Student Welfare shall be the Ex. Officio Chairman of the Grievance Redressal Committee;
& Section-35]		(2)	Grievances or complaints, if any, from students shall be heard by the Dean/Associate Dean of Students Welfare and he may make appropriate recommendations to the Vice Chancellor. The Vice Chancellor may through a committee or on his own verify and review the facts of the case and shall take such a decision which shall be in the best interest of the student and the University within the provisions of the Statutes, the Rules and the Ordinances made in this regard;
		(3)	In respect of any in-house proceedings on grievances, complaints or disputes, no outside individual or agency shall be entitled to have access;
		(4)	Suitable Ordinances to prescribe the mechanism for grievance redressal and resolving of disputes for students will be laid down by the Board of Management with the approval of Board of Governors; and
		1	CHAPTER- XI
CREATIO	ON, ABO	LITI	ON OR RESTRUCTURING OF DEPARTMENTS AND FACULTIES
Creation, Abolition or Restructuring of Departments and Faculties [Section-27(f)]	11.01	(2)	The Board of Management on the recommendation of the Academic Council shall create and/or abolish academic Departments and Faculties subject to the approval of the Board of Governors; and  The Board of Management on the recommendation of the Academic Council shall re-structure any Department/Faculty/School subject to the approval of the Board of Governors.
CREATION Creation, Abolition or Restructuring of Departments and Faculties	, 	(3) (4) (1)	the Dean/Associate Dean of Students Welfare and he may ma appropriate recommendations to the Vice Chancellor. The V Chancellor may through a committee or on his own verify a review the facts of the case and shall take such a decision whishall be in the best interest of the student and the Universe within the provisions of the Statutes, the Rules and Ordinances made in this regard;  In respect of any in-house proceedings on grievances, complai or disputes, no outside individual or agency shall be entitled have access;  Suitable Ordinances to prescribe the mechanism for grievar redressal and resolving of disputes for students will be laid do by the Board of Management with the approval of Board Governors; and  CHAPTER-XI  ON OR RESTRUCTURING OF DEPARTMENTS AND FACULTIES  The Board of Management on the recommendation of Academic Council shall create and/or abolish academ Departments and Faculties subject to the approval of the Board Governors; and  The Board of Management on the recommendation of Academic Council shall re-structure and Department/Faculty/School subject to the approval of the Board Department/Faculty/School subject to the approval of the Board

		CRE	CHAPTER - XII ATION AND ABOLITION OF POSTS	
Creation and Abolition of Posts [Section-27(m)]	12.01	The admi	Board of Governors shall create and/or abounistrative and other staff on the recommen agement.	<u>-</u>
			CHAPTER – XIII  T AND THE CONDITIONS OF SERVICE  FF, ADMINISTRATIVE STAFF AND OF  OF THE UNIVERSITY	
Mode of Recruitment and the Conditions of Service of the Other Officers, Academic Staff, Administrative Staff and Other Employees of the University [Section-27 (d)]	13.01	(1) (2) (3) (4)	Eligibility criteria for appointment of of administrative staff and other employees be as laid down in the Ordinances.  All officers, academic staff, administratemployees of the University shall be gove conditions of their appointment and by the University as laid down in the Ordinance Subject to the provisions of the Act and the a Selection Committee for making appointment of officers, academic staff, a other employees of the University.  The Selection Committee for Professor following members, namely:-  a) The Vice Chancellor  b) A Professor (may be external) nominated by the Chairman, Board of Governors  c) Dean Academics  d) 02 (two) subject experts (preferably external) nominated by the Vice Chancellor, out of a panel of	ative staff and other erned by the terms and he Code of Conduct of ces.  The Statutes, there shall recommendations for administrative staff and
			names recommended by the Academic Council approved by the Chancellor	- Members.

(5)	The Selection Committee for Associate //consist of the following members, namely	
	a) The Vice Chancellor	- Chairman;
	b) A Professor (may be external) nominated by the Chairman, Board of Governors	- Member;
	c) Head of the concerned Department (provided he is a Professor in case of Associate Professor)	- Member;
	d) 02 (two) subject experts (preferably external) nominated by the Vice Chancellor, out of a panel of names recommended by the Academic Council approved by the Chancellor	- Members;
(6)	The Selection Committee for the Adm University shall consist of the following n	
	a) Vice Chancellor	- Chairman;
	b) Pro Vice Chancellor (if any)	- Member;
	c) A person nominated by the Chairman, Board of Governors	- Member;
	d) Head of the Department (wherever applicable)	- Member;
	e) An area expert to be nominated by the Vice Chancellor	- Member; and
	f) Registrar	-Member Secretary.
(7)	The Selection Committee for all other I included in the sub-clause (4), (5) and (6 shall consist of the following members, na	6) above of the Statutes
	a) Registrar	- Chairman
	b) A person nominated by the Vice Chancellor	- Member; and
	c) 02 (two) members nominated by the Vice Chancellor of which at least 01 (a shall be an area expert	one) - Members.
(8)	The meetings of the Selection Committee the Registrar on the direction of the Vice required.	

- (9) Quorum for all the Selection Committees as mentioned above shall be 1/2 (one-half) however at least one external expert member must be present of the total appointed members.
- (10) Based on the recommendations of the Selection Committee and on approval of the Chairman, Board of Governors, the Registrar shall issue the appointment order containing terms and conditions of the appointment.
- (11) The type & nature of appointment, emoluments, terms & conditions of appointment of all other officers, academic staff, administrative staff and other employees of the University shall be as laid down in the Ordinances.
- (12) The age of superannuation of other officers, academic staff, administrative staff and other employees of the University shall be as laid down in the Ordinances.
- (13) The Vice Chancellor, with prior approval of the Chairman, Board of Governors may extend the service of any officer, academic staff, administrative staff and other employee beyond the age of superannuation for such period and on such terms and conditions as decided by the Chairman, Board of Governors.
- (14) Other officers, academic staff, administrative staff and other Employees of the University shall be appointed under a written employment contract, which shall be kept under the control of the Registrar of the University and a copy of the same shall be furnished to the employee concerned duly signed by him as an acknowledgement and acceptance of all the terms and conditions mentioned therein.
- (15) All academic staff and administrative staff of the University shall be paid their remuneration electronically or by account payee cheque.
- (16) The University will ensure that no vacancy of a teacher shall be vacant during the academic year. In case of exigency, ad-hoc teachers may be appointed by internal selection committees constituted by the Vice Chancellor, for a short term not exceeding 01 (one) year, to fulfill the vacant academic posts.
- (17) For all the regular appointments, the minimum period of probation shall be 01 (one) year extendable by a maximum period of 01 (one) more year in case of unsatisfactory performance. The probation at the end of 01 (one) year shall be extended automatically, unless confirmed by a specific written order before expiry of the first year of probation.

(18)All Academic staff members would be required to undertake additional responsibilities as entrusted by the University in the interest of the students and the University. **(19)** An officer, academic staff, administrative staff or other employee may resign from his post by submitting his signed letter of resignation in writing addressed to the Appointing Authority by giving notice as per the terms & conditions of his appointment. (20)All officers, academic staff, administrative staff and other employees of the University shall for the purpose of their employment, be deemed to be under the contract of personal service. Therefore, continuation of the employment cannot be enforced in case of termination, expulsion, removal, discharge on resignation or cessation of the employment for any reason whatsoever. **(21)** The University may also engage external service providers. Such external service providers or persons employed by them shall not have any claim to be the employees of the University. **CHAPTER – XIV** DISCIPLINARY ACTION AGAINST OFFICERS, ACADEMIC STAFF, ADMINISTRATIVE STAFF AND OTHER EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY **Disciplinary** 14.01 **(1)** All employees of the University shall at all times maintain absolute integrity and devotion to their duty and shall observe the action against code of conduct as set out by the University. A breach of any of Officers, the provisions of the code of conduct shall be deemed to be a Academic Staff, misconduct/indiscipline within the meaning of the Statutes. **Administrative** Staff and other **(2)** authority for officers, The disciplinary academic staff, **Employees of** administrative staff and other employees of the University shall the University be as laid down in the Ordinances. [Section-27 (n) & 14.02 Any employee of the University may be penalized, punished, suspended, dismissed, or his service may be terminated by the **Section-34(2)**] disciplinary authority on one or more of the following grounds as per the procedure laid down in the Ordinances in this regard:-**(1)** Willful neglect of duty; Insubordination, misconduct or intemperance; **(2) (3)** Breach of any contract of service; **(4)** Breach of any of the conditions of appointment; Failure or inefficiency in the discharge of duties; **(5)** 

Violation of one or more clauses or provisions of code of conduct

**(6)** 

- of the University;
- (7) Violation of one or more clauses or provisions of the leave policy of the University;
- (8) Dishonesty connected with University examinations or any other work entrusted by the University;
- (9) Scandalous conduct;
- (10) Convicted by the court of law for any criminal offence or an offence involving moral turpitude;
- (11) Submission of fraudulent/ false information to seek the post;
- (12) Physical or mental unfitness;
- (13) Abolition of the post;
- (14) Abandonment of job continuous absence for period of more than 08 (eight) days without prior approval or over staying the leave for more than 08 (eight) days without further approval; and
- (15) If found guilty in a case of sexual harassment against any employee or student of the University.

### **14.03** Penalties/Punishment for misconduct:

- (1) An officer, academic staff, administrative staff or employee of the University may be put under suspension with or without wages/salary and after the completion of the enquiry/investigation the concerned officer, academic staff, administrative staff or employee, who is adjudged to be guilty of misconduct, based on the gravity of the misconduct, is liable to be punished as follows:
  - a) Minor punishment:
    - (i) Warning;
    - (ii) Fine; and
    - (iii) Recovery of the amount of loss.
  - b) Major punishment:
    - (i) Withholding of increments for any specific period with or without cumulative effect;
    - (ii) Stoppage of increments;
    - (iii) Demotion to lower post, lower grade or lower place in the scale of pay; and
    - (iv) Termination/Dismissal from service.
  - c) The order of punishment shall be communicated to the concerned officer, academic staff, administrative staff or employee in writing.
- (2) The decision of the Disciplinary Authority regarding punishment awarded shall be final subject to the right to appeal by the

	1	aggrieved.
	14.04	<ul><li>(1) An aggrieved officer, academic staff, administrative staff or employee shall have the right to appeal against the punitive order to the Appellate Authority defined below:-</li></ul>
		<ul> <li>a) In case of the punitive order being passed by the Vice Chancellor, the Appellate Authority shall be the Chancellor of the University.</li> </ul>
		b) In case of the punitive order being passed by the Chancellor, the Appellate Authority shall be the Chairman, Board of Governors of the University.
		(2) The decision of the Appellate Authority regarding punitive action shall be final and binding.
	14.05	The Board of Governors of the University shall make Ordinances to regulate and enforce discipline amongst the employees including the officers and teachers of the University.
		CHAPTER – XV
DEGOT	TILLIO P	
		ISPUTES BETWEEN THE UNIVERSITY AND ITS OFFICERS, MEMBERS, AND EMPLOYEES; GRIEVANCE REDRESSAL
Resolving disputes between the University and its officers, faculty	15.01	(1) The Board of Management shall establish appropriate grievance redressal mechanism for dealing with grievances, if any, from officers, teachers and other employees of the University. For this purpose, there shall be a Grievance Redressal Cell headed by a senior Professor of the University nominated by the Vice Chancellor.
members, and employees [Section-27(e) Section-34(3) & Section-35]		(2) An aggrieved employee, after exercising the option of the Grievance Redressal Cell, may file an appeal against the decision to the Board of Management within 10 (ten) days of passing of the order. The decision of the Board of Management regarding this will be final and binding.
		(3) Any grievance/dispute of officers, teachers and other employees of the University shall be settled by the appropriate Authority normally within 03 (three) months from the date of its reference.
		(4) Suitable Ordinances to prescribe the mechanism for grievance redressal and resolving of disputes for teachers and staff and its constitution will be laid down by the Board of Governors on the recommendation of the Board of Management.

### CHAPTER - XVI

### OPERATION AND MAINTENANCE OF THE PERMANENT ENDOWMENT FUND, THE GENERAL FUND AND THE DEVELOPMENT FUND

# Operation and Maintenance of the Permanent Endowment Fund, the General find and the Development Fund [Section-27(b) & Section-45]

### 16.01

The following funds shall be maintained by the Finance Committee of the University under the complete supervision and control of the Board of Governors of the University:

### (1) Permanent Endowment Fund:

The University shall establish a permanent endowment fund of Rs. Five (05) crore in the form of a Bank Guarantee of a Nationalized Bank pledged in the name of State Government of Uttarakhand, tenure of which shall be of five (05) years and after that shall be renewed for five (05) years again.

### (2) General Fund:

- a) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited, namely:-
  - (i) All fees which may be charged by the University;
  - (ii) All sums received from any other source;
  - (iii) All contributions made by the Promoting Society for the purpose of general fund; and
  - (iv) All contributions/donations made in this regard by any person or body, which are not prohibited by any law for time being in force.
- b) The funds credited to the general fund shall be utilized to meet the recurring expenditure of the University. However, if there is any surplus from the general fund, it may be utilized for such purposes as decided by the Promoting Society.

### (3) Development Fund:

- a) The University shall also establish a development fund to which the following funds shall be credited, namely:-
  - (i) Development fees which may be charged from students;
  - (ii) All sums received from any other source for the purpose of the development of the University;
  - (iii) All contributions made by the Promoting Society for the

			purpose of development fund;
			(iv) All contributions/donations made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for time being in force; and
			(v) All incomes received from the Permanent Endowment Fund.
			b) The funds credited to the development fund from time to time will be utilized for the development of the University or for such purposes as decided by the Promoting Society.
		DIC	CHAPTER – XVII
	1		SOLUTION OF THE UNIVERSITY
Dissolution of the University [Section-49(4)]	17.01	(1)	On receipt of the proposal for dissolution of the University as per the provisions of sub-section 1 of Section 49 of the Act, the State Government shall fix the date for dissolution;
		(2)	From the date of dissolution so fixed by the State Government, no further admission shall be made to any of the courses/programs of the University;
		(3)	The Authorities and Officers of the University shall continue to function till the last batch has passed out from the University;
		(4)	The fees collected from the students enrolled in the University, and amounts received from other sources shall continue to be deposited in the accounts of the University;
		(5)	From the date of passing out of the last batch of students of the University, the University shall be considered dissolved and subject to provisions of the Act, all the assets, moveable and immovable properties of the University or assigned by the Promoting Society to the University, shall stand transferred to and vest in the Promoting Society; and
		(6)	Subject to the provisions of Section 49 of the Act, on dissolution of the University the assets, moveable and immoveable properties created by the University or assigned by the Promoting Society to the University, shall stand transferred to and vest in the Promoting Society.
	1		CHAPTER – XIII

	MISCELLANEOUS				
Provident Fund and Pensions [Section-36]	18.01	The University for the benefits of its full time regular employees shall provide the facility of the Employees' Provident Funds Scheme as per the applicable norms as decided by the Board of Governors in consultation with the Board of Management and the Finance Committee.			
Disputes as to the Constitution of University Authorities and Bodies [Section-27(o)]	18.02	If any question arises as to whether any person has been duly nominated or appointed as, or is entitled to be a member of any Authority or any Body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final. In case of the Board of Governors, the decision of the Chairman, Board of Governors shall be final.			
Constitution of Committees/ Sub- Committees [Section-27(o)]	18.03	Any Authority of the University can constitute a Committee/Sub-committee for such purpose and with such powers as the Authority may deem fit in the area of its functioning, for discharging that function and for enquiring into, reporting or advising upon any matter under its jurisdiction.			
Delegation of Powers [Section-27(o)]	18.04	Subject to the provisions of the Act and the Statutes, any Officer or Authority of the University may delegate his or its powers to any other Officer or Authority or Committee/Sub-committee or person under their control;  Provided that overall responsibility for exercise of powers so delegated shall continue to rest in the Officer or Authority delegating such powers.			
Actions/ Proceedings not invalidated on account of vacancy [Section-27(o)]	18.05	No Action or Proceedings of any Authority or any Body or any Committee of the University shall be invalid merely for reasons of any vacancy or defect in the constitution of the said Authority/Body/Committee.			
Special Invitee [Section-27(o)]	18.06	Any Authority or Body of the University shall have the power to invite an expert to attend its meeting when required. Such a Special Invitee shall attend the meeting of the Authority or Body to give his expert opinion on the subject matter and shall leave the meeting thereafter. Such a Special Invitee shall not have the power to vote.			
Proceedings of Meetings of an Authority [Section-27(o)]	18.07	<ul> <li>(1) Proceedings of meetings of an Authority of the University shall be recorded by the Secretary of the meeting of the Authority and shall be signed by the Secretary and Chairman of the meeting.</li> <li>(2) If the Secretary of the Authority is unable to attend the meeting of the Authority, the Chairman shall appoint a member of the</li> </ul>			

		Authority to act as Secretary for that particular meeting.
		(3) A signed copy of the minutes of each meeting of the Authorities of the University shall be sent to the Chairman Board of Governors and the Chancellor by the Registrar.
Business By Circulation [Section-27(o)]	18.08	If the situation so requires, a business of the Authority of the University may, with prior approval of the Chairman of the concerned Authority, be transacted by circulating all relevant papers and an appropriate resolution thereon, amongst its members. Any resolution so circulated and approved by a simple majority shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at the meeting of the Authority. The resolution so passed shall be placed before the next meeting of the Authority for ratification.
Resignations [Section-27(o)]	18.09	Any member other than the ex-officio member(s) of any Authority of the University may resign by submitting a letter addressed to the Secretary of the concerned Authority and the resignation shall take effect as soon as it is accepted by the Chairman of that Authority.
Disqualification [Section-27(o)]	18.10	(1) A person shall be disqualified for being chosen as and/or being a member of any of the Authorities of the University:
		<ul> <li>a) If he is of unsound mind;</li> <li>b) If he is an un-discharged insolvent;</li> <li>c) If he has been convicted by the court of law for any offence;</li> <li>d) If he is medically unfit; or</li> <li>e) If he does not attend 03 (three) continuous meetings of the concerned Authority of which he is a member (except Exofficio members).</li> <li>(2) If any dispute arises regarding disqualification of any person as per clause (1) above, the matter shall be referred by the Vice Chancellor to the Chairman, Board of Governors and his decision</li> </ul>
E.H	10.11	shall be final.
Filling of Casual Vacancies [Section-27(o)]	18.11	Casual vacancies among the members (other than ex-officio members) of any Authority or any Committee/Body of the University shall be filled as soon as it may be convenient by such Authority or person who appointed or nominated the member whose place has become vacant and the person thus appointed or nominated against a casual vacancy shall be a member of such Authority or Committee for the residual term for which the person whose place he fills would have been a member.
Allocation and	18.12	The Board of Governors shall have the power to grant and disburse

Disbursement of Grants to other Universities or Educational Institutions [Section-8(2)] Provisions Relating to Self Disclosure [Section-27(o)]	18.13	funds to any other University or Educational Institution for various academic and research purposes.  In order to ensure transparency and self-disclosure norms, the University shall provide details with regard to the Promoting Society, infrastructural details, academic and administrative staff details, contact details etc. as required by the UGC through its Website.
Withdrawal of Degrees/ Diplomas and Certificate [Section-27(o)]	18.14	<ul> <li>The Board of Management on the recommendation of the Academic Council may withdraw Degrees, Diplomas, Certificates or other academic distinctions from persons who have already been conferred with such distinctions on discovery of the following grounds:-</li> <li>(1) Submission of false information, suppression of facts, fraudulent alteration of facts while seeking admission to any course/program of the University;</li> <li>(2) Impersonation to seek admission or subsequent examinations;</li> <li>(3) Irreproducible results or plagiarism in thesis/dissertations;</li> <li>(4) Willful default in payment of University dues; and</li> <li>(5) Any other reason as determined by the Academic Council.</li> </ul>
Convocation [Section-27(o)]	18.15	<ol> <li>Convocation for conferring degrees, diplomas and other academic distinctions may be held by the University annually. The date and time for convocation shall be fixed by the Board of Governors on the recommendation of the Academic Council.</li> <li>A special convocation may be held by the University with approval of the Chancellor.</li> <li>The procedures and protocols of the Convocation shall be as laid down in the Ordinances.</li> <li>In absence of the Visitor, the Chancellor shall preside over the Convocation of the University. In absence of both the Visitor and the Chancellor, the Pro Chancellor, if any, shall preside over the convocation. In the absence of all three (the Visitor, the Chancellor and the Pro Chancellor) the Vice Chancellor shall preside over the Convocation.</li> </ol>

		diplomas, and other academic distinctions may be handed over personally or dispatched to the candidates concerned by registered post.
Jurisdiction [Section-27(o)]	18.16	All disputes pertaining to affairs of the University shall be subject to jurisdiction of the Honorable High Court of the State of Uttarakhand.

Notation: These Statutes shall be read in conjunction with the Act.

### डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, 2014

डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 10 वर्ष 2013) की धारा—27 व सपठित धारा—28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल विश्वविद्यालय से संबंधित या उससे आनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए निम्नवत प्रथम परिनियम अनुमोदित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं —

				अध्याय-एक	
	Π	1		प्रारम्भिक	
संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ	1.01	(1)	इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम डी०आई०टी० विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, 2014 है।		
[धारा—28(1)]		(2)	बना उ परिनि की रा	परिनियमों के प्रभावी होने के पश्चात्, व्यवस्थापक मण्डल नए या अतिरिक्त परिनियम सकेगा या विद्यमान परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा। ऐसे नए / संशोधित यम विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन द्वारा प्रवृत्त होंगे तथा उत्तराखण्ड ज्य सरकार को, अधिनियम की धारा 28(2) एवं 29 के अधीन, उसके अनुमोदन के लिए किये जायेंगे।	
परिभाषाएं	1.02	(1)	जब त	क कि सन्दर्भ में अन्यथा कोई अपेक्षित न हो, इन परिनियमों में:	
[धारा—27(ण)]			(ক)	'शैक्षणिक कर्मी' से विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारी अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय, इसके संघटक महाविद्यालयों, विभागों, संकायों, स्कूलों, क्षेत्रीय केन्द्रों व अध्ययन केन्द्रों, इत्यादि, में शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध व परामर्श कार्यों के लिए नियुक्त किये गये हों;	
			(ख)	'अधिनियम' से डी०आई०टी० विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१२ अभिप्रेत है;	
			(ग)	'प्रशासनिक कर्मी' से विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारी अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय, इसके संघटक महाविद्यालयों, विभागों, संकायों, स्कूलों, क्षेत्रीय केन्द्रों व अध्ययन केन्द्रों में प्रशासनिक कार्यों के लिए नियुक्त किये गये हों;	
			(ঘ)	'शोध मण्डल' से विश्वविद्यालय के शोध मण्डल अभिप्रेत है;	
			(ভ)	'अध्यक्ष' व 'सह अध्यक्ष' से क्रमशः विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल के 'अध्यक्ष' व 'सह अध्यक्ष' अभिप्रेत है;	
			(च)	'कुलाधिपति', 'प्रति—कुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रतिकुलपति', 'कुलसचिव', 'परीक्षा नियंत्रक' एवं 'वित्त अधिकारी' से क्रमशः विश्वविद्यालय का 'कुलाधिपति', 'प्रति—कुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रतिकुलपति', 'कुलसचिव', 'परीक्षा नियंत्रक' एवं 'वित्त अधिकारी' अभिप्रेत हैं;	
			(ঘ)	'खण्ड' व 'उपखण्ड' से परिनियमों के 'खण्ड' व 'उपखण्ड' जिसमें उसकी अभिव्यक्ति होती है, अभिप्रेत हैं;	
			(ज)	'संकायाध्यक्ष' व 'सह संकायाध्यक्ष' से विश्वविद्यालय के संकाय / स्कूल के 'संकायाध्यक्ष' व 'सह संकायाध्यक्ष' एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों के 'संकायाध्यक्ष' व 'सह संकायाध्यक्ष' अभिप्रेत हैं;	
			(झ)	'कर्मचारी' से विश्वविद्यालय द्वारा नियमित एवं पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त कर्मचारी	

				अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, परन्तु अंशकालिक कर्मचारी अथवा बाह्य सेवा प्रदाताओं से उपलब्ध कराये गये कर्मचारी सम्मिलित नहीं होंगे;
			(স)	'संकाय' से विश्वविद्यालय के संकाय / स्कूल अभिप्रेत है जिनमें एक या एक से अधिक विभाग सम्मिलित हैं तथा जिसमें एक या एक से अधिक विषयों में अध्ययन, प्रशिक्षण, शोध व परामर्श कार्य किया जा रहा हो;
			(ਟ)	'विभागाध्यक्ष ' से विश्वविद्यालय के संबन्धित विभाग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
			(ਰ)	'अंशकालिक कर्मचारी' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जोकि किसी विशिष्ट कार्यों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अश्यागत/अतिथि/तदर्थ/संविदा के आधार पर निर्धारित अल्पाविध के लिये अभियोजित किये गये हों तथा ऐसे व्यक्ति विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं समझे जायेंगे और इनमें बाह्य सेवा प्रदाताओं से उपलब्ध कराये गये व्यक्ति भी सम्मलित नहीं होंगे;
			(ভ)	'स्कूल' से विश्वविद्यालय के संकाय / स्कूल अभिप्रेत है जिनमें एक या एक से अधिक विभाग सम्मिलित हैं तथा जिसमें एक या एक से अधिक विषयों में अध्ययन, प्रशिक्षण, शोध व परामर्श कार्य किया जा रहा हो;
			(ৱ)	'धारा' व 'उपधारा' से अधिनियम की 'धारा' व 'उपधारा' अभिप्रेत है; तथा
			(আ)	'विश्वविद्यालय' से 'डी०आई०टी० विश्वविद्यालय', उत्तराखण्ड अभिप्रेत है जिसमें उसके संकाय, स्कूल, विभाग, संघटक महाविद्यालय, कैरियर एकेडमी सेंटर, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र तथा विभिन्न परिसर जो कि राज्य के अन्दर या बाहर स्थित हों, भी सिम्मिलित हैं।
		(2)	एकवन् होगा।	वन दर्शाने वाले शब्द में बहुवचन भी सम्मिलित है एवं तद्नुसार इसके विपरीत भी मान्य
		(3)	किसी	लिंग को दर्शाने वाले शब्दों में सभी लिंग सम्मिलित हैं।
		(4)		ाब्दों और अभिव्यक्तियों को, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम भाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।
				अध्याय—दो
				विश्वविद्यालय के अधिकारी
व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष	2.01	(1)		प्रापक मण्डल के अध्यक्ष व सह अध्यक्ष को, निर्धारित समय अवधि के लिए, प्रायोजित द्वारा अपने सदस्यों में से नामित किया जायेगा।
व सह अध्यक्ष [धारा—19,धारा— 21 (1)(क) और		(2)		प्रापक मण्डल के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सह अध्यक्ष उनकी शक्तियों का प्रयोग और वों एवं कार्यों का निर्वहन करेंगे।
धारा— 27(ण)]		(3)		जेत संस्था समय—समय पर, विश्वविद्यालय द्वारा अध्यक्ष व सह अध्यक्ष को प्रदान किये वाले भुगतान/मानदेय, भत्ते तथा परिलाभ निश्चित् करेगी।
	2.02	अध्यक्ष	की नि	ाम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:—

- (1) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का पदेन प्रमुख होगा और विश्वविद्यालय के समस्त कार्यों का सम्पूर्ण नियंत्रण करेगा;
- (2) अध्यक्ष, व्यवस्थापक मण्डल की बैठक को, ऐसे समय और ऐसे स्थान पर जैसा वह उचित समझे, आहूत करेगा एवं उसकी अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सह अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा:
- (3) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह और सभी आयोजनों तथा समारोहों में मुख्य संरक्षक होंगे;
- (4) जब कोई तात्कालिक स्थिति उत्पन्न हो और अध्यक्ष की राय में विद्यमान परिस्थितियों में, अल्पकालिक सूचना पर, व्यवस्थापक मण्डल की बैठक बुलाना सम्भव या सुविधाजनक न हो, तो वह विश्वविद्यालय के हित में, जैसा वह उचित व आवश्यक समझें, उपयुक्त निर्णय अथवा कार्यवाही कर सकेंगे। ऐसे निर्णयों को लागू किये जाने की दिशा में, अध्यक्ष को, विश्वविद्यालय के सभी या किसी प्राधिकारी, अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी, अन्य कर्मचारी और /अथवा छात्रों को कोई आदेश या निर्देश जारी करने की पूरी शक्ति होगी, और वे ऐसे आदेशों और निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे। अध्यक्ष, किसी भी समय उसके द्वारा जारी किसी आदेश अथवा निर्देश को संशोधित अथवा प्रत्यावर्तित कर सकेंगे। ऐसे सभी निर्णय व्यवस्थापक मण्डल की आगामी बैठक में सूचित किये जायेंगे;
- (5) अध्यक्ष द्वारा, उपरोक्त उपखण्ड 04 (चार) के अंतर्गत उसकी शक्तियों के प्रयोग में लिये गये किसी अथवा सभी कार्यवाहियों या निर्णयों को, विश्वविद्यालय के परिनियमों, नियमों और अध्यादेशों अथवा किसी प्राधिकारी के परामर्श/अनुमोदन/पुष्टि के अभाव के अथवा किसी अन्य कारण से असंगत होने के कारण, अविधिमान्य नहीं माना जायेगा;
- (6) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों हेतु चयन समितियों, मूल्यांकन समितियों एवं पदोन्नित समितियों की बैठकों के कार्यवृत को अनुमोदित करेगा;
- (7) यदि अध्यक्ष, किसी अधिकारी / कर्मचारी के चयन / मूल्यांकन / पदोन्नित हेतु गिठत सिमिति की संस्तुति से संतुष्ट नहीं है तो, वह नया पैनल गठित करने के निर्देश जारी कर सकेगा;
- (8) अध्यक्ष, व्यय संबंधित सभी प्रस्तावों, जो कि वित्त समिति द्वारा सम्यक रूप से जांच के उपरान्त प्रस्तुत किये गये हों तथा वार्षिक आय—व्ययक में सिम्मिलित न किये गये हों, पर विचार और अनुमोदन कर सकेगा तथा व्यवस्थापक मण्डल की आगामी बैठक में इसे सूचित करेगा;
- (9) अध्यक्ष, वित्त अधिकारी द्वारा प्रस्तावित व्यय संबंधित सभी प्रस्तावों, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यपूर्ति के लिए अपरिहार्य और आवश्यक हों, तथा वार्षिक आय—व्ययक में सम्मिलित न किये गये हों और जब अल्प सूचना पर वित्त समिति की बैठक का संचालन सुविधाजनक नहीं है तो, पर विचार और अनुमोदन कर सकेगा तथा व्यवस्थापक मण्डल की आगामी बैठक में इसे सूचित करेगा;
- (10) अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझे तो स्वप्रेरणा से अथवा उसे संदर्भित किसी मामले में विचार करते समय, विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय या विभाग से ऐसे अभिलेखों या दस्तावेजों या सूचना को मांग सकेगा जिसे वह आवश्यक समझे। अध्यक्ष सभी तथ्यों की समीक्षा के उपरान्त, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा और/अथवा ऐसे किसी संकल्प या आदेश या कार्यवाही जो उसकी राय में विश्वविद्यालय के हित में नहीं है या विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों, नियमों या अध्यादेशों, जैसी स्थिति हो, के प्राविधानों के अनुरूप नहीं है, को स्थिगत या संशोधित कर सकेगा;

- (11) अध्यक्ष को स्वयं, विश्वविद्यालय के किसी अधिष्ठान/भाग, परीक्षाओं, शिक्षण, शोध, प्रशासन, वित्त, भवनों, प्रयोगशालाओं, अभिलेखों इत्यादि व उनके द्वारा किये जा रहे अन्य कार्यों के निरीक्षण करने का अथवा किसी ऐसे व्यक्ति(ओं) अथवा अधिकारी(ओं)/कर्मचारी(ओं) को निरीक्षण करने के लिए निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा। वह विश्वविद्यालय के इन अधिष्ठानों अथवा कृत्यों के संबंध में जांच करने का आदेश दे सकेगा। अध्यक्ष किसी निरीक्षण अथवा जांच के संचालन के संबंध में निर्णय स्वप्रेरणा से अथवा किसी प्रत्यावेदन के आधार पर ले सकेगा। अध्यक्ष द्वारा ऐसे निरीक्षण हेतु प्रतिनियुक्त अधिकारी/अधिकारीगण, अध्यक्ष को, ऐसे निरीक्षण/जांच के परिणाम की आख्या अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करेंगे। ऐसी आख्या केवल अध्यक्ष की समीक्षा व मूल्यांकन के लिए व गोपनीय होगी और इसे निरीक्षण/जांच के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी/अधिकारियों द्वारा या विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी द्वारा उद्घाटित नहीं की जायेगी;
- (12) अध्यक्ष, ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम एवं उस पर की जाने वाली संस्तुत कार्यवाही कुलपित को संसूचित करेगा। कुलपित ऐसी संस्तुत कार्यवाही को निर्धारित समय—सीमा के भीतर कार्यान्वित करवाने हेतु संबंधित प्राधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी को संसूचित करेगा;
- (13) संबंधित प्राधिकारी / अधिकारी / कर्मचारी, अध्यक्ष के द्वारा दी गई संस्तुति के अनुसार की गयी कार्यवाही के संबंध में कुलपित के माध्यम से उनको सूचित करेगा;
- (14) जहां, विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी, जैसी स्थिति हो, अध्यक्ष की संतुष्टि के अनुरूप संस्तुत कार्यवाही नहीं करते, तो अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किसी प्रतिनिधित्व या स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद वह ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे, तथा कुलपति अथवा संबंधित प्राधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे;
- (15) अध्यक्ष को, कुलपित के विरुद्ध किसी भी जांच के लिम्बत होने पर अथवा जहां जांच आरम्भ किये जाने की संभावना हो, आरोपों की गम्भीरता के दृष्टिगत, जैसा वह ठीक समझे, कुलपित को निलंबित करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में प्रति—कुलपित अथवा किसी निदेशक / संकायाध्यक्ष या किसी अन्य सक्षम अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा कार्यवाहक कुलपित के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा;
- (16) यदि अध्यक्ष की राय में कुलपित जानबूझकर अधिनियम, पिरिनियमों, नियमों और अध्यादेशों के उपबंधों का उल्लंघन कर रहा हो अथवा उनमें निहित शिक्तयों का दुरूपयोग कर रहा हो और यदि अध्यक्ष को यह प्रतीत होता हो कि कुलपित का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो अध्यक्ष ऐसी जांच कराने के उपरान्त, जैसा वह उचित समझे, कुलपित को हटा सकेगा। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष, अधिनियम और पिरिनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, नया कुलपित नियुक्त होने तक की अविध के लिए, कार्यवाहक कुलपित के रूप में कार्यों के निर्वहन हेतु प्रति—कुलपित अथवा किसी निदेशक/संकायाध्यक्ष अथवा किसी अन्य सक्षम अधिकारी को नियुक्त कर सकेगा;
- (17) अध्यक्ष को, या तो स्वयं अथवा कुलाधिपति या कुलपति की संस्तुति पर, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी/कर्मचारी को, लगाये गये आरोप की गंभीरता के आधार पर उसे निलंबित/निष्कासित करने का अधिकार होगा;
- (18) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कुलपित के चयन हेतु गठित समिति की संस्तुति से यदि अध्यक्ष संतुष्ट नहीं है तो वह नया पैनल गठित करने के निर्देश जारी कर सकेगा;

		(19)	अध्यक्ष को व्यवस्थापक मण्डल की ओर से, विश्वविद्यालय के बैंक खातों को खोलने, बन्द करने, संचालित तथा उनका प्रबंधन करने तथा / या इस संदर्भ में विश्वविद्यालय के विश्व अधिकारी(ओं) को अधिकृत करने का अधिकार होगा तथा विश्वविद्यालय अपने खर्चों में पारदर्शिता रखेगी;
		(20)	अध्यक्ष को, किसी सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं और अन्य सांविधिक प्राधिकारी एवं निकाय के समक्ष, विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु किसी अधिकारी या फिर उसके प्रतिनिधि को अधिकृत करने का अधिकार होगा;
		(21)	अध्यक्ष को, किसी भी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्राधिकारी के समक्ष विश्वविद्यालय की ओर से अथवा उसके विरूद्ध दायर वादों या कार्यवाहियों, मुख्तारनामा एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिये कुलसचिव के अतिरिक्त किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु, अधिकृत करने का अधिकार होगा;
		(22)	अध्यक्ष को, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति और उसके सुचारू संचालन हेतु, किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को करारनामा, सहमित ज्ञापन, अनुबंध और ऐसे अन्य दस्तावेजों को हस्ताक्षरित करने, अधिकृत करने का अथवा ऐसे अनुबंधों व ज्ञापनों को निरस्त करने का अधिकार होगा;
		(23)	इस खण्ड के पूर्वोक्त उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यक्ष लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के किसी पारित संकल्प, कार्यवाही अथवा अधिकारियों के किसी आदेश, जो विश्वविद्यालय के हित में न हों अथवा अधिनियम, परिनियमों, नियमों और अध्यादेशों से असंगत हों, को निष्प्रभावी, निलंबित अथवा संशोधित कर सकेगा;
		(24)	विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों, नियमों एवं अध्यादेशों की निर्वचन में मतभेद की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा; तथा
	(25)	(25)	अध्यक्ष, ऐसी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य सभी कर्तव्यों तथा कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा, जो उसे विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक एवं अनिवार्य हों तथा विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल व प्रायोजित संस्था द्वारा सौंपी जायेंगी तथा ऐसी शक्तियाँ, कर्तव्यों व कृत्यों का पालन करेगा जैसा कि विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों, नियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उसे प्रदत्त होंगी।
कुलाधिपति [धारा–13(2) और	2.03	(1)	प्रायोजित संस्था, अपने सदस्यों में से एक सदस्य या उनके द्वारा सर्वसम्मित से किसी अन्य को, विनिश्चित काल के लिए कुलाधिपित नियुक्त कर सकेगी।
धारा—27(त)]		(2)	यदि कुलाधिपति का पद उसके कार्यकाल से पूर्व मृत्यु, पदत्याग अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है या बीमारी या अन्य किसी कारणवश अस्थाई रुप से रिक्त होता है तो नये कुलाधिपति की नियुक्ति होने तक या प्रतिस्थानी कुलाधिपति के पुनः पदभार ग्रहण करने तक, जब तक कि प्रायोजित संस्था द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न हो तो, प्रतिकुलाधिपति, यदि कोई हो, कार्यवाहक कुलाधिपति होगा। प्रतिकुलाधिपति न होने की स्थिति में नये कुलाधिपति की नियुक्ति होने तक या प्रतिस्थानी कुलाधिपति के पुनः पदभार ग्रहण करने तक, प्रायोजित संस्था कार्यवाहक कुलाधिपति की नियुक्ति कर सकेगी। कार्यवाहक कुलाधिपति, सभी निर्णय व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष के परामर्श से लेगा।
		(3)	प्रायोजित संस्था समय–समय पर, विश्वविद्यालय द्वारा कुलाधिपति को प्रदान किये जाने वाले भुगतान/मानदेय, भत्ते तथा परिलाभ निश्चित् करेगी।

- (4) कुलाधिपति, प्रायोजित संस्था की इच्छा के अनुसार अपने पद पर रहेगा।
- (5) यदि कुलाधिपति त्याग—पत्र देना चाहता है तो वह प्रायोजित संस्था के अध्यक्ष को त्याग—पत्र भेज कर ऐसा कर सकेगा।

कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात्:-

2.04

- (1) कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा;
- (2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के कुलपति के पद के लिए चयन समिति का पद्न अध्यक्ष होगा;
- (3) कुलाधिपति इस संबंध में बनाये गये अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों के प्राविधानों के अनुसार तथा व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रति—कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी तथा परीक्षा नियंत्रक को नियुक्त करेगा;
- (4) यदि कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी / कर्मचारी के चयन हेतु गठित समिति की संस्तुति जो कि उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई हो, से असहमत है तो, वह नये पैनल के गठन के निर्देश दे सकेगा;
- (5) कुलाधिपति, व्यवस्थापक मण्डल के सिवाय, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की कार्यवाही के विवरण को मंगा सकेगा अथवा उसे संदर्भित किसी मामले पर, यदि वह उचित समझे, तो व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष को उनके विचार तथा आवश्यक निर्णय हेतु यथोचित संस्तुति दे सकेगा। यदि आवश्यक हो तो, वह किसी मामले की जिसकी वह आवश्यकता समझे, जांच करने के लिए समिति नियुक्त कर सकेगा;
- (6) कुलाधिपति, यदि आवश्यक समझे तो स्वप्रेरणा से अथवा उसे संदर्भित किसी मामले में विचार करते समय, विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय या विभाग से ऐसे अभिलेखों या दस्तावेजों या सूचना को मांग सकेगा जिसे वह आवश्यक समझे। कुलाधिपति के लिए ऐसी सूचना अथवा अभिलेखों का संज्ञान लेकर विश्वविद्यालय के हित में व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष को उनके विचार तथा आवश्यक निर्णय हेतु समुचित संस्तुति प्रदान करना विधिमान्य होगा;
- (7) कुलाधिपति को स्वयं, विश्वविद्यालय के किसी अधिष्ठान/भाग, परीक्षाओं, शिक्षण, शोध, प्रशासन, वित्त, भवनों, प्रयोगशालाओं, अभिलेखों इत्यादि व उनके द्वारा किये जा रहे अन्य कार्यों के निरीक्षण करने का अथवा किसी ऐसे व्यक्ति(ओं) अथवा अधिकारी(ओं) / कर्मचारी(ओं) को निरीक्षण करने के लिए निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा। वह किसी भी संबंधित अधिष्ठान के संबंध में जांच करने के आदेश दे सकेगा। कुलाधिपति को यह अधिकार होगा कि वह स्वप्रेरणा अथवा किसी प्रत्यावेदन के आधार पर निरीक्षण अथवा जांच के आदेश दे सके। कुलाधिपति द्वारा ऐसे निरीक्षण हेतु प्रतिनियुक्त अधिकारी/अधिकारीगण, कुलाधिपति को, ऐसे निरीक्षण/जांच के परिणाम की आख्या कुलाधिपति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करेंगे। ऐसी आख्या केवल कुलाधिपति की समीक्षा व मूल्यांकन के लिए व गोपनीय होगी और इसे निरीक्षण/जांच के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी/अधिकारियों द्वारा या विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी द्वारा उद्घाटित नहीं किया जायेगा। कुलाधिपति, व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष को उनके विचार तथा आवश्यक निर्णय हेतु, इस संदर्भ में निरीक्षण/जांच के परिणाम की आख्या सहित समुचित संस्तुति देगा;
- (8) कुलाधिपति सम्पूर्ण विश्वविद्यालय के विकास का पर्यवेक्षण करेगा और किसी भी अधिकारी / कर्मचारी को, जैसा वह उचित समझे, परामर्श दे सकेगा;

		(9)	कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध, परामर्श एवं परीक्षाओं में उत्कृष्टता बनाये रखने हेतु तथा स्थानीय, राष्ट्रीय व वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार नये संकायों / विभागों, अध्ययन के कार्यक्रमों, पाट्यक्रमों तथा ऐच्छिक विषयों को प्रारम्भ करने की पहल एवं प्रतिष्ठित संस्थानों / संस्थाओं से इस संबंध में सहयोग हेतु मार्गदर्शन प्रदान करेगा;
		(10)	कुलाधिपति, व्यवस्थापक मण्डल एवं व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा;
		(11)	कुलाधिपति यह सुनिश्चित करेगा कि, विश्वविद्यालय आवश्यक नियामक निकायों के दिशा—निर्देशों के अनुसार, और विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों, नियमों तथा अध्यादेशों की रूपरेखा के अंतर्गत कार्य कर रहा है;
		(12)	कुलाधिपति, जांच के उपरान्त, आरोप की गंभीरता के आधार पर, विश्वविद्यालय के हित में, विश्वविद्यालय के कुलपति या कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किये गये अन्य अधिकारियों को निलम्बित/हटाने की संस्तुति व्यवस्थापक मण्डल को कर सकेगा;
		(13)	कुलाधिपति को, विश्वविद्यालय की किसी प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय की बैठक में उपस्थित होने और उसे संबोधित करने का अधिकार होगा किन्तु वह मतदान में तभी प्रतिभाग कर सकेगा यदि वह उस प्राधिकारी या निकाय का सदस्य हो; तथा
		(14)	कुलाधिपति, ऐसी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य दायित्वों का निर्वहन करेगा जो उसे विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल तथा व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष द्वारा सौंपी जायेंगी तथा ऐसी शक्तियों, दायित्वों व कार्यों का पालन करेगा जो विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों, नियमों तथा अध्यादेशों के अंतर्गत उसको प्रदत्त होंगी।
प्रतिकुलाधिपति (यदि कोई हो)	2.05	(1)	प्रतिकुलाधिपति की नियुक्ति, प्रायोजित संस्था के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर तथा ऐसी अवधि के लिए की जायेगी जैसा कि प्रायोजित संस्था द्वारा विर्निदिष्ट किया जाये।
[धारा—19 और धारा—27(ण)]		(2)	प्रतिकुलाधिपति, कुलाधिपति की शक्तियों के प्रयोग तथा दायित्वों के निर्वहन में, उसको सहायता प्रदान करेगा।
		(3)	प्रतिकुलाधिपति, कुलाध्यक्ष और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।
		(4)	प्रतिकुलाधिपति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय की बैठक में उपस्थिति होने और उसे संबोधित करने का अधिकार होगा किन्तु वह मतदान में तभी प्रतिभाग कर सकेगा यदि वह उस प्राधिकारी अथवा निकाय का सदस्य हो।
		(5)	प्रतिकुलाधिपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे दायित्वों का निर्वहन करेगा जो उसे प्रायोजित संस्था, व्यवस्थापक मण्डल, अध्यक्ष एवं कुलाधिपति द्वारा सौंपे जायें।
		(6)	प्रतिकुलाधिपति, प्रायोजित संस्था की इच्छा के अनुसार अपने पद पर रहेगा।
		(7)	यदि प्रतिकुलाधिपति त्याग-पत्र देना चाहता है तो, वह प्रायोजित संस्था के अध्यक्ष को त्याग-पत्र भेज कर ऐसा कर सकेगा।
कुलपति	2.06	(1)	कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। कुलपति की परिलब्धियाँ और

# धारा-27(ग) यदि व्यवस्थापक मण्डल की राय में, विद्यमान कुलपति को अपने पद पर बना रहना चाहिए तो, विद्यमान कुलपति को, एक और अवधि के लिए अथवा ऐसी अवधि जो व्यवस्थापक मण्डल द्वारा निर्धारित की जाये, पूनर्नियुक्त किया जा सकेगा, परन्तू यह कि उक्त कुलपति सभी अर्हताओं को पूरा करता हो। अध्यक्ष, कुलपति को उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के उपरान्त व उसके उत्तराधिकारी के **(3)** कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक पद पर बने रहने का निर्देश दे सकेगा, किन्तु ऐसी अवधि सामान्यतः ०१ (एक) वर्ष से अधिक नहीं होगीं। यदि कुलपति का पद मृत्यू, त्याग–पत्र अथवा अन्य कारण से रिक्त होता है या लम्बी बिमारी या अन्य किसी कारणवश अस्थायी रूप से रिक्त होता है तो, व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष, प्रति–कुलपति अथवा किसी निदेशक / संकायाध्यक्ष अथवा विश्वविद्यालय के अन्य किसी सक्षम वरिष्ठ अधिकारी को, कार्यवाहक कुलपति नामित कर सकेंगे। कार्यवाहक कुलपति, तब तक कुलपति के सामान्य दायित्वों का निर्वहन करेगा अथवा जैसा कि व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाये, जब तक कि नया कुलपति नियुक्त न हो जाये अथवा विद्यमान कुलपति पुनः अपना प्रभार ग्रहण न कर ले। (5) यदि कुलपति त्याग-पत्र देना चाहता हो तो, वह कुलाधिपति को, नियुक्ति पत्र में विर्निदिष्ट काल के अनुसार नोटिस देकर, अपना स्वहस्ताक्षरित लिखित त्याग-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा और उसका पद, त्याग-पत्र के स्वीकार होने पर एवं नोटिस काल की समाप्ति पर, तथा उसके नियुक्ति पत्र में विर्निदिष्ट शर्तों व निबंधनों के अनुसार, समाप्त हो जायेगा। 2.07 धारा-14(6) और अधिनियम और परिनियमों के प्राविधानों एवं व्यवस्थापक मण्डल, अध्यक्ष तथा कुलाधिपति के धारा-27(ग) नियंत्रणाधीन, कुलपति की निम्नलिखित शक्तियाँ, कर्तव्य एवं कृत्य होंगे, अर्थात:--कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा; कुलपति विश्वविद्यालय के शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन में उत्कृष्टता **(2)** बनाये रखने हेत् नेतृत्व प्रदान करेगा एवं स्थानीय, राष्ट्रीय व वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार नये कार्यक्रमों, पाठयक्रमों तथा ऐच्छिक विषयों को प्रारम्भ करने के लिए पहल करेगा; विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम, नियम तथा अध्यादेशों के प्राविधानों का समृचित रूप से **(3)** पालन एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करना कुलपति का दायित्व होगा; कुलपति विश्वविद्यालय में अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों, अन्य कर्मचारियों एवं छात्रों में अनुशासन बनाये रखना व इस संबंध में बनाये गये परिनियम, नियम व अध्यादेशों के प्राविधानों के अंतर्गत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित करना सुनिश्चित विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाये रखने से संबंधित समस्त शक्तियाँ कुलपति में **(5)** निहित होंगी और वह ऐसी शक्तियों को किसी अधिकारी(ओं) अथवा कर्मचारी(ओं) को, जैसा वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा: क्लपति, विश्वविद्यालय को प्रभावी रूप से संचालित करना सुनिश्चित करेगा तथा इस हेतु **(6)** विश्वविद्यालय के उददेश्यों के अनुरूप आवश्यक प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का निर्धारण करेगा;

सेवा के अन्य निबंधन व शर्तें ऐसी होंगी जैसे व्यवस्थापक मण्डल द्वारा अवधारित की जायेगी।

[धारा-14(1) और

- (7) कुलपति, व्यवस्थापक मण्डल के सिवाय, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की बैठक आयोजित करेगा या आयोजित करवायेगा;
- (8) कुलपित, अपने अधीन, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय की किसी बैठक में उपस्थित हो सकेगा या उसे संबोधित कर सकेगा किन्तु वह मतदान में तभी भाग ले सकेगा यदि वह उस प्राधिकारी या निकाय का सदस्य हो;
- (9) कुलपित, विधिवत् रुप से गठित चयन सिमितियों की संस्तुति पर, व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन के आधार पर, विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिकारियों, शैक्षणिक किमेयों, प्रशासिनक किमेयों एवं अन्य कर्मचारियों (प्रति—कुलपित, कुलसिचव, वित्त अधिकारी व परीक्षा नियंत्रक के सिवाय) को नियुक्त कर सकेगा;
- (10) कुलपित, अंशकालिक / तदर्थ आधार पर, अल्प कालिक अविध हेतु जो 01 (एक) वर्ष से अधिक नहीं होगी, ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक समझे;
- (11) कुलपित, विश्वविद्यालय की अवकाश नीति के प्राविधानों के अंतर्गत, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश प्रदान कर सकेगा एवं ऐसे अधिकारी व कर्मचारी की अनुपस्थिति के दौरान उसके दायित्वों के निवर्हन हेतु आवश्यक व्यवस्था करेगा;
- (12) कुलपित, आपातकालीन स्थिति में और जब वह अल्प सूचना में अपने अधीन किसी प्राधिकारी की बैठक बुलाने में असमर्थ हो, विश्वविद्यालय के हित में, व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से, कोई उचित निर्णय ले सकेगा/कार्यवाही कर सकेगा व ऐसे समस्त निर्णयों/कार्यवाहीयों की पुष्टि हेतु, संबंधित प्राधिकारी को आगामी बैठक में सूचित करेगा;
- (13) कुलपित, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के नियंत्रण का उत्तरदायी होगा और उससे संबंधित आवश्यक व्यवस्था करेगा और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का सुचारू, कुशल, निष्पक्ष तथा पारदर्शी संचालन सुनिश्चित् करने हेतु ऐसी क्रियाविधि को अपनाएगा;
- (14) कुलपित, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये प्रशिक्षणों, इन्टर्निशिप और प्लेसमेंट की पर्याप्त व्यवस्था करने का उत्तरदायी होगा तथा उसके लिये स्थानीय, राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर विभिन्न कॉरपोरेट/ औद्योगिक संगठनों के साथ विश्वविद्यालय की नेटवर्किंग को सुचारू बनायेगा;
- (15) कुलपति, स्थानीय, राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर, विश्वविद्यालय के ब्राण्ड संवर्द्धन, विपणन गतिविधियों, जन-सम्पर्क के लिए उत्तरदायी होगा;
- (16) कुलपित, विश्वविद्यालय के छात्रों एवं कर्मचारियों के लिये विभिन्न अध्ययन दौरे, विनिमय कार्यक्रमों, सह पाठ्यचर्या एवं अतिरिक्त पाठ्यचर्या की गतिविधियों को संचालित करने के लिए उत्तरदायी होगा। कुलपित, विश्वविद्यालय में छात्रों के कौशल व रोजगारीय योग्यता को बढ़ाने हेतु, विभिन्न मूल्य सर्वर्धित कार्यक्रमों तथा प्रमाणीकरण कार्यक्रमों के संचालन के लिये प्रतिष्ठित प्रशिक्षण / कॉरपोरेट भागीदारों की व्यवस्था करेगा;
- (17) कुलपित, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ विभिन्न संकायों / स्कूलों में सहयोग आधारित अध्ययन के कार्यक्रमों को चलाने हेतु पहल करेगा;
- (18) कुलपति, विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणन निकायों, राज्य सरकार, अन्य राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों एवं अन्य नियामक प्राधिकरणों,

			नेपी किस्ति से के बीस एक एक्सपूर्ण करी से क्या में कर्ण करेगा
			जैसी स्थिति हो, के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रुप में कार्य करेगा;
		(19)	कुलपित, यू०जी०सी०, डी०एस०टी०, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, एन०जी०ओ०, अन्य संस्थाओं व न्यासों, अन्य विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण के संस्थानों, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से वित्तीय अनुदान प्राप्ति के लिए समुचित कार्यवाही करेगा;
		(20)	कुलपित, राज्य व केन्द्र दोनों सरकारों की नवीनतम शैक्षिक नीतियों के बारे में अवगत रहेगा एवं विभिन्न संकायों / स्कूलों / विभागों को उनके समुचित कार्यान्वयन हेतु सूचित व उनका उचित मार्गदर्शन करेगा;
		(21)	कुलपित, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर, संकाय/स्कूल के सदस्यों द्वारा किये गये अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान व परामर्श कार्यों का, तथा विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों के कार्यों का आकलन तथा मूल्यांकन करेगा और यदि वह आवश्यक समझे, इस प्रयोजन के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त कर सकेगा। ऐसे आकलन और मूल्यांकन पर, यदि उसकी राय में, संकाय/स्कूल के किसी सदस्य व विश्वविद्यालय के कर्मचारी का कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं है तो, वह परिनियमों और अध्यादेशों के प्राविधानों के अनुसार ऐसे सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगा;
		(22)	कुलपति, व्यवस्थापक मण्डल के समक्ष विश्वविद्यालय की समस्त गतिविधियों की वार्षिक आख्या प्रस्तुत करेगा;
		(23)	कुलपति, व्यवस्थापक मण्डल द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को मण्डल को उपलब्ध करायेगा; तथा
		(24)	कुलपति, ऐसी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य सभी दायित्वों का निर्वहन करेगा जो उसे व्यवस्थापक मण्डल व अध्यक्ष द्वारा सौंपे जायेंगे तथा ऐसी शक्तियों, दायित्वों व कृत्यों का पालन करेगा जो कि विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों, नियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उसको प्रदत्त होंगे।
प्रति—कुलपति [धारा—15 और	2.08	(1)	व्यवस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से, कुलाधिपति द्वारा प्रति—कुलपति को नियुक्त किया जा सकेगा।
धारा—27(ग)]		(2)	कुलपित की संस्तुति पर, कुलाधिपित, विश्वविद्यालय के भीतर या उसके बाहर से, प्रतिष्ठित संकायाध्यक्षों / आचार्यों के नामों पर विचार करेगा तथा प्रति—कुलपित के रूप में नियुक्ति के लिए उनमें से एक का चयन करेगा। इस प्रकार चयनित व्यक्ति, शैक्षणिक प्रयोजन के लिए संदर्भित विभाग से सहयुक्त रहेगा।
		(3)	प्रति—कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और 03 (तीन) वर्ष की अविध के लिए पद धारण कर सकेगा। अविध की समाप्ति पर वह, प्रति—कुलपित के पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। उसके कार्यकाल की अविध पूर्ण होने पर अथवा यदि वह इससे पूर्व अपने प्रशासनिक उत्तरदायित्व को त्यागने का निर्णय लेता है तो, वह अधिमान्य विभाग में प्राध्यापक के रूप में बने रहने के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा।
		(4)	प्रति—कुलपति की पात्रता के मापदण्ड, परिलब्धियाँ व सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें ऐसी होंगे जैसा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में प्राविधानित होंगे।
		(5)	कुलपति की अनुपस्थिति में अथवा जब कुलपति अपनी शक्तियों का प्रयोग और नियमित कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो, उसके सामान्य दायित्वों का अनुपालन प्रति—कुलपति द्वारा

	1							
			सुनिश्चित् किया जायेगा, जब तक कि व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।					
		(6)	<ul> <li>प्रति—कुलपति, कुलपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के ऐसे प्राधिकारियों / चयन सिर्मि की बैठकों की अध्यक्षता करेगा जिसके कुलपति अध्यक्ष हों।</li> </ul>					
	2.09	करेग	कुलपति, कुलपति को उसकी शक्तियों तथा दायित्वों का निर्वहन करने हेतु सहायता प्रदान । व ऐसे दायित्वों का निर्वहन करेगा जो उसे कुलपति एवं व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समय—समय गौंपे जायें।					
कुलसचिव [धारा–16(1) और धारा 27–(ग)]	2.10	(1)	कुलसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा एवं उसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष के अनुमोदन पर निम्नलिखित चयन समिति की संस्तुति पर की जायेगीः					
			(क) कुलपति — अध्यक्ष					
			(ख) व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति – सदस्य					
			(ग) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति - सदस्य					
		(2)	कुलसचिव, विश्वविद्यालय का मुख्य परिचालन अधिकारी होगा एवं वह कुलपति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।					
		(3)	3) कुलसचिव की पात्रता के मापदण्ड, परिलिब्धियाँ और सेवा के अन्य निबन्धन व शर्ते ऐसी होंग जैसे विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में प्राविधानित हों।					
		(4)	यदि कुलसचिव का पद मृत्यु, पदत्याग अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो या बीमारी या अन्य किसी कारणवश अस्थाई रुप से रिक्त हो तो, कुलसचिव के दायित्वों व कृत्यों का निर्वहन ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे कुलाधिपति द्वारा, व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से, नये कुलसचिव की नियुक्ति होने तक या प्रतिस्थानी कुलसचिव के पदभार ग्रहण करने तक की अवधि के लिए नियुक्त अथवा अधिकृत किया गया हो।					
	2.11		अधिनियम व परिनियमों के प्राविधानों के अधीन एवं अध्यक्ष, कुलाधिपति तथा कुलपति के नियंत्रणाधीन कुलसचिव की निम्नलिखित शक्तियाँ, कर्तव्य एवं कृत्य होंगे, अर्थात् :—					
		(1)	विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की ओर से आधिकारिक पत्र-व्यवहार करना;					
		(2)	विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अधिप्रमाणित करना;					
		(3)	विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा का अभिरक्षक होना तथा सभी ऐसी सूचनाओं और दस्तावेजों को, अध्यक्ष, कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी/अधिकारी के समक्ष, जैसा कि उनके कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक हो, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होना;					
		(4)	विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों की बैठकों व इनमें से किसी भी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त समस्त समितियों तथा उप समितियों के कार्यवृत का अनुरक्षण करना व सुरक्षित रखना;					
		(5)	विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की तथा इनमें से किसी भी प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त सभी					

समितियों तथा उप समितियों की बैठकों के लिए सूचना जारी करना;

- (6) प्राधिकारियों की बैठकों की कार्यसूची की प्रतियां जारी होने के तुरन्त पश्चात् तथा अनुमोदित कार्यवृत विश्वविद्यालय के अधिकारियों को, ऐसी बैठकों के आयोजन के 15 (पन्द्रह) दिन के भीतर उपलब्ध कराना;
- (7) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के आयोजन एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था करना;
- (8) प्राधिकारियों / अधिकारियों द्वारा, जैसा कि लागू हो, समय—समय पर बनाये गये परिनियमों, नियमों, अध्यादेशों एवं अन्य नीतियों की हस्तपुस्तिका तैयार करना एवं अद्यतन रखना एवं उन्हें विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों एवं अधिकारियों को उपलब्ध कराना:
- (9) कुलपित के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा अथवा उसके विरूद्ध दायर वादों या कार्यवाहियों में किसी भी न्यायालय अथवा अधिकरण में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, ऐसे वादों या कार्यवाहियों से संबंधित अभिलेखों को हस्ताक्षरित करना और/अथवा इस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करना;
- (10) समय—समय पर अध्यक्ष, कुलाधिपति एवं कुलपति को विश्वविद्यालय के समस्त महत्वपूर्ण विधिक कार्यवाहियों के संबंध में सूचित करना एवं प्रबंध मण्डल के समक्ष ऐसी सभी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होना, जो इसके कार्य के संचालन के लिए आवश्यक हो;
- (11) विश्वविद्यालय की सभी गतिविधियों की वार्षिक आख्या तैयार करना व उसे प्रबंध मण्डल के समक्ष रखना;
- (12) छात्रों के प्रवेश, पंजीकरण, नामांकन, स्थानांतरण, प्रवेश परीक्षाओं सहित विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों से संबंधित अभिलेखों एवं उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों इत्यादि को प्रदान करने से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव करना:
- (13) विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों के कार्मिक अभिलेखों को अनुरक्षित करना;
- (14) अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों के कार्यों का अधीक्षण करना एवं कुलपति के पूर्वानुमोदन से उनके मध्य कार्य का वितरण करना:
- (15) किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा संचालित जांच के लिए सुविधा प्रदान करना एवं इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी व अभिलेख उपलब्ध कराना:
- (16) कुलपति तथा अध्यक्ष के लिखित अनुमोदन के पश्चात्, परिनियमों के प्राविधानों के अनुरूप, विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध, संविदाएं करना और दस्तावेजों को हस्ताक्षरित करना;
- (17) विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों के लिए समय सूची तैयार करना जिसमें विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन—पत्रों को प्राप्त करना और उससे संबंधित सभी पाठ्य विवरण, पाठ्यचर्या और सूचनाओं का स्थायी अभिलेख रखना सम्मिलित हो;
- (18) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों, डिप्लोमाओं और शैक्षणिक विशिष्टताओं की पंजिका अनुरक्षित करना;
- (19) सभी चयन समितियों के कार्यवृत अनुरक्षित करना;

		(20)	विश्वविद्यालय के सामान्य प्रशासन की देखरेख करना;
		(21)	विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;
		(22)	जब तक कि अन्यथा व्यवस्थापक मण्डल द्वारा प्रदान न किया जाये, विश्वविद्यालय की समस्त जंगम एवं स्थावर चल एवं अचल सम्पत्तियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य करना। विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों एवं परिसम्पत्तियों के उचित अनुरक्षण एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी होना;
		(23)	विश्वविद्यालय के समस्त चल एवं अचल परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और अनुरक्षण के लिए प्रबंध करना तथा ऐसी समस्त परिसम्पत्तियों को किसी भी खतरे/हानि के विरूद्ध नियमित रूप से बीमा सुरक्षा के अर्न्तगत रखना;
		(24)	यह सुनिश्चित करना कि, विश्वविद्यालय के सभी कृत्यों/गतिविधियों के संबंध में सभी विधिक/सांविधिक अनुपालन, सदैव, राज्य/केन्द्रीय संस्थाओं तथा निकायों के दिशानिर्देशों के अनुसार हो रहा हो; तथा
		(25)	ऐसी अन्य शक्तियों एवं ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जैसा कि अधिनियम, परिनियमों, नियमों और अध्यादेशों में विहित हो और जैसा कि व्यवस्थापक मण्डल, अध्यक्ष, कुलाधिपति, प्रबंध मण्डल अथवा कुलपति द्वारा समय—समय पर सौंपे जायें।
संकायाध्यक्ष [धारा–17]	2.12	(1)	कुलपित, कुलाधिपित के अनुमोदन से संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय के अध्यापकों के मध्य से आवश्यकतानुसार प्रबन्धक मंडल द्वारा संस्तुत एवं व्यवस्थापक मंडल द्वारा अनुमोदित नियम एवं शर्तों पर करेंगे। संकायाध्यक्ष अपने अधिकृत अधिकारों एवं कार्यों का सम्पादन कुलपित एवं विश्वविद्यालय के प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर निर्धारित परिनियमों, नियमों एवं अध्यादेशों के अनुरूप करेंगे।
अन्य संकायाध्यक्ष / सह संकायाध्यक्ष [धारा–19]	2.13	(1)	कुलपित, कुलाधिपित तथा व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष के अनुमोदन से, विरिष्ठता, क्षमता एवं प्रशासिनक अनुभव को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासिनक कार्यों के लिये अन्य संकायाध्यक्ष एवं सह संकायाध्यक्ष की नियुक्ति, विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से की जायेगी। अन्य संकायाध्यक्ष एवं सह संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी शर्तों और निबंधनों पर की जायेगी जो प्रबन्धक मंडल द्वारा संस्तुत हो एवं व्यवस्थापक मंडल द्वारा अनुमोदित हो। चयनित व्यक्ति अपने अधिमानित विभाग में अध्यापक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता रहेगा।
		(2)	संकायाध्यक्ष(ओं) ऐसी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा व ऐसे अन्य सभी दायित्वों का निर्वहन करेगा जो उसे कुलपति एवं विश्वविद्यालय के प्राधिकारीयों द्वारा समय—समय पर सौंपे जायेंगे तथा ऐसी शक्तियों, कर्तव्यों व कृत्यों का पालन करेगा जैसा कि विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों, नियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उसको प्रदत्त होंगे।
वित्त अधिकारी [धारा–18 और धारा–27(ग)]	2.14	(1)	वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा एवं उसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष के अनुमोदन से, निम्नलिखित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की जायेगी:—
			(क) कुलपति – अध्यक्ष
			(ख) व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति —सदस्य

(_\	$\sim$		-		$\sim$
(111)	कुलाधिपति	टारा	नाामत	ਧਨ	त्यास्त
(1)	920111911101	aivi	111,171	741	99191

- -सदस्य
- वित्त अधिकारी की पात्रता के मापदण्ड, परिलब्धियाँ और सेवा के अन्य निबन्धन व शर्तें ऐसे होंगे जैसा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में प्राविधानित हों।
- वित्त अधिकारी, वित्त समिति तथा उसके द्वारा गठित अन्य समितियों का सदस्य-सचिव होगा। **(3)**
- यदि वित्त अधिकारी का पद मृत्यु, पदत्याग अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो या बीमारी या अन्य किसी कारणवश अस्थाई रूप से रिक्त हो तो वित्त अधिकारी के कर्तव्यों व कृत्यों का निर्वहन ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे कुलाधिपति द्वारा, व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से, नये वित्त अधिकारी की नियुक्ति होने या प्रतिस्थानी वित्त अधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक, नियुक्त अथवा प्राधिकृत किया जाये।

परिनियमों के प्राविधानों के अधीन एवं अध्यक्ष, कुलाधिपति तथा कुलपति के नियन्त्रणाधीन वित्त अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात :--

- वित्त समिति एवं वित्त समिति द्वारा गिठत समितियों की बैठकों की कार्यसूची तैयार करना व
- विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों एवं प्राधिकारियों द्वारा गठित समितियों की वित्तीय मामलों से संबंधित कार्यवाहियों में सम्मिलित होना:

जारी करना तथा उनका कार्यवृत तैयार करना व उनका अनुरक्षण करना;

- विश्वविद्यालय की प्राप्तियों एवं व्ययों के खातों के लेखा जोखा एवं संबंधित अभिलेखों का **(3)** अनुरक्षण, पर्यवेक्षण व नियन्त्रण करना;
- विश्वविद्यालय के वार्षिक आय-व्ययक व वार्षिक लेखा विवरण तैयार करना एवं लेखा-परीक्षा आख्या सहित उन्हें विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष रखना:
- व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में तथा उनके पूर्वानुमोदन से, विश्वविद्यालय की **(5)** निधियों तथा निवेशों का पर्यवेक्षण तथा प्रबंधन करना
- विश्वविद्यालय को किसी भी वित्तीय मामले में स्वप्रेरणा से अथवा परामर्श मांगे जाने पर परामर्श **(6)**
- विश्वविद्यालय की निधियों, सम्पत्तियों और निवेशों के अभिलेखों का अनुरक्षण करना तथा **(7)** समस्त परिसम्पत्तियों का वार्षिक सत्यापन करनाः
- यह सनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय के वार्षिक आय-व्ययक में आवर्तक व अनावर्तक व्यय निर्धारित सीमाओं से अधिक न हो एवं आवंटित की गयी धनराशि उन्हीं प्रयोजनों के लिए व्यय की जाये जिनके लिए वह स्वीकृत की गई है;
- रोकड आवागमन, बैंक अवशेषों एवं निवेशों की निगरानी करना: **(9)**
- (10) राजस्व संग्रह की प्रगति की निगरानी करना एवं विश्वविद्यालय को राजस्व संग्रह के लिए अपनाई जाने वाली विधियों की सलाह देना:
- (11) विश्वविद्यालय के लेखों के आन्तरिक एवं संविधिक लेखा परीक्षाओं का आयोजन, जैसा कि व्यवस्थापक मण्डल द्वारा निर्धारित किया गया हो, सुनिश्चित करना;
- (12) आय का संग्रह करना, भुगतान का वितरण करना एवं विश्वविद्यालय के लेखों का अनुरक्षण

2.15

			करना;				
		(13)	यह सुनिश्चित् करना कि सभी अचल व पूंजीगत परिसम्पत्तियों की पंजिका तैयार की जाये व उसका नियमित रूप से अनुरक्षण किया जाये;				
		(14)	नियमित अंतराल पर सभी अचल व अन्य सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करना;				
		(15)	विश्वविद्यालय की किसी भी समिति या व्यक्ति द्वारा किये गये अनाधिकृत व्यय या वित्तीय अनियमितताओं, यदि कोई हो, के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए तथा यथोचित् अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए कुलपति को सिफारिश प्रस्तुत करना;				
		(16)	वित्तीय जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए विश्वविद्यालय के किसी भी संकाय / स्कूल, संघटक महाविद्यालय, विभाग, कार्यालय एवं केन्द्र से आवश्यक कोई भी सूचना मांगना;				
		(17)	व्यय किये जाने से पूर्व, व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष के अनुमोदन पर विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के हित में, व्यय अपरिहार्य है तो, आय—व्ययक में आवंटित राशि के अतिरिक्त व्यय का प्रस्ताव तैयार करना;				
		(18)	अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों के कार्यों का अधीक्षण करना एवं कुलपति के पूर्वानुमोदन से उनके मध्य कार्य का वितरण करना;				
		(19)	विश्वविद्यालय के लेखापरीक्षा एवं वित्त विभाग के समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण करना; तथा				
		(20)	ऐसे अन्य कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करना जैसा कि विश्वविद्यालय के परिनियमों तथा अध्यादेशों में विहित हो तथा/अथवा जो उसे संबंधित प्राधिकारियों, अध्यक्ष, कुलाधिपति एवं कुलपति द्वारा समय—समय पर सौंपे जायें।				
परीक्षा नियंत्रक [धारा–19]	2.16	(1)	परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा एवं उसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष के अनुमोदन से निम्नलिखित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की जायेगीः				
			(क) कुलपति – अध्यक्ष				
			(ख) व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति — सदस्य				
			(ग) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति - सदस्य				
		(2)	परीक्षा नियंत्रक की पात्रता के मापदण्ड, परिलब्धियाँ और सेवा के अन्य निबन्धन व शर्तें ऐसे होंगे जैसा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में प्राविधानित हों।				
		(3)	चयन समिति, वैकल्पिक रूप से, परीक्षा नियंत्रक के रूप में विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी एक का नाम, जो परीक्षा अनुभाग का एक हिस्सा होने से परीक्षाओं से संबंधित सभी मामलों में अनुभवी हो, और जिसने उच्चतम स्तर की गोपनीयता तथा सत्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया हो एवं जो परीक्षाओं से संबंधित मामलों में प्रशासक के रूप में कार्य करने योग्य हो, भी संस्तुत कर सकेगी।				
		(4)	परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं का आयोजन करवाने एवं उनके परिणामों की घोषणा के कार्यों के संबंध में प्रमुख अधिकारी होगा। वह कुलपति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण,				

निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।

- (5) यदि परीक्षा नियंत्रक का पद मृत्यु, पदत्याग अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो या बीमारी या अन्य किसी कारणवश अस्थाई रूप से रिक्त हो तो परीक्षा नियंत्रक के कर्तव्यों व कृत्यों का निर्वहन ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे कुलाधिपति द्वारा, कुलपति की संस्तुति पर, नये परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होने या प्रतिस्थानी परीक्षा नियंत्रक के पदभार ग्रहण करने तक, नियुक्त अथवा अधिकृत किया जाये।
- (6) परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा मण्डल एवं उसके द्वारा गठित समितियों का सदस्य-सचिव होगा।
- 2.17 परिनियमों के प्राविधानों के अंतर्गत एवं कुलपति के नियन्त्रणाधीन परीक्षा नियंत्रक की निम्नलिखित शक्तियां एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात :-
  - (1) विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं का, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाएं भी सिम्मिलित हैं, के स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू, व्यवस्थित एवं समयबद्ध आयोजन व परिणामों की घोषणा करने से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्था करना;
  - (2) संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) के परामर्श के आधार पर अग्रिम रुप से परीक्षाओं की समय सारणी एवं योजना तैयार करना व उनकी घोषणा करना;
  - (3) कुलपित के पूर्वानुमोदन से प्रश्न-पत्र तैयार कर्ताओं, परीक्षकों, मूल्यांकन कर्ताओं, कक्षनिरीक्षकों, सारणीकारों / संशोधकों, अनुसीमकों, पर्यवेक्षकों, सचलदलों आदि की नियुक्ति करना;
  - (4) कुलपति के पूर्वानुमोदन से परीक्षा केन्द्रों का विनिश्चिय करना एवं केन्द्र अधीक्षकों की नियुक्ति करना:
  - (5) सचलदलों व पर्यवेक्षकों द्वारा परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण की व्यवस्था करना;
  - (6) प्रश्न पत्रों के मुद्रण की व्यवस्था करना एवं गोपनीयता बनाये रखना;
  - (7) समय पर उत्तरपुस्तिकाओं का मुद्रण व आपूर्ति, केन्द्रों से अनुप्रयुक्त उत्तरपुस्तिकाओं को वापस प्राप्त करने का कार्य सुनिश्चित करना तथा उसका समुचित अभिलेख अनुरक्षित करना;
  - (8) संकायों / स्कूलों के संकायाध्यक्ष, संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं विभागाध्यक्षों के साथ छात्रों के नामांकन एवं परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में समन्वय स्थापित करना;
  - (9) परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों के उचित मूल्यांकन की व्यवस्था करना एवं तदनुसार परीक्षा परिणामों को संसाधित करना;
  - (10) परीक्षाओं के परिणामों को संबंधित संकाय / स्कूल, संघटक महाविद्यालय एवं विभाग को अधिसूचित करना एवं परिणामों को सार्वजनिक करना;
  - (11) परीक्षाओं मे छात्रों के प्रदर्शन के डेटाबेस का अनुरक्षण करना;
  - (12) मानद उपाधियों के सिवाय उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों इत्यादि के प्रदान किये जाने हेतु अभ्यर्थियों के नाम कुलसचिव को प्रेषित करना;
  - (13) परीक्षाओं के आयोजन एवं परिणामों की घोषणा से संबंधित समस्त अभिलेखों का अभिरक्षक के रूप में कार्य करना;

		(14)	कदाचार की स्थिति में या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने के कारण कुलपित के पूर्वानुमोदन से परीक्षाओं को स्थिगित एवं रद्द करना तथा आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करना या संस्तुत करना या कदाचार के आरोपित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या महाविद्यालय या संस्थान पर, दीवानी या फौजदारी कार्यवाही की शुरू किये जाने हेतु संस्तुति करना;
		(15)	आवश्यकता पड़ने पर, परीक्षा के संबंध में कदाचार के दोषी अभ्यर्थियों, प्रश्न—पत्र तैयार कर्ताओं, परीक्षकों, अनुसीमकों या परीक्षाओं से संबंधित किसी अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति करना;
		(16)	विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों की समय—समय पर समीक्षा व मूल्यांकन करना एवं इस संबंध में आख्या कुलपति को प्रेषित करना;
		(17)	परीक्षा में निरंतर सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाना ताकि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से संबंधित वर्तमान अध्यादेशों का अद्यतन किया जा सके एवं इस संबंध में नये अध्यादेशों को प्रस्तावित करना;
		(18)	परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित परीक्षक, पर्यवेक्षक, निरीक्षक, प्रश्न-पत्र तैयार कर्ताओं, सारणीकार / संशोधक, प्रेक्षक, अनुसीमक एवं अन्य कोई व्यक्ति जो गोपनीय कार्यों हेतु नियुक्त किया गया हो, के विभिन्न यात्रा / दैनिक व पारिश्रमिक भत्तों आदि के बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करना एवं अनुमोदित करना;
		(19)	गोपनीय निधियों के खातों को तैयार एवं उन्हें अनुरक्षित करना, संबंधित प्राधिकारी से उनकी जांच करवाकर प्रतिहस्ताक्षरित करवाना एवं ऐसे सभी गोपनीय लेनदेन या खातों का स्थाई अभिलेख रखना;
		(20)	परीक्षा मण्डल व उसके द्वारा गठित अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत तैयार करना व अनुरक्षित करना;
		(21)	विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों व उनके द्वारा गठित समितियों द्वारा लिये गये परीक्षा प्रणाली से संबंधित निर्णयों का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;
		(22)	अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों के कार्यों का अधीक्षण एवं कुलपति के पूर्वानुमोदन से उनके मध्य कार्य का वितरण करना;
		(23)	परीक्षा अनुभाग के समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक नियन्त्रण रखना; तथा
		(24)	ऐसी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना एवं ऐसे सभी अन्य दायित्वों का निर्वहन करना जो उसे कुलपति एवं विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों द्वारा समय—समय पर सौंपे जायें तथा ऐसी शक्तियों, दायित्वों व कृत्यों का निर्वहन करना जैसा कि विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों, नियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उसको प्रदत्त होंगे।
विभागाध्यक्ष [धारा—19]	2.18	(1)	विश्वविद्यालय के संकाय / स्कूल या संघटक महाविद्यालयों के प्रत्येक विभाग में एक प्रमुख होगा जो कि विभाग या संघटक महाविद्यालय के आचार्यों के मध्य से कुलपित द्वारा नियुक्त किया जायेगा;  परन्तु यह कि, विभाग में कोई प्रध्यापक न होने की दशा में, कुलपित किसी सह—प्रध्यापक को विभागाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा। यद्यपि वह अपने दायित्वों से, किसी भी समय, कुलपित के द्वारा विवेक के आधार पर मुक्त किया जा सकेगा।

- (2) विभागाध्यक्ष ऐसे निबंधनों व शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा जो कि कुलपित द्वारा कुलाधिपित के पूर्वानुमोदन से निश्चित् की जायें।
- (3) विभागाध्यक्ष कुलपति / प्रति कुलपति के समग्र नियंत्रण, पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं मार्गदर्शन के अधीन कार्य करेगा।
- (4) विभागाध्यक्ष अपने अपने विभाग के अध्यक्षीय दायित्वों के अतिरिक्त शैक्षणिक, शोध एवं अन्य कार्यों को भी प्रतिपादित करेंगे।
- 2.19 परिनियमों के प्राविधानों के अधीन विभागाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं दायित्व होंगे, अर्थात् :--
  - (1) विश्वविद्यालय एवं संबंधित वैधानिक परिषद् के दिशानिर्देशों के अनुरूप स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षण व प्रशिक्षण के उच्च मापदण्ड बनाये रखना:
  - (2) शैक्षणिक कर्मियों के शिक्षण एवं अनुसंधान विकास हेतु विभाग में उचित वातावरण प्रदान करना;
  - (3) शैक्षणिक कर्मियों को मार्गदर्शित करके विभाग में नवीन शोध व परामर्श कार्य का नेतृत्व करना एवं निर्देशित करना;
  - (4) शैक्षणिक कर्मियों एवं छात्रों के समग्र विकास के लिए उन्हें विभाग की सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराना;
  - (5) शैक्षणिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार, प्रशिक्षण / पुरस्कार / सम्मान / प्रशस्ति आदि हेतु जब व जहाँ आवश्यक हो, उच्च प्राधिकारियों को नामित / संस्तुत करना;
  - (6) विभाग के शैक्षणिक कर्मियों अन्य कर्मचारियों व छात्रों में अनुशासन बनाये रखना व कुलपति के परामर्श से, जब व जहां आवश्यक हो, उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करना;
  - (7) विभाग के शैक्षणिक कर्मियों व अन्य कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण एवं विभाग के सुचारू संचालन हेतु उत्तरदायित्व सौंपना;
  - (8) विभाग की गतिविधियों व परिसम्पत्तियों से संबंधित आवश्यक अभिलेखों का रख—रखाव एवं अन्रक्षण;
  - (9) पूर्ण न्यायोचित रुप से विभाग का वार्षिक आय—व्ययक तैयार करनाएवं कुलपित को प्रस्तुत करना;
  - (10) विभाग की गतिविधियों की आविधक व वार्षिक आख्याएं तैयार एवं उन्हें कुलपित को प्रस्तुत करना:
  - (11) विभाग के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श व समाधान हेतु मासिक विभागीय बैठकों का आयोजन एवं कार्यवृत को कुलपति को प्रस्तुत करना;
  - (12) आवश्यक सूचनाओं / परिपत्रों को विभाग के शैक्षणिक कर्मियों, अन्य कर्मचारियों तथा छात्रों के संज्ञान में लाया जाना सुनिश्चित करना;
  - (13) शैक्षणिक कर्मियों, अन्य कर्मचारियों तथा छात्रों के विभाग से संबंधित समस्याओं के समस्त मामलों पर ध्यान देना एवं उपयुक्त समाधान करना;

	1							
		(14) प्राधिकारियों द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों, नीतियों एवं निर्देशों का निष्पादन व अनुपालन करना;						
		<ul> <li>(15) उत्कृष्टता हेतु संस्थागत लक्ष्य में प्रशासनिक, शैक्षिक एवं अनुसंधान की अन्तर-विभागीय गितविधियों में समन्वय स्थापित करना/सहयोग करना;</li> <li>(16) विश्वविद्यालय एवं संघटक महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित किये लक्ष्यों के अनुसार विभाग की भावी उन्नित के लिए कार्य करना; तथा</li> </ul>						
		(17) ऐसी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी अन्य दायित्वों का निर्वहन करना जो उसे समय—समय पर सौंपे जायें।						
अन्य अधिकारी [धारा–19 और धारा–27(ण)]	2.20	व्यवस्थापक मण्डल, जैसा कि विश्वविद्यालय के प्रभावशाली कार्यपद्धति के लिए अपेक्षित हो, विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों तथा उनकी नियुक्ति की रीति, सेवा के नियम व शर्तें तथा शक्तियाँ व कर्तव्य के संबंध में समय—समय पर जारी अध्यादेश के माध्यम से निर्णय ले सकेगा।						
	ı	अध्याय—तीन						
		विश्वविद्यालय के प्राधिकारी						
व्यवस्थापक मण्डल [धारा–27(क)]	3.01	(1) व्यवस्थापक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। उसकी अनुपस्थिति में सह—अध्यक्ष व्यवस्थापक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आकिस्मकता के मामले में जहां दोनों अध्यक्ष तथा सह—अध्यक्ष उपस्थित न हो सकें, उस बैठक की अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष, कुलाधिपित को अधिकृत कर सकेंगे।						
		(2) व्यवस्थापक मण्डल की बैठकें प्रत्येक वर्ष में समान्यतः 02 (दो) बार ऐसी तारीख, समय एवं स्थान पर होंगी जैसा व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष निश्चित् करेंगे।						
		(3) व्यवस्थापक मण्डल की बैठक के लिए गणपूर्ति, मण्डल के कुल नियुक्त सदस्यों, अध्यक्ष सहित, की 2/5 (दो/पाँच) होगी। यदि व्यवस्थापक मण्डल की बैठक में निश्चित् तारीख और समय पर गणपूर्ति पूरी नहीं है तो व्यवस्थापक मण्डल की बैठक उसी तारीख और स्थान पर 02 (दो) घंटे के पश्चात् पुनः आयोजित की जा सकेगी जिसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।						
		(4) अध्यक्ष सहित, व्यवस्थापक मण्डल के प्रत्येक सदस्य को 01 (एक) मत देने का अधिकार होगा और आम सहमति न होने के मामले पर, अध्यक्ष को निर्णयात्मक मत देने का अधिकार होगा।						
		(5) व्यवस्थापक मण्डल की आकस्मिक बैठक केवल अध्यक्ष द्वारा आहूत की जा सकेगी।						
	3.02	अध्यक्ष, सह अध्यक्ष, कुलाधिपति, कुलपति व राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव के अतिरिक्त, व्यवस्थापक मण्डल के सभी सदस्य, अपनी नियुक्ति की तिथि से 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्य होंगे एवं पुर्ननियुक्ति के लिए पात्र होंगे।						
[धारा—27(ण)]	3.03	व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक संस्था होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्ः—						
[-11.71 Z1 (*1/]	0.00	(1) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण;						
		(2) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों तथा अधिकारियों के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना, यदि वे अधिनियम या परिनियमों या नियमों और अध्यादेशों के प्राविधानों के अनुरूप न हो;						

- (3) विश्वविद्यालय के बजट तथा वार्षिक आख्या को अनुमोदित करना;
- (4) विश्वविद्यालय के नये अथवा अतिरिक्त परिनियमों, नियमों और अध्यादेशों को बनाना, या पूर्व में बने परिनियमों, नियमों और अध्यादेशों का संशोधन या निरसन करना;
- (5) केन्द्र / राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन करना;
- (6) विश्वविद्यालय के सांविधिक लेखा परीक्षकों जो अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (2) के क्रम में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकांउण्टेंट्स ऑफ इंडिया (आई.सी.ए.आई.) के सदस्य हों, को नियुक्त करना;
- (7) विश्वविद्यालय के सभी बैंक खातों को खोलना, बन्द करना, संचालित करना व उनका प्रबंधन करना और / या व्यवस्थापक मण्डल की ओर से विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को इसके लिये अधिकृत करना;
- (8) विश्वविद्यालय तथा प्रायोजित संस्था के उद्देश्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जैसा अपेक्षित हो ऐसे निर्णय लेना और कदम उठाना;
- (9) प्रायोजित संस्था के निर्देशों के क्रम में, विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के संबंध में विनिश्चय करना;
- (10) अधिनियम तथा परिनियमों के प्राविधानों के अनुसार तथा प्रायोजित संस्था के समय—समय पर दिये गये निर्देशों के अधीन रहते हुए विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का पर्यवेक्षण, विनियमन और अनुरक्षण करना;
- (11) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर, अथवा उसके बिना, विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना एवं ऋण लेना तथा यह सुनिश्चित करना कि वह प्रायोजित संस्था के दिशानिर्देशों के अनुसार जारी की गयी हों तथा उसके लिए आवश्यक दस्तावेजों के क्रियान्वयन हेत् विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अधिकृत करना;
- (12) व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष की विशिष्ट सहमित से विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय लेखों, निवेश तथा सम्पत्तियों का प्रबंधन और विनियमित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि वह प्रायोजित संस्था के दिशानिर्देशों के अनुसार जारी की गयी हों;
- (13) विश्वविद्यालय के प्रायोजनार्थ दान, अनुदान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करने हेतु तथा किसी चल या अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबंधन, अनुरक्षण, हस्तांतरण व व्ययनित करने के लिए प्रायोजित संस्था के अनुमोदन हेतु प्रस्तावों को प्रस्तुत करना;
- (14) किसी अन्य विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान को अनुदानों का आवंटन एवं संवितरण करना:
- (15) प्रबंध मण्डल की संस्तुति पर विभिन्न संकायों / स्कूलों, छात्रावासों, क्रीड़ा सुविधाओं और शैक्षिणिक एवं अन्य कर्मचारियों के निवास के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं पर विचार करना व उनका अनुमोदन करना;
- (16) मध्यस्थों की नियुक्ति करना या हटाना;
- (17) प्रबंध मण्डल की संस्तुति पर नये संकायों / स्कूलों की स्थापना और / या संकायों / स्कूलों को हटाने का अनुमोदन करना;

- (18) वित्त समिति की संस्तुति पर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों के लिए छात्रों से संबंधित विभिन्न प्रकार के शुल्क, जमा राशि और अन्य शुल्क / व्यय और उससे संबंधित अध्यादेशों का अनुमोदन करना;
- (19) प्रबंध मण्डल की संस्तुति पर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्य पद्धति के संबंध में अध्यादेशों का अनुमोदन करना, संशोधन करना व निरसन करना;
- (20) विद्या परिषद् की संस्तुति पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्य पद्धति के संबंध में अध्यादेशों का अनुमोदन करना, संशोधन करना व निरसन करना;
- (21) वित्त समिति की संस्तुति पर विश्वविद्यालय के वित्तीय नियंत्रण तथा प्रबंधन के अध्यादेशों का अनुमोदन करना, संशोधन करना व निरसन करना;
- (22) प्रबंध मण्डल की संस्तुति पर विभिन्न उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों तथा अन्य शैक्षणिक पद्वी एवं विशिष्टता को प्रदान किये जाने अथवा प्रत्याहरण पर अनुमोदन देना;
- (23) कुलाध्यक्ष को उनकी सहमति के लिए मानद् उपाधि प्रदान करने अथवा प्रत्याहरण करने हेतु प्रस्तावों की संस्तुति करना;
- (24) प्रबंध मण्डल संस्तुति पर किसी महाविद्यालय, विभाग, स्कूल, शैक्षणिक केन्द्र, शाखा, संकाय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र या अनुसंधान केन्द्र का सृजन, समापन या पुनर्गठन करना तथा शोध या अध्ययन के विषय / क्षेत्र का आवंटन करना;
- (25) प्रबंध मण्डल की संस्तुति पर संबंधित विनियामक निकाय के पूर्वानुमोदन से दूरस्थ शिक्षा केन्द्र की स्थापना करना एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति में नामांकित छात्रों की परीक्षाओं का आयोजन करना एवं उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों को प्रदान करना:
- (26) अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार किसी राज्य, अन्य राज्य तथा अपतटीय (ऑफ—शोर) में परिसर, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, इत्यादि की स्थापना, रखरखाव, मान्यता, पुर्नगठन और / या उनके समापन हेतु प्रायोजित संस्था को संस्तुत करना;
- (27) प्रबंध मण्डल की संस्तुति पर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अन्य पदों के सृजन और / या उनका समापन तथा उनकी संख्या, श्रेणी और उनकी योग्यताओं पर अनुमोदन करना;
- (28) प्रबंध मण्डल की संस्तुति पर विश्वविद्यालय की मानव संसाधन नीति से संबंधित अध्यादेशों सिहत अर्हताओं, चयन प्रक्रिया, परिलिब्धियां, अनुशासनात्मक उपाय, आचार संहिता और पदोन्नित नीति, इत्यादि का अनुमोदन करना;
- (29) प्रबंध मण्डल की संस्तुति पर कर्मचारियों और छात्रों के विवादों का समाधान करने तथा उनकी शिकायतों के निराकरण हेतु तंत्र निर्धारित करने के लिये उपयुक्त अध्यादेशों का अनुमोदन करना;
- (30) यदि अन्य प्राधिकारी / अधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्णय से कोई कर्मचारी या छात्र व्यथित हो और उसने समस्या निराकरण के सभी उपलब्ध माध्यमों का प्रयोग कर लिया हो तो, प्रबंध मण्डल के विशिष्ट संदर्भ पर उसकी शिकायतों को ग्रहण करना, न्यायनिर्णित करना व उनका निराकरण करना;
- (31) विश्वविद्यालय के लाभ हेत् संस्थानों, विश्वविद्यालयों, निधियों, न्यासों, सोसाइटियों एवं संम्प्रेषणों

		की स्थापना एवं सहयोग का अनुमोदन करना;
		(32) विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, सरकारी एवं गैर सरकारी अभिकरणों, संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों एवं सोसाइटियों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने हेतु अनुमोदन प्रदान करना व इस हेतु विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी को अधिकृत करना;
		(33) प्रबंध मण्डल तथा अन्य प्राधिकारियों की संस्तुतिओं तथा प्रस्तावों और /या उनके कार्यवृत को अंगीकृत और उस पर विचार करना तथा आवश्यक निर्णय लेना;
		(34) विश्वविद्यालय के हित में ऐसे मामले जो कि व्यवस्थापक मण्डल के विचार हेतु प्रस्तुत किये गये हों, व्यवस्थापक मण्डल की ओर से आवश्यक निर्णय लेने के लिए व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष को प्रत्यायोजित/अधिकृत करना अथवा ऐसे मामलों पर निर्णय लेना जो कि व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु, विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों / प्राधिकारियों के परामर्श से, लेना चाहते हों;
		(35) विश्वविद्यालय के परिसरों या संघटक महाविद्यालयों के विलिनीकरण/अविलिनीकरण के मामलों पर निर्णय लेना; तथा
		(36) अधिनियम और परिनियमों के प्राविधानों के अनरूप विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जैसा आवश्यक हो तथा जैसा समय—समय पर अधिनियम, परिनियमों या प्रायोजित संस्था द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किया जाये।
प्रबंध मण्डल [धारा—27(क)]	3.04	(1) प्रबंध मण्डल की बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जायेगी या उसकी अनुपरिथिति में प्रति—कुलपति अथवा ऐसा व्यक्ति जो प्रभारी कुलपति के रूप में कार्य कर रहा हो।
[ 2.(.,)]		(2) प्रबंध मण्डल की एक वर्ष में न्यूनतम 04 (चार) बैठकें होंगी। यद्यपि, कुलपति प्रबंध मण्डल की और भी बैठकें आहूत कर सकेगा।
		(3) प्रबंध मण्डल की बैठक के लिए गणपूर्ति, मण्डल के कुल नियुक्त सदस्यों की 2/5 (दो/पाँच) होगी। यदि प्रबंध मण्डल की बैठक में निश्चित् तारीख और समय पर गणपूर्ति पूरी नहीं है तो प्रबंध मण्डल की बैठक उसी तारीख और स्थान पर 02 (दो) घंटे के पश्चात् पुनः आयोजित की जा सकेगी जिसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।
		(4) प्रबंध मण्डल की कोई आकस्मिक बैठक केवल कुलपति द्वारा आहूत की जा सकेगी।
	3.05	पदेन सदस्यों के सिवाय, प्रबंध मण्डल के सभी सदस्य, अपनी नियुक्ति की तिथि से 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए सदस्य होंगे एवं पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
<b>[</b> धारा-22(3) <b>]</b>	3.06	(1) प्रबंध मण्डल, विश्वविद्यालय का प्रमुख प्रबंधन निकाय होगा एवं विश्वविद्यालय के सुचारू व कुशल संचालन के लिए सभी आवश्यक निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगा।
		(2) व्यवस्थापक मण्डल के नियन्त्रणाधीन एवं परिनियमों के प्राविधानों के अधीन, प्रबंध मण्डल की शक्तियाँ एवं कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—
		(क) विश्वविद्यालय के प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन करना एवं इस उद्देश्य के लिए ऐसी शक्तियों व दायित्वों के साथ ऐसे व्यक्तियों अथवा समितियों की नियुक्ति करना जैसा वह उचित समझे;
		(ख) विश्वविद्यालय के सुचारू प्रशासनिक संचालन हेतु अध्यादेशों की विरचना करना, संशोधन

करना व निरसन करना तथा व्यवस्थापक मण्डल से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना;

- (ग) विश्वविद्यालय के लिए शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अन्य पदों का सृजन व समाप्ति, उनकी संख्या, योग्यता एवं उनके संवर्ग का निर्धारण किये जाने हेतु व्यवस्थापक मण्डल को संस्तुत करना;
- (घ) विश्वविद्यालय की मानव संसाधन नीति से संबंधित अध्यादेशों सहित अर्हता रीति, चयन प्रक्रिया, परिलब्धियां, अनुशासनात्मक उपाय, आचार संहिता और पदोन्नित नीति, इत्यादि को व्यवस्थापक मण्डल को संस्तुत करना;
- (ङ) विभिन्न परामर्शदाताओं, पेशेवरों, सलाहकारों एवं अधिवक्ताओं की सेवाएं रिटेनरिशप के आधार पर या आपसी सहमति से निर्धारित निबन्धनों व शर्तों पर लेनाः
- (च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा छात्रों के मध्य अनुशासन लागू करने के लिए विनियमन और जहां आवश्यक हो समुचित अनुशासनिक कार्यवाही करना;
- (छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं छात्रों की समस्याओं का समाधान करना;
- (ज) किसी महाविद्यालय, विभाग, स्कूल, शैक्षणिक केन्द्र, शाखा, संकाय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र या अनुसंधान केन्द्र का सृजन, समापन या पुनर्गठन तथा शोध के अध्ययन क्षेत्र/विषय के आवंटन के संबंध में व्यवस्थापक मण्डल को संस्तुत करना;
- (झ) विभिन्न संकायों / स्कूलों, छात्रावासों, क्रीडा सुविधाओं और अध्यापकों एवं कर्मचारियों के निवास के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं पर विचार कर व्यवस्थापक मण्डल के विचार व अनुमोदन हेतु संस्तुत करना;
- (ञ) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अन्य अभिकरणों के स्वामित्व एवं प्रबंधन वाले छात्रावासों को मान्यता प्रदान करना, अनुरक्षण करना, नियंत्रण व उनका पर्यवेक्षण करना अथवा ऐसी मान्यता का निरसन करना;
- (ट) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों के लाभ हेतु वैधानिक रूप से अपेक्षित ऐसी पेंशन, बीमा, भविष्य निधि एवं अनुतोषिका योजनाओं को गठित किये जाने के लिए व्यवस्थापक मण्डल को संस्तुत करना;
- (ठ) विश्वविद्यालय की किसी भी चल एवं अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण, प्रबंधन एवं व्ययनन से संबंधित मामलों तथा किसी प्रकार के दान और उपहार प्राप्त करने हेतु व्यवस्थापक मण्डल को संस्तुति प्रदान करना;
- (ड) विश्वविद्यालय की समस्त चल एवं अचल सम्पत्तियों को उपबन्धित, स्थापित, प्रबंधित एवं अनुरक्षित करना;
- (ढ) अधिनियम तथा परिनियमों के प्राविधानों के अनुसार, किसी राज्य, अन्य राज्य तथा अपतटीय (ऑफ–शोर) में महाविद्यालय, संकाय/स्कूल, शैक्षणिक केन्द्र, परिसर, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, इत्यादि की स्थापना, रखरखाव, मान्यता, पुर्नगठन और/या उनके समापन हेतु व्यवस्थापक मण्डल को संस्तुत करना;
- (ण) विद्या परिषद् की संस्तुति पर केन्द्रों, उच्च शिक्षा के संस्थानों, शोध व विशिष्ट अध्ययन तथा शैक्षणिक सेवा इकाइयों का गठन करने के प्रस्तावों को व्यवस्थापक मण्डल को

संस्तृत करना;

- (त) विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, सरकारी एवं गैर सरकारी अभिकरणों, संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों एवं सोसाइटियों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने हेतु तथा इसके लिए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी को अधिकृत करने हेतु व्यवस्थापक मण्डल को संस्तृत करना;
- (थ) विश्वविद्यालय के लिए प्रतीक, ध्वज, प्रतीकचिन्ह अथवा आदर्शवाक्य को चुनने एवं विश्वविद्यालय की कॉमन सील बनाने एवं उसकी अभिरक्षा की व्यवस्था करने एवं प्रयोग करने हेत् व्यवस्थापक मण्डल को संस्तृत करना;
- (द) दूरस्थ शिक्षा केन्द्र की स्थापना करने एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धित में नामांकित छात्रों को संबंधित विनियामक निकाय के पूर्वानुमोदन से उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु व्यवस्थापक मण्डल को संस्तुत करना;
- (ध) विश्वविद्यालय के लिए अनुदान, दान, योगदान, उपहार, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, शुल्क एवं अन्य निधि प्राप्त करना:
- (न) पिछले वित्तीय वर्ष के तुलनपत्र सहित विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा विवरण की समीक्षा करना एवं उक्त को व्यवस्थापक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना;
- (प) विश्वविद्यालय के वार्षिक आय—व्ययक की समीक्षा करना एवं उक्त को व्यवस्थापक मण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना;
- (फ) विश्वविद्यालय की गतिविधियों की वार्षिक आख्या की समीक्षा करना व उक्त को व्यवस्थापक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना;
- (ब) विश्वविद्यालय के खातों की आन्तरिक ऑडिट आख्या की समीक्षा करना तथा इस संबंध में, जैसा वह उचित समझे, संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश देना;
- (भ) वित्त समिति के माध्यम से परीक्षा मण्डल की संस्तुति पर, डॉक्टोरल थीसिस के मूल्यॉकन हेतु नियुक्त बाह्य परीक्षकों / प्रश्न पत्र तैयार कर्ताओं सहित परीक्षकों, बाह्य अनुसीमकों इत्यादि की परिलब्धियाँ, यात्रा एवं अन्य भत्ते निर्धारित करना;
- (म) वित्त समिति की संस्तुति पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा, विश्वविद्यालय के अधिकारिक प्रयोजनों के लिए की गयी यात्राओं के लिए यात्रा व अन्य भत्ते निर्धारित करना:
- (य) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों / अधिकारियों के प्रस्तावों को, जहाँ लागू हो, व्यवस्थापक मण्डल को संस्तृत करना; तथा
- (र) ऐसी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे अन्य सभी कृत्यों का निर्वहन करना जो व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समय—समय पर सौंपे जायें या अधिनियम और परिनियमों के प्राविधानों के अनरूप विश्वविद्यालय के सूचारू संचालन हेत् आवश्यक हों।

विद्या परिषद्	3.07	(1)	विद्या	परिषद् का गठन निम्नलिखित होगाः–	
,	0.01		(ক)	कुलपति	– अध्यक्ष;
[धारा—23(1)(ग)]			(ख)	प्रति–कुलपति (यदि कोई हो)	– सदस्य;
			(ग)	विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्ष (डीन)	– सदस्य;
			( <sup>1</sup> ) (घ)	समस्त विभागाध्यक्ष	– सदस्य;
			( <del>ড</del> )	विश्वविद्यालय के 10 (दस्त) अध्यापक (चक्रानुक्रम से)	,
			(0)	01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए कुलपति द्वारा	
				नामित किये जायेंगे	– सदस्य;
			(च)	03 (तीन) सह प्राध्यापक (च्रकानुक्रम से)	VI (V-1,
			(3)	01 वर्ष की अवधि के लिये कुलपति द्वारा नामित किये	
				जायेंगे।	– सदस्य;
			(छ)	03 (तीन) सहायक प्राध्यापक (च्रकानुक्रम से)	(14(1),
			(0)	01 वर्ष की अवधि के लिये कुलपति द्वारा नामित किये	
				जायेंगे।	– सदस्य;
			(ज)	विश्वविद्यालय के अध्ययन कार्यक्रमों से संबंधित	(14(1),
			(51)	अन्य प्रतिष्टित उच्च शिक्षा संस्थाओं से 08 (आठ)	
				शिक्षाविद जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों.	
				02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए कुलपति द्वारा	
				नामित किये जायेंगे	– सदस्य;
			(耔)	विश्वविद्यालय के अध्ययन कार्यक्रमों से संबंधित	VIXVI,
			(<,)	औद्योगिक /कॉरपोरेट सेक्टर /अनुसंधान संस्थायें/	
				प्रतिष्टित कार्यरत प्रोफेसनल्स में से 04 (चार) विख्यात	
				व्यक्तियों को 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए कुलपति	
				द्वारा नामित किये जायेंगे	– सदस्य;
			(퍼)	परीक्षा नियंत्रक	– गैर–सदस्य;
			(ਟ)	पुस्तकालयध्यक्ष	– गैर–सदस्य;
			(ਰ)	कुलसचिव	– गैर सदस्य सचिव;
					तथा
			(ভ)	विशेष आमंत्रितगण, यदि कोई हो	– गैर–सदस्य।
		(2)		परिषद् में नामांकन कुलपति द्वारा इस प्रकार से किये / स्कूलों / विभागों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो जाये।	जायेंगे कि उसमें सभी
		(3)	कुलपि	ने द्वारा किये जाने वाले नामांकन कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से	होने चाहिए।

[धारा-27(क)]	3.08	(1)	प्रति–व्	परिषद् की बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जायेगी। उसकी अनुपस्थिति में, ठुलपति, यदि कोई हो, अथवा ऐसा व्यक्ति जो कि प्रभारी कुलपति के रूप में कार्य कर , परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा।			
		(2)		रिषद् की बैठक प्रत्येक 04 (चार) माह में न्यूनतम एक बार कुलपति द्वारा आयोजित की			
			जायेगी; इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार विद्या परिषद् की बैठक कभी भी कुलपति द्वारा आहूत की जा सकेगी।				
		(3)	विद्या परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति, परिषद् के कुल नियुक्त सदस्यों की 1/2 (एक/दो) होगी। यदि विद्या परिषद् की बैठक में निश्चित् तारीख, समय और स्थान पर गणपूर्ति पूरी नहीं है तो विद्या परिषद् की बैठक उसी तारीख और स्थान पर 02 (दो) घंटे के पश्चात् पुनः आयोजित की जा सकेगी जिसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।				
		(4)	विद्या प	रिषद् की कोई आकस्मिक बैठक कुलपति द्वारा भी आहूत की जा सकेगी।			
[धारा-23(3)]	3.09	(1)	विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की मुख्य शैक्षणिक निकाय होगी और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी तथा उसका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी। विद्या परिषद् विश्वविद्यालय के भीतर शैक्षिक, प्रशिक्षण, शोध व परामर्श का स्तर बनाये रखने के लिए, पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यचर्यों का अनुमोदन करने के लिए, शोध गतिविधियों का समन्वय करने के लिए, परीक्षाओं व परीक्षण का संचालन करने के लिए उत्तरदायी होगी।				
		(2)	व्यवस्थापक मण्डल के नियंत्रणाधीन एवं अधिनियम तथा परिनियमों के प्राविधानों के अधीन विद्या परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे, अर्थात्ः—				
			(ক)	<ul><li>(क) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना एवं अनुदेशों की विधियों, मूल्यांकन, शोध व शैक्षिक स्तर में सुधार के संबंध में निर्देश देना;</li></ul>			
			(ख)	विश्वविद्यालय में शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध व परीक्षाओं का स्तर बनाये रखना;			
			<ul><li>(ग) संकायों / स्कूलों, संघटक महाविद्यालयों एवं विभागों के मध्य शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध व परामर्श के संबंध में नियमित समन्वय स्थापित करना;</li></ul>				
			(घ) विश्वविद्यालय में शोध को बढ़ावा देना एवं समय—समय पर ऐसे शोध की आख्या मांगना;				
			(ভ;)	शैक्षिक हितों के मामलों पर स्वप्रेरणा से या व्यवस्थापक मण्डल के निर्देशों पर विचार करना एवं उचित कार्यवाही करना;			
			(च)	विभिन्न संकाय मण्डलों, अध्ययन मण्डलों, शोध मण्डल एवं परीक्षा मण्डल की संस्तुतियों पर विचार करना एवं अनुमोदन करना;			
			(ন্ত)	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित समस्त कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं सहित इन कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उनके परिणाम घोषित करना;			
			(ज)	परीक्षा मण्डल की संस्तुति के अनुरूप प्रश्न-पत्रों के अनुसीमन व परीक्षा परिणामों के लिए विभिन्न स्कूलों / विभागों के लिए अनुसीमन मण्डल के गठन पर विचार और अनुमोदन करना;			

समितियाँ (धारा 27(क)			
स्नातक / स्नातकोत्तर शैक्षणिक	3.10	के अ	क / स्नाकोत्तर शैक्षणिक समिति एक ऐसी निकाय होगी जो विभिन्न विभागों / विद्यालयों ध्ययन मण्डल द्वारा की गई संस्तुतियों की समीक्षा करेगी एवं अपनी संस्तुति के साथ परिषद को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगी।
		(द)	ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो कि व्यवस्थापक मण्डल अथवा प्रबंध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षिक विकास के लिए सौंपे जायें।
		(થ)	विद्यमान अध्ययन के पाठ्यक्रमों की व नये ज्ञान या बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के आलोक में संशोधन की वांछनीयता की आवधिक समीक्षा करना एवं आवश्यकता पड़ने पर इस हेतु समिति गठित करना; तथा
		(त)	संकायों / स्कूलों, संघटक महाविद्यालयों, विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों व अध्ययन केन्द्रों की गतिविधियों की वार्षिक समीक्षा करना व अनुदेशों के स्तर को बनाये रखने तथा सुधार करने के लिए यथोचित् कार्यवाही करना;
			(vi) विश्वविद्यालय में शैक्षणिक मामलों, परीक्षाओं, उपस्थिति व अनुशासन इत्यादि के संबंध में, अध्यादेश विरचित करना, संशोधन करना व निरसन करना।
			(v) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण—पत्रों एवं अन्य शैक्षिक पदवियों व विशिष्टताओं को प्रदान करना तथा उनको वापस लेना।
			(iv) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्रों एवं अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं की संस्थापना करना।
			(iii) अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों की उपाधियों एवं डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करना एवं विश्वविद्यालय की उपाधियों व डिप्लोमाओं से इनकी समतुल्यता निर्धारित करना।
			(ii) विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरल, पी०एच०डी०, एम०फिल०, स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण—पत्र कार्यक्रमों को प्रारम्भ करना।
			(i) प्रश्न–पत्र तैयार कर्ताओं व परीक्षकों की नियुक्ति की योग्यताएं एवं मापदण्ड निर्धारित करना।
		(ল)	व्यवस्थापक मण्डल को निम्नलिखित हेतु संस्तुति करनाः-
		( )	में नैतिक स्तर को बनाये रखने के उद्देश्य से साहित्यक चोरी रोकने हेतु नीति तैयार करना व उसका अनुमोदन करना;
		(ਫ)	शैक्षणिक सेवा इकाईयों की स्थापना हेतु प्रबंध मण्डल को प्रस्ताव संस्तुत करना; विश्वविद्यालय के छात्रों तथा शैक्षणिक कर्मचारियों के द्वारा किये जा रहे शैक्षणिक कार्य
		(ভ)	विशेष अध्ययन, शोध व केन्द्रों, उच्च शिक्षा, शोध व विशिष्ट अध्ययन हेतु संस्थानों व
		(ਰ)	विभिन्न शैक्षिक बोर्डों अथवा संस्थानों द्वारा निर्गत उपाधियों, डिप्लोमा तथा प्रमाण–पत्रों को मान्यता प्रदान करना;
		(ਟ)	शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध व परामर्श के स्तर में सुधार के लिए उपाय करना;
		(স)	विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं हेतु अध्ययन के कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना;
		(झ)	क्रेडिट अंतरण तथा छात्रों की अन्य विश्वविद्यालयों / संस्थानों से स्थानांतरण की नीति तथा उनकी समतुल्यता निर्धारित करना;

			त्तर शैक्षणिक समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे :-	
		(ক)	संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक	– अध्यक्ष;
		(ख)	समस्त अन्य संकायाध्यक्ष	– सदस्य;
		(ग)	सह संकायाध्यक्ष, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम – सद	रस्य;
		(ঘ)	समस्त विभागाध्यक्ष	– सदस्य;
		(ভ)	समस्त संकाय प्रभारी (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम)	– सदस्य;
		(च)	कुलपति के द्वारा नामित 03 विशेषज्ञ	– सदस्य; तथा
			(वाह्य भी हो सकते हैं)	
		(छ)	उप कुल सचिव	– सदस्य सचिव।
	(3)	स्नातकः	शैक्षणिक समिति के सदस्य निम्नांकित होंगे :–	
		(ক)	संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक	– अध्यक्ष;
		(ख)	समस्त अन्य संकायाध्यक्ष	– सदस्य;
		(ग)	सह संकायाध्यक्ष, स्नातक पाठ्यक्रम – सदस्य;	
		(ঘ)	समस्त विभागाध्यक्ष	– सदस्य;
		(ভ)	समस्त संकाय प्रभारी (स्नातक पाठ्यक्रम)	– सदस्य;
		(च)	कुलपति के द्वारा नामित 03 विशेषज्ञ	– सदस्य; तथा
			(वाह्य भी हो सकते हैं)	
		(छ)	उप कुल सचिव	– सदस्य सचिव।
(	(4)			नमक्ष प्रस्तुत की जायेंगी। उपरोक्त
(	(5)	बैठक के	लिये गणपूर्ति, समिति के कुल नियुक्त सदस्यों की	3/5 (तीन/पॉच) होंगी।
				गरा सस्तुत एवं व्यवस्थापक मंडल
3.11 (	(1)		. •	कार्यक्रमों की निगरानी के लिये
		(4) (5) (6)	(ग) (घ) (ङ) (च) (उ) (ग) (घ) (ए) (घ) (ए) (प) (ए) (ए) (उ) (प) (ए) (उ) (प) (ए) (उ) (प) (उ) (प) (उ) (प) (उ) (प) (उ) (प) (प) (प) (प) (प) (प) (प) (प) (प) (प	(ग) सह संकायाध्यक्ष, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम — सव (घ) समस्त विभागाध्यक्ष (ङ) समस्त संकाय प्रभारी (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) (च) कुलपति के द्वारा नामित 03 विशेषज्ञ (वाह्य भी हो सकते हैं) (छ) उप कुल सचिव (उ) स्नातक शैक्षणिक समिति के सदस्य निम्नांकित होंगे :— (क) संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक (ख) समस्त अन्य संकायाध्यक्ष (ग) सह संकायाध्यक्ष, स्नातक पाठ्यक्रम — सदस्य; (घ) समस्त विभागाध्यक्ष (ङ) समस्त संकाय प्रभारी (स्नातक पाठ्यक्रम) (च) कुलपति के द्वारा नामित 03 विशेषज्ञ (वाह्य भी हो सकते हैं) (छ) उप कुल सचिव (4) उपरोक्त दोनों समितियों की संस्तुतियां विद्या परिषद के स्समितियां वर्ष में चार बार बैठक करेंगी। (5) बैठक के लिये गणपूर्ति, समिति के कुल नियुक्त सदस्यों की (6) उपरोक्त समितियों के अधिकार एवं कार्य, प्रबंधक मंडल ह द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे।

		(2)	योजना	एवं अनुश्रवण मण्डल के सदस्य निम्नांकित होंगे :-	
			(ক)	कुलपति	– अध्यक्ष;
			(ख)	प्रति कुलपति (यदि कोई हो)	– सदस्य;
			(ग)	समस्त संकायाध्यक्ष – र	नदस्य;
			(ঘ)	समस्त विभागाध्यक्ष	– सदस्य;
			(ङ)	तीन वाह्य विषय विशेषज्ञ जो कुलपति के	
				के द्वारा 01 (एक) वर्ष के लिये नामित हों	– सदस्य;
			(च)	कुल सचिव	– सदस्य सचिव; तथा
			(ঘ)	विशेष आमंत्रित सदस्य	– सदस्य।
		(3)	उपरोक्त	। मण्डल के अधिकार एवं कार्य व्यवस्थापक मंडल द्वारा निध	र्गित ह्येंगे।
		(4)	वस्तु प	एवं अनुश्रवण मण्डल को यह अधिकार होगा कि आवश्य र जो विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक को परामर्श दें।	
		(5)		एवं अनुश्रवण मण्डल की संस्तुतियां प्रबन्धक मंडल के सम की जायेंगी। शैक्षणिक विषयों सम्बन्धित प्रस्ताव, विद्या परि	
वित्त समिति	3.12	(1)	वित्त स		
[धारा—24(1)(घ)]			(ক)	कुलपति	– अध्यक्ष;
[91(1 24(1)(9)]			(ख)	प्रति–कुलपति (यदि हो)	– सदस्य;
			(ग)	राज्य सरकार के उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव/सचिव	– सदस्य;
			(ঘ)	प्रायोजित संस्था द्वारा नामित 02 (दो) व्यक्ति	– सदस्य;
			(ङ)	व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामित ०१ (एक) व्या	क्ति – सदस्य;
			(च)	कुलसचिव	– सदस्य;
			(छ)	वित्त अधिकारी	– सदस्य–सचिव; तथा
			(ज)	विशेष आमंत्री, यदि कोई हो	– गैर–सदस्य।
		(2)		ादस्यों के अतिरिक्त, वित्त समिति के सभी सदस्य, अपनी वर्षों की अवधि के लिए सदस्य होंगे एवं पुर्ननियुक्ति के लि	
[धारा–27(क)]	3.13	(1)	वित्त स	मिति की बैठकों की अध्यक्षता कुलपति करेगा।	
		(2)	वित्त स	मिति की बैठक 01 (एक) वर्ष में न्यूनतम 02 (दो) बार होगी	TI

		(3)	वित्त समिति की बैटक के लिए गणपूर्ति, समिति के कुल नियुक्त सदस्यों की 3/5 (तीन/पाँच) होगी।
[धारा—24(3)]	3.14	1	गपक मण्डल तथा प्रबंध मण्डल के नियंत्रणाधीन एवं अधिनियम तथा परिनियमों के प्राविधानों के वित्त समिति की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे, अर्थात्:—
		(1)	विश्वविद्यालय की आय एवं संसाधनों के आधार पर, विश्वविद्यालय का वार्षिक आय—व्ययक तैयार करना एवं वार्षिक आवर्तक व अनावर्तक व्यय की सीमाएं निर्धारित करना;
		(2)	विश्वविद्यालय की वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा आख्या का परीक्षण एवं समीक्षा करना;
		(3)	यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यय निश्चित् सीमा से अधिक नहीं किया गया है;
		(4)	आय—व्ययक में वर्णित व्ययों के अतिरिक्त अन्य व्ययों के अनुमोदन हेतु व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष को संस्तुति देना;
		(5)	प्रबंध मण्डल को प्रस्तावित नये महाविद्यालयों, शैक्षिक इकाईयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, विभागों एवं पदों के सृजन के वित्तीय निहितार्थ पर परामर्श देना;
		(6)	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों के लिए छात्रों से संबंधित विभिन्न प्रकार के शुल्क, जमा राशि और अन्य शुल्क/व्यय और उससे संबंधित अध्यादेशों को व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत करना;
		(7)	विभिन्न विद्यमान तथा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन करना;
		(8)	संकाय / स्कूलों, संघटक महाविद्यालयों, शैक्षिक इकाईयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों इत्यादि के वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय अनुपालन एवं वित्तीय व्यवहार्यता का अनुश्रवण व आकलन करना एवं प्रबंध मण्डल को आवश्यकतानुसार विशिष्ट उपचारात्मक उपाय हेतु सुझाव देना;
		(9)	प्रबंध मण्डल को, परीक्षा मण्डल की संस्तुति पर, परीक्षाओं के लिए नियुक्त बाह्य परीक्षकों / प्रश्न-पत्र तैयारकर्ताओं सिहत डॉक्टोरल थीसिस के मूल्यांकन हेतु नियुक्त परीक्षक, बाह्य अनुसीमकों इत्यादि की परिलब्धियों, यात्रा व अन्य भत्तों का निर्धारण कर प्रस्ताव संस्तुत करना;
		(10)	प्रबंध मण्डल को, विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा, विश्वविद्यालय के अधिकारिक प्रयोजनों के लिए की गयी यात्राओं के लिए यात्रा व अन्य भत्तों का निर्धारण कर प्रस्ताव संस्तुत करना;
		(11)	व्यवस्थापक मण्डल को, विश्वविद्यालय के वित्तीय नियंत्रण व प्रबंधन के संबंध में अध्यादेशों की विरचना, संशोधन व निरसन करने हेतु संस्तुत करना; तथा
		(12)	ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे सभी कृत्यों का निर्वहन करना जो व्यवस्थापक मण्डल तथा प्रबंध मण्डल द्वारा सौंपे जायें एवं विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबंधन के लिए आवश्यक हो।
अध्ययन मण्डल [धारा—20 (ङ), धारा—25 और धारा—27(क)]	3.15	(1)	प्रत्येक स्कूल/विभाग हेतु जिनमें एक कार्यक्रम या कार्यक्रमों का समूह हो, वहां अध्ययन मण्डल होगा। अध्ययन मण्डल, विद्या परिषद् एवं स्नातक/स्नाकोत्तर शैक्षणिक समिति के प्रति उत्तरदायी होगा एवं सभी कार्यवाहियों की आख्या स्नातक/स्नाकोत्तर शैक्षणिक समिति द्वारा विद्या परिषद् को देगा। प्रत्येक अध्ययन मण्डल निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगा, अर्थात्:—

		(ক)	विभागाध्यक्ष	– अध्यक्ष;
		(ख)	विभाग के समस्त प्रध्यापक 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए	– सदस्य;
		(ग)	संकाय / स्कूल में से 02 (दो) सह प्रध्यापक (चक्रानुक्रम से)	
			01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए कुलपति द्वारा नामित किये	
			जायेंगे	– सदस्य;
		(ঘ)	संकाय / स्कूल में से 02 (दो) सहायक प्रध्यापक (चक्रानुक्रम से)	
			01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए कुलपति द्वारा नामित किये	
			जायेंगे	– सदस्य;
		(ভ)	अन्तरविषयक विभाग / स्कूल में से ०४ (चार) अध्यापक ०१ (एक)	
		, ,	वर्ष की अवधि के लिए कुलपति द्वारा नामित किये जायेंगे	– सदस्य;
		(च)	04 (चार) बाह्य विशेषज्ञ जोकि शैक्षणिक, औद्योगिक	
			और शोध एवं विकास संस्थाओं, प्रतिष्ठित कार्यरत	
			प्रोफेशनल में से होगे और विश्वविद्यालय में नियुक्त	
			न हों तथा जिनमें कम से कम 01 (एक) व्यक्ति औद्योगिक	
			क्षेत्र / प्रतिष्ठित कार्यरत प्रोफेशनल होगा, 02 (दो) वर्ष	
			की अवधि के लिए कुलपति द्वारा नामित किये जायेंगे	– सदस्य;
		(छ)	कुलसचिव द्वारा नामित व्यक्ति	– गैर–सदस्य सचिव; तथा
		(ज)	विशेष आमंत्रितगण, यदि कोई हो	– गैर–सदस्य।
		पूर्ति व	केसी कारण अपेक्षित प्राध्यापक/सह प्राध्यापक उपलब्ध नहीं हैं तो जरने के लिए स्कूल/विभाग के अध्यापकों में से सह प्राध्यापकों/सह कर सकेगा।	
		(1) अध्ययन जायेंगी	ं मण्डल की बैठकें अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष द्वारा कुलपति के पूर्वानु ।	मोदन से आहूत की
[धारा—27(क)]	3.16	(2) मण्डल	की बैठक वर्ष में न्यूनतम 02 (दो) बार होगी;	
	3.10	शैक्षणिव	इसके अतिरिक्त जब आवश्यक हो, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल इसे परामर्श करके एवं कुलपति के पूर्वानुमोदन से मण्डल की बैठक	` ,
			ं मण्डल की बैठक के लिए गणपूर्ति, मण्डल के कुल नियुक्त पाँच) होगी। एक बाह्य विशेषज्ञ सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।	
		अध्ययन मण्ड	ल की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे, अर्थात्:—	
[धारा-25]		(1) योजना	एवं अनुश्रवण मण्डल एवं विद्या परिषद द्वारा संदर्भित किये जाने पर, य या विषयों के समूह के अध्ययन के कार्यक्रमों / पाठयक्रमों, पा	

	3.17		आकलन की विधियों हेतु संस्तुति प्रदान करना;	
		(2)	अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तकों जिनमें पाठ्य पुस्तकें, सिम्मिलित हैं तथा अन्य पाठ्य सामग्री की संस्तुति करना;	अतिरिक्त पठन, संदर्भ पुस्तकें
		(3)	अध्ययन के कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों में सुधार हेतु विद्या परिषद् को सिमिति द्वारा परामर्श देना;	स्नातक / स्नातकोत्त्तर शैक्षणिक
		(4)	विषय में अभिविन्यास एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के आयोजनों को सं	स्तुत करना;
		(5)	प्रत्येक 02 (दो) वर्ष के पश्चात् स्कूल / विभाग द्वारा प्रदत्त किये पाठ्यचर्याओं का पुनर्विलोकन करना।यदि सम्बन्धित विभागाध्यक्ष व वर्ष से पूर्व किसी विद्यमान कार्यक्रम / पाठ्यक्रम में हुए नवीनतम व उसके पुनर्विलोकन व संशोधन की आवश्यकता है तो अध्ययन मण्किया जा सकेगा;	ा विचार यह हो कि 02 (दो) विकास को ध्यान में रखते हुए
		(6)	विद्या परिषद् को स्कूल / विभाग के विकास की योजनाओं की संस्त	नुति करना; तथा
		(7)	विद्या परिषद् अथवा योजना एवं अनुश्रवण मण्डल के संकायाध्यक्ष शैक्षणिक विषय में विचार करना।	द्वारा उसे संदर्भित किसी भी
शोध मण्डल [धारा—20 (ङ), धारा—25 और	3.18	(1)	विश्वविद्यालय में एक शोध मण्डल होगा जो कि विश्वविद्यालय परामर्शी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होगा। शोध समिति अर्थात्:—	
धारा—25 जार धारा—27(क) <b>]</b>			(क) कुलपति	– अध्यक्ष;
, ,,,			(ख) प्रति—कुलपति (यदि कोई हो),	– सदस्य;
			(ग) समस्त संकायाध्यक्ष –	- सदस्य;
			(घ) समस्त विभागाध्यक्ष	
			(ङ) कुलपति द्वारा प्रत्येक विभाग / विद्यालय से 01 (एक) वर्ष	की
			अवधि के लिए नामित शोध की स्थापित पृष्ठभूमि वाला	
			०१ (एक) अध्यापक	– सदस्य;
			(च) संकायाध्यक्ष (शोध एवं परामर्श कार्य)	– सदस्य सचिव; तथा
			(छ) विशेष आमंत्रितगण (यदि कोई हो)	– गैर–सदस्य।
		(2)	नियुक्त सदस्य पुर्ननियुक्ति के लिए पात्र होगें।	
[धारा-27(क)]	3.19	(1)	शोध मण्डल की बैठक वर्ष में न्यूनतम 02 (दो) शोध मण्डल की बैठक आवश्यकतानुसार कुलपति के अ जा सकेगी।	
		(2)	शोध मण्डल की बैठक के लिए गणपूर्ति, मण्डल के कुल नियुक्त होगी।	सदस्यों की 3/5 (तीन/पाँच)

[धारा—25]	3.20	शोध	मण्डल की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे, अर्थात्:—
		(1)	विश्वविद्यालय में किये जा रहे अनुसंधान कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण करना;
		(2)	स्वयं या विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययन मण्डलों, शैक्षिक इकाईयों व संघटक महाविद्यालयों द्वारा संदर्भित शोध व परामर्श से संबंधित सभी विषयों पर विचार करना;
		(3)	विश्वविद्यालय में अन्तर—संकाय एवं अन्तर विभागीय शोध को बढ़ावा देना;
		(4)	शोध के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु, निम्नलिखित को सिम्मिलित कर परन्तु उन तक सीमित न रहते हुए, दिशा निर्देश बनाना व उनका क्रियान्वयन करना –
			(क) प्रयोगशाला, पशु एवं क्लीनिकल शोध का नैतिक संचालन;
			(ख) शोध प्रस्तावों को प्रस्तुत करने एवं वित्त प्रबंधन की प्रक्रिया;
			(ग) शोध परियोजनाओं की प्रगति की आख्या;
			(घ) प्रकाशन एवं प्रस्तुतियों के माध्यम से शोध के निष्कर्षों का प्रचार–प्रसार;
			(ङ) वित्त समिति को शोध आय—व्ययक प्रस्तुत करना;
			(च) शोध से संबंधित व्ययों का अनुश्रवण; तथा
			(छ) विश्वविद्यालय की सभी शोध गतिविधियों का अभिलेखन।
		(5)	विश्वविद्यालय की शोध गतिविधियों की वार्षिक समीक्षा करना;
		(6)	शैक्षणिक कर्मचारियों को बाहय् एजेंसियों से शोध हेतु निधियाँ प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करना तथा विश्वविद्यालय के लिए राजस्व उत्पन्न करने हेतु विभिन्न परामर्श परियोजनाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की खोज करना;
		(7)	राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, सरकारी व गैर–सरकारी संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों एवं अभिकरणों के साथ संयोजन कर सहयोगात्मक एवं बहु–विषयक शोध को अनुमोदित करना तथा सुविधाजनक बनाना; तथा
		(8)	विश्वविद्यालय के शोध विकास हेतु अन्य विषयों पर, जो उसे संदर्भित किये जाएं या जिसे वह उचित समझे, विचार करना।
परीक्षा मण्डल [धारा–20 (ङ), धारा–25 और	3.21	(1)	विश्वविद्यालय में एक परीक्षा मण्डल होगा जो कि विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं का संचालन तथा उसके सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होगा। परीक्षा मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—
धारा—27(क) <b>]</b>			(क) कुलपति – अध्यक्ष;
			(ख) प्रति–कुलपति (यदि कोई हो) – सदस्य;
			(ग) समस्त संकायाध्यक्ष – सदस्य;
			(घ) समस्त विभागाध्यक्ष – सदस्य;
			(ङ) संकाय / स्कूल में से 02 (दों) प्राध्यापक (चक्रानुक्रम से)
		<u> </u>	

				01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए कुलपति द्वारा नामित	
				किये जायेंगे	– सदस्य;
			(च)	संकाय / स्कूल में से 02 (दो) सह प्रध्यापक (चक्रानुक्रम से)	
				01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए कुलपति द्वारा नामित किये	
				जायेंगे	– सदस्य;
			(छ)	कुलसचिव	– सदस्य;
			(ज)	परीक्षा नियंत्रक	–सदस्य सचिव; तथा
			(झ)	विशेष आमंत्रितगण (यदि कोई हो)	– गैर–सदस्य।
		(2)	परीक्षा म	ण्डल के नियुक्त सदस्य पुर्ननियुक्ति के लिए पात्र होंगे।	
		(3)	परीक्षा म परिषद् व	ण्डल, विद्या परिषद् के प्रति उत्तरदायी होगा एवं सभी कार्यवाहिये गे देगा।	ों की आख्या विद्या
[धारा—27(क)]	3.22	(1)	परीक्षा म	ण्डल की बैठक वर्ष में न्यूनतम 02 (दो) बार होगी।	
		(2)		ाण्डल की बैठक के लिए गणपूर्ति, मण्डल के कुल नियुक्त चि) होगी।	सदस्यों की 3/5
[धारा—25]	3.23	परीक्षा	मण्डल व	ी निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे, अर्थात्:–	
		(1)	विश्वविद्य	ालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश परीक्षा सहित र एवं सुचारु रूप से आयोजन सुनिश्चित करना;	ामस्त परीक्षाओं का
		(2)	सभी परी निर्धारित	क्षाओं के आयोजन व संचालन एवं परीक्षाओं की प्रणाली में सुधार व करना;	के संबंध में नीतियां
		(3)	परीक्षाओं	के आयोजन एवं परिणाम घोषणा की तिथि की समय सारणी को अ	ांतिम रूप देना;
		(4)		के आयोजन, आकलन, मूल्यांकन एवं परिणामों की घोषणा से संबंधि चारों का निराकरण करना;	धेत सभी शिकायतों
		(5)	अध्यादेशे विनिश्चित	ं के अनुरूप छात्रों द्वारा अनुचित साधनों एवं कदाचारों के लिए ' 1 करना;	दण्ड की मात्रा को
		(6)		ालय की विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन हेतु वार्षिक आय—व्ययक तै: घेकारी को विश्वविद्यालय के वार्षिक आय—व्ययक में सम्मिलित करने	
		(7)	परीक्षाओं	के संचालन के दौरान कड़ी निगरानी की व्यवस्था के लिए दिशा नि	नेर्देश जारी करना;
		(8)	_	ालय की समस्त परीक्षाओं के संचालन हेतु अध्यादेशों की विरचन गे संस्तुत करना;	ग तथा उन्हें विद्या
		(9)	वित्त सन	मेति को व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन हेतु, डॉक्टोरल थीसिस के	मूल्यांकन के लिए

गरिश्रमिक गर करना, लेना;
ने संबंधित
ंकायाध्यक्ष अनुमोदित की विशेष
अन्य सभी
व्यादेश के क्तयाँ एवं गए विषय चित् करे,
न्सी अन्य
योगदान
के पश्चात्
नियमित में मानद्
`
ात् किसी

_					
		अध्याय – पाँच			
अध्येतावृ	अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, निःशुल्कता, पदक, पुरस्कार आदि को संस्थित तथा प्रदान करना				
अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, निःशुल्कता, पदक,	5.01	(1) प्रत्येक संकाय के संकायाध्यक्ष, संघटक महाविद्यालय के प्राचार्य तथा शैक्षिक इकाई के प्रमुख अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, निःशुल्कता, पदक एवं पुरस्कार को संस्थित करने हेतु प्रस्ताव तैयार करेंगे तथा उसे कुलपित को उसके विचार हेतु प्रस्तुत करेंगे;			
पुरस्कार आदि को संस्थित तथा प्रदान करना		(2) कुलपति, वित्त समिति एवं विद्या परिषद् के परामर्श से व्यवस्थापक मण्डल को अपनी संस्तुति देगा। व्यवस्थापक मण्डल को विभिन्न संकायों / स्कूलों में अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, निःशुल्कता, पदक एवं पुरस्कार संस्थित करने की शक्ति होगी;			
[धारा-8(1)(ङ) और धारा-27(झ) और (ठ)]		(3) अनुमोदित की गयी अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, निःशुल्कताओं, पदकों व पुरस्कारों को प्रदान करने, निलम्बित करने, वापस लेने या रद्द करने की पूर्ण शक्ति व्यवस्थापक मण्डल में निहित होंगी; तथा			
		(4) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, निःशुल्कता, पदक एवं पुरस्कार को प्रदान करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि व्यवस्थापक मण्डल द्वारा अध्यादेशों में विहित हो।			
		अध्याय — छः			
		अन्य विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा के संस्थानों के साथ सहयोग की विधि			
अन्य विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा के संस्थानों के साथ सहयोग की विधि	6.01	(1) विद्या परिषद् की संस्तुति तथा व्यवस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से प्रबंध मण्डल को, भारत तथा विदेश के अन्य संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों, व्यक्तियों, उद्योगों एवं सोसाईटियों के साथ शिक्षण, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, शोध व परामर्श कार्यों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए पारस्परिक रुप से सहमत निबंधनों व शर्तों के आधार पर सहयोग एवं सहभागिता स्थापित करने की शक्ति होगी;			
[धारा–27(छ)]		(2) व्यवस्थापक मण्डल, विद्या परिषद् की संस्तुति पर, विभाग और संकाय / स्कूल की सहमित से किसी अन्य बाह्य संस्था अथवा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विश्वविद्यालय की शोध उपाधि प्रदान किये जाने हेतु शोध कार्य किये जाने को मान्यता दे सकेगा; तथा			
		(3) ऐसा अभ्यर्थी जिसके पास अपेक्षित अर्हता हो और जो विश्वविद्यालय की शोध उपाधियों के लिए ऐसे मान्यता प्राप्त संस्थान से शोध कार्य करने का इच्छुक हो तो, विश्वविद्यालय के कुलपित को इस संबंध में आवेदन कर सकेगा। इस प्रकार प्राप्त आवेदन—पत्र पर, विश्वविद्यालय के शोध मण्डल द्वारा विचार किया जाएगा और यदि उसे मण्डल द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो अभ्यर्थी को अपेक्षित संस्था से कार्य प्रारम्भ करने की अनुमित दी जा सकेगी।			
		अध्याय — सात			
		क्षेत्रीय केन्द्रों एवं अध्ययन केन्द्रों की स्थापना, अनुरक्षण एवं मान्यता			
क्षेत्रीय केन्द्रों एवं अध्ययन केन्द्रों की	7.01	(1) वित्त समिति के परामर्श से, प्रबंध मण्डल की संस्तुति पर व्यवस्थापक मण्डल क्षेत्रीय केन्द्रों एवं अध्ययन केन्द्रों की स्थापना, तथा मान्यता प्रदान कर सकेगा, अथवा बन्द कर सकेगा; तथा			
स्थापना, अनुरक्षण एवं मान्यता [धारा–8(1)(छ)]		(2) क्षेत्रीय केन्द्रों एवं अध्ययन केन्द्रों के अनुरक्षण की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा अध्यादेशों में प्राविधानित हो।			

### अध्याय - आट

अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या एवं ऐसे कार्यक्रमों / पाठयक्रमों में उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों हेत् आरक्षण सहित छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया

# अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों / पाट्य क्रमों में सीटों की संख्या एवं ऐसे कार्यक्रमों / पाटय क्रमों में उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों हेतु आरक्षण सहित छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया

8.01

- (1) प्रबंध मण्डल की संस्तुति पर व व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों हेत् सीटों की कुल संख्या विनिश्चित् की जायेगी;
- (2) प्रबंध मण्डल की संस्तुति पर व व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकेगा:
- (3) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता के मापदण्ड ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों में प्राविधानित किए जायें;
- (4) सभी पाठ्यक्रमों / कार्यक्रमों में प्रवेश, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष के अनुमोदन पर प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षण निकाय / मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा;

परन्तु यह कि जहां प्रवेश परीक्षा का आयोजन अनिवार्य न हो, प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर किये जायेंगे;

- (5) सभी कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों में उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए सीटों का आरक्षण अधिनियम की धारा 33 की उपधारा 1 के प्राविधानों के अनुरुप होगा; तथा
- (6) उत्तराखण्ड के छात्रों के लिए आरक्षित सीटें, यदि विश्वविद्यालय द्वारा इस संदर्भ में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद, रिक्त रहेंगी तो विश्वविद्यालय इन खाली सीटों पर अन्य छात्रों को प्रवेश देगा।

### अध्याय – नौ

# विश्वविद्यालय के छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा अपील का अधिकार

# विश्वविद्यालय के छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा अपील का अधिकार

9.01

[धारा–27(ढ)]

- (1) आवासीय छात्रों अथवा गैर—आवासीय छात्रों के साथ, उनकी जाति, रंग, लिंग, धर्म या जन्म के स्थान के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए छात्रों में अनुशासन लागू किए जाने के संबंध में विश्वविद्यालय अध्यादेशों की रचना करेगा;
- (2) अनुशासन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित सभी शक्तियाँ कुलपित में निहित होंगी जो सभी या ऐसी शक्तियों को, जैसा वह उचित समझे, ऐसे अन्य व्यक्ति / समिति को प्रत्यायोजित कर सकेंगा जैसा वह इस संबंध में उल्लिखित करेगा;
- (3) छात्र द्वारा किये गये किसी भी अनुशासनहीनता के कृत्य की सूचना संबंधित संकाय / स्कूल के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, विभागाध्यक्ष, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलपित द्वारा पदाभिहित अन्य अधिकारी के माध्यम से लिखित रुप में कुलपित को दी जायेगी;
- (4) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र को इस आशय के घोषणा—पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा कि वह विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का पालन करेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये मानकों के अनुसार अनुशासन बनाये रखेगा। विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन की अवधि के दौरान वह किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता के कृत्यों में लिप्त नहीं होगा अन्यथा उसके

- विरूद्ध इस संबंध में बनाये गये परिनियमों, नियमों तथा अध्यादेशों के अनुरूप उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी;
- (5) परिनियमों के तहत अनुशासन लागू करने की शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित घोर अनुशासनहीनता के कृत्य होगें:—
  - (क) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी, अन्य कर्मचारी या छात्र के विरुद्ध शारीरिक बल प्रयोग या शारीरिक बल प्रयोग करने की धमकी:
  - (ख) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी, अन्य कर्मचारी या छात्र के विरूद्ध मौखिक / लिखित अपशब्दों, अपमानजनक व असंसदीय भाषा का प्रयोग:
  - (ग) किसी अस्त्र, निषिद्ध वस्तुओं या रसायन को रखना या प्रयोग करना या प्रयोग करने की धमकी देना;
  - (घ) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्राविधानों का कोई उल्लंघन;
  - (ङ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रास्थिति, सम्मान एवं गरिमा को भंग करना;
  - (च) लिंग संबंधी मौखिक या अन्य किसी प्रकार का अपमानजनक कृत्य;
  - (छ) धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक आधार पर दुर्भावना एवं असहिष्णुता उत्पन्न करना;
  - (ज) रिश्वत या भ्रष्टाचार का कोई भी कृत्य;
  - (झ) विश्वविद्यालय द्वारा अयोजित किसी परीक्षा के कदाचार से संबंधित कृत्य;
  - (ञ) विश्वविद्यालय की किसी सम्पत्ति को जानबूझ कर क्षतिग्रस्त करना;
  - (c) विश्वविद्यालय के संचालन में किसी भी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करना;
  - (ठ) विश्वविद्यालय, उसके संघटक महाविद्यालयों, विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों इत्यादि के परिसरों सहित विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर स्थित छात्रावासों में प्रतिबन्धित / निषिद्ध पदार्थो जैसे तम्बाकू उत्पाद, मदिरा व नशीले पदार्थीं आदि को रखना एवं / या प्रयोग करना;
  - (ड) रैगिंग; और
  - (ढ) ऐसा कोई भी अन्य कृत्य या कर्तव्य में चूक जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी की दृष्टि में अनुशासनहीनता मानी जाये।
- (6) कुलपित, अनुशासन के अनुरक्षण से संबंधित अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संदर्भ में गठित हुई समिति की संस्तुति पर आदेश या निर्दिष्ट कर सकेगा कि किसी भी छात्रः—
  - (क) को निर्धारित अवधि के लिए अनुशासनात्मक परिवीक्षा पर रखा जाए; या
  - (ख) को वर्णित अवधि के लिए निलम्बित किया जाए; और / या
  - (ग) पर निर्धारित राशि का जुर्माना लगाया जाए; और / या
  - (घ) के परीक्षाफल की घोषणा, जिस परीक्षा में वह बैठा है, को वर्णित अवधि के लिए रोक दिया जाए या रदद कर दिया जाए; और/या
  - (ङ) को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक या अधिक परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाए; और / या

	1	T	
			(च) को वर्णित अवधि के लिए निष्कासित कर दिया जाए; या
			(छ) को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाए; या
			(ज) ऐसे अन्य दण्ड जो कि कुलपति विधि सम्मत समझे।
		(7)	कुलपित द्वारा दिये गये दण्ड का निर्णय अन्तिम होगा किन्तु, असन्तुष्ट छात्र को दंडात्मक आदेश दिये जाने के 10 (दस) दिनों के भीतर कुलाधिपित को अपील करने का अधिकार होगा। तत्क्रम में, दण्डात्मक आदेश के विषय में, कुलाधिपित का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा; तथा
		(8)	कुलपति व अन्य अधिकारियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुशासन एवं सदाचार के संबंध में विस्तृत अध्यादेशों को विरचित किया जायेगा।
	•		अध्याय – दस
			छात्रों हेतु शिकायत निवारण तथा विवादों का समाधान
छात्रों हेतु शिकायत निवारण तथा विवादों का समाधान	10.01	(1)	कुलपति, कुलाधिपति के परामर्श से, किसी वरिष्ठ अध्यापक को छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के रूप में छात्रों के शिकायतों का निवारण तथा कल्याण के अनुरक्षण हेतु नियुक्त कर सकेगा। संकायाध्यक्ष (छात्र कल्याण), शिकायत निवारण समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे;
[धारा–27(ङ) और धारा–35]		(2)	छात्रों के परिवाद अथवा शिकायतें यदि कोई हों, को छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष / सह संकायाध्यक्ष द्वारा सुनी जायेंगी और वह कुलपित को समुचित संस्तुतियां दे सकेगा। कुलपित किसी संबंधित समिति के द्वारा अथवा स्वयं मामले को सत्यापित तथा उसकी समीक्षा करेगा एवं ऐसे निर्णय लेगा जो कि परिनियमों, नियमों तथा अध्यादेशों के अधीन छात्रों तथा विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ हित में हों;
		(3)	परिवाद, शिकायत या विवाद पर किसी आन्ततिक कार्यवाही के संबंध में, कोई बाहरी व्यक्ति या अभिकरण दखल देने हेतु अर्ह नहीं होगा;
		(4)	प्रबंध मण्डल की संस्तुति एवं व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन पर छात्रों के विवादों का समाधान करने तथा उनकी शिकायतों के निराकरण हेतु प्रणाली को विहित करने के लिये उपयुक्त अध्यादेशों की विरचना की जाएगी; तथा
	I	ı	अध्याय – ग्यारह
			विभागों एवं संकायों का सृजन, समापन या पुनर्गठन करना
विभागों एवं संकायों का सृजन, समापन	11.01	(1)	प्रबंध मण्डल, विद्या परिषद् की संस्तुति पर किन्तु व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त शैक्षणिक विभागों एवं संकायों का सृजन एवं/अथवा समापन कर सकेगा; तथा
या पुनर्गठन करना		(2)	प्रबंध मण्डल विद्या परिषद् की संस्तुति पर किन्तु व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त किसी भी विभाग / संकाय / स्कूल का पुर्नगठन कर सकेगा।
[धारा-27(च)]			

				अध्याय — बारह	
				पदों का सृजन एवं समापन	
पदों का सृजन एवं समापन	12.01			की संस्तुति पर व्यवस्थापक मण्डल शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अन् नमापन कर सकेगा।	न्य पदों का सृजन
[धारा-27(ड)]					
				अध्याय – तेरह	
विश्वविद्यालय	के अन्य	अधिकार्रि	रेयों, शैक्ष	ाणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मचारियों तथा अन्य कार्मचारियों की निय् एवं सेवा शर्तें	पुक्ति की रीति
विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों,	13.01	(1)		द्यालय के अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों एवं उ हेतु पात्रता के मापदण्ड ऐसे होंगे जैसे अध्यादेशों में प्राविधानित हों	
शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मचारियों तथा अन्य कार्मचारियों		(2)	नियुक्ति	द्यालय के सभी अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी एवं अ । के निबन्धनों एवं शर्तों तथा अध्यादेशों में प्राविधानित विश्वविद्यालय अंत होंगे।	
की नियुक्ति की रीति एवं सेवा शर्तें		(3)	कर्मियों,	ाम व परिनियमों के प्राविधानों के अधीन, विश्वविद्यालय के आं प्रशासनिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु संस्तुति निमिति होगी।	•
[धारा—27(घ)]		(4)	प्रध्यापव	गें की चयन समिति में निम्न सदस्य होंगे, अर्थात्≔	
			(ক)	कुलपति	– अध्यक्ष;
			(ख)	व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामित एक	
				प्राध्यापक (वाह्य भी हो सकते हैं)	– सदस्य;
			(ग)	संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक)	– सदस्य;
			(ঘ)	कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित नामिका में से कुलपति	
				द्वारा नामित 02 (दो) विषय विशेषज्ञ	
				(वांछनीय रूप से बाह्य विशेषज्ञ)	– सदस्य।
		(5)	सह प्रध	यापक / सहायक प्रध्यापक चयन समिति में निम्न सदस्य होंगे अर्थात:-	_
			(ক)	कुलपति	– अध्यक्ष;
			(ख)	व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामित एक	
				प्राध्यापक (वाह्य भी हो सकते हैं)	– सदस्य;
			(ग)	सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (प्राध्यापक होना अनिवार्य है जब सह	
				प्राध्यापक का चयन हो रहा हो)	– सदस्य;
			(ঘ)	कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित नामिका में से कुलपति	

	द्वारा नामित 02 (दो) विषय विशेषज्ञ	
	(वांछनीय रूप से बाह्य विशेषज्ञ)	– सदस्य
(6) विश्व	विद्यालय के प्रशासनिक कर्मियों की चयन समिति में निम्न सदस्य ह	ोगें, अर्थात्:–
(ক)	कुलपति	– अध्यक्ष;
(ख	) प्रति–कुलपति	– सदस्य
(ग)	व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति	– सदस्य
(ঘ)	विभागाध्यक्ष (जहां लागू हो )	– सदस्य;
(ভ)	कुलपति द्वारा नामित एक विशेषज्ञ;	– सदस्य;
(च)	कुलसचिव	– सदस्य सचिव।
	सभी कर्मचारियों, जो कि उपरोक्त परिनियमों के उपखण्डों (4), (5) हैं, की चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–	) एवं (6) में उति
(ক)	कुलसचिव	– अध्यक्ष;
(ख	) कुलपति या उसका नामित एक व्यक्ति	– सदस्य
	कुलपति द्वारा नामित 02 (दो) सदस्य जिनमें न्यूनतम	
(ग)		

- (8) आवश्यकतानुसार चयन समिति की बैठकें कुलपति के निर्देशन पर कुलसचिव द्वारा आहूत की जायेंगी।
- (9) चयन समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति, समिति के कुल नियुक्त सदस्यों का 1/2 (एक/दो) होगी, उसमें न्यूनतम एवं वाह्य विशेषज्ञ आवश्यक है।
- (10) चयन समिति की संस्तुतियों एवं व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष के अनुमोदन पर, कुलसचिव नियुक्ति की निबंधन व शर्तों समाहित नियुक्ति आदेश जारी करेगा।
- (11) विश्वविद्यालय के सभी अन्य अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के प्रकार एवं प्रकृति, परिलब्धियाँ, नियुक्ति की निबन्धन व शर्तें ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों में प्राविधानित हों।
- (12) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु ऐसी होगी जैसे अध्यादेशों में प्राविधानित की जाये।
- (13) कुलपित, व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से किसी अन्य अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी एवं अन्य कर्मचारी की सेवा उसकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त ऐसे समय तक तथा ऐसे निबंधन और शर्तों पर विस्तारित कर सकेगा जैसा कि व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जाये।
- (14) अन्य अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जो कुलसचिव के नियंत्रणाधीन में रखी जायेगी और

- उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जायेगी जिसे वह हस्ताक्षरित कर उसमें दिये गये सभी निबंधनो व शर्तों की पावती तथा स्वीकृति देगा।
- (15) विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक कर्मियों और प्रशासनिक कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा अकांउट पेयी चैक द्वारा किया जाएगा।
- (16) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि शैक्षणिक वर्ष के दौरान अध्यापक की कोई रिक्ति नहीं हो। किसी आकस्मिकता के होने पर, रिक्त शैक्षणिक पदों को भरने के लिए तदर्थ अध्यापकों की नियुक्तियां कुलपित द्वारा गठित आतंरिक चयन सिमित द्वारा अल्पाविध जो 01 (एक) वर्ष से अधिक की नहीं होगी, के लिये की जा सकेंगी।
- (17) नियमित नियुक्ति के लिये न्यूनतम 01 (एक) वर्ष की परिवीक्षा काल होगा जिसे असंतोषजनक प्रदर्शन की स्थिति में अधिकतम 01 (एक) और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। प्रथम वर्ष की समाप्ति से पूर्व, यदि विशिष्ट आदेश द्वारा स्थायी नहीं किया गया है, परिवीक्षा अविध 01 (एक) और वर्ष के लिए स्वतः विस्तारित हो जायेगी।
- (18) छात्र एवं विश्वविद्यालय हित में समस्त शैक्षणिक कर्मियों को अतिरिक्त दायित्वों का, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा सौंपे जायें, निर्वहन करने की सहमति देनी होगी।
- (19) अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी स्वहस्ताक्षरित लिखित त्याग—पत्र नियुक्ति प्राधिकारी को संबोधित कर उसकी नियुक्ति की निबंधन व शर्तों के अनुरुप नोटिस देकर अपने पद का त्याग कर सकेगा।
- (20) विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों को उनके रोजगार के उददेश्य से, व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के अधीन माना जायेगा। इस प्रकार सेवा समाप्ति, निष्कासन, हटाने, त्याग—पत्र पर सेवा मुक्ति या किसी भी कारण से रोजगार समाप्ति की दशा में सेवा की निरन्तरता के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
- (21) विश्वविद्यालय, बाह्य सेवा प्रदाताओं को भी संलग्न कर सकेगा। ऐसे बाह्य सेवा प्रदाताओं या उनसे नियुक्त व्यक्ति विश्वविद्यालय के कर्मचारी होने का दावा नहीं कर सकेंगे।

### अध्याय – चौदह

विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

विश्वविद्यालय के
अधिकारियों,
शैक्षणिक कर्मियों,
प्रशासनिक
कर्मियों तथा अन्य
कर्मचारियों के
विरुद्ध
अनुशासनात्मक
कार्यवाही
- , ,
<b>ि</b> धारा–27(ढ) और

14.01

14.02

[धारा—27(ढ) और धारा—34(2)]

- (1) विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी सदा अनन्य सत्यनिष्ठा और लगन से सेवा करेंगे और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करेंगे। आचार संहिता के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन को परिनियमों के अर्थान्वयन में कदाचार / अनुशासनहीनता समझा जायेगा।
- (2) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों व अन्य कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी ऐसा होगा जैसा अध्यादेशों में प्राविधानित हो।

विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को निम्नलिखित एक या अधिक आधारों पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी के द्वारा अध्यादेशों में विहित प्रक्रियाओं के आधार पर उस पर जुर्माना लगाया जा सकेगा, उसे दंडित, निलंबित, बर्खास्त अथवा सेवा से निष्कासित किया जा सकेगा:—

- (1) जानबूझकर दायित्वों की अवहेलना करना;
- (2) अवज्ञा, कदाचार या असंयम;

- (3) सेवा संविदा का उल्लंघन;
- (4) नियुक्ति की किसी भी शर्त का उल्लंघन;
- (5) दायित्वों के निर्वहन में विफलता या अक्षमता;
- (6) विश्वविद्यालय की आचार संहिता के एक या अधिक खण्डों या प्राविधानों का उल्लंघन;
- (7) विश्वविद्यालय की अवकाश नीति के एक या अधिक खण्डों या प्राविधानों का उल्लंघन;
- (8) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में या विश्वविद्यालय द्वारा सोंपे गये किसी कार्य में बेईमानी;
- (9) कपटपूर्ण आचरण;
- (10) किसी फौजदारी अपराध या चारित्रिक अद्यमता से सम्बद्ध किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष—सिद्ध होने पर;
- (11) पद को प्राप्त करने के लिए कपटपूर्ण / झूठी सूचना का प्रस्तुत किया जाना;
- (12) शारीरिक या मानसिक अस्वस्थता;
- (13) पद की समाप्ति;
- (14) सेवा का परित्याग 08 (आठ) दिन से अधिक अवधि के लिए बिना पूर्व अनुमोदन के लगातार सेवा से अनुपस्थित रहना या पूर्वनिर्धारित स्वीकृत अवकाश अवधि के उपरान्त 08 (आठ) दिन से अधिक बिना अग्रेतर अनुमोदन के, अनुपस्थित रहना; तथा
- (15) विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी या छात्र के खिलाफ यौन उत्पीडन के मामले में दोषी पाया जाना।

कदाचार के लिए दण्ड / जुर्मानाः

14.03

- (1) जांच / विवेचना के उपरान्त, अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी को, जिसे कदाचार के लिए दोषी पाया गया हो, कदाचार की गम्भीरता के अनुरूप निम्न प्रकार से दण्डित किया जायेगा:--
  - (क) लघु दण्डः
    - (i) चेतावनी;
    - (ii) जुर्माना; तथा
    - (iii) नुकसान की राशि की वसूली।
  - (ख) बृह्द दण्डः
    - (i) संचयी प्रभाव के साथ या बिना, किसी विशिष्ट अवधि के लिए वेतनवृद्धि को रोकना;
    - (ii) वेतनवृद्धि पर रोक;
    - (iii) निचले पद, निचली श्रेणी या निचले वेतनमान पर पदावनति; तथा
    - (iv) सेवा से हटाना / बर्खास्त करना।
  - (ग) दण्ड का आदेश संबंधित अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी को लिखित रूप में संप्रेषित किया जायेगा।

		(2) दिये जाने वाले दण्ड के संबंध में अनुशासनात्मक प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा किन्तु व्यथित को अपील करने का अधिकार होगा।
	14.04	(1) किसी व्यथित अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी या कर्मचारी को किसी दण्डात्मक आदेश के विरुद्ध निम्न परिभाषित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा:—
		(क) कुलपित द्वारा पारित दण्डात्मक आदेश की दशा में कुलाधिपित अपीलीय प्राधिकारी होगा। (ख) कुलाधिपित द्वारा पारित दण्डात्मक आदेश की दशा में अध्यक्ष, व्यवस्थापक मण्डल अपीलीय प्राधिकारी होगा।
		(2) दण्डात्मक आदेश के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।
	14.05	विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा अध्यापकों सहित कर्मचारियों के मध्य अनुशासन को विनियमित तथा लागू करने हेतु विश्वविद्यालय का व्यवस्थापक मण्डल अध्यादेशों की रचना करेगा।
		। अध्याय — पन्द्रह
विश्वविद्याल	ाय एवं च	उसके अधिकारियों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों के मध्य विवादों का समाधान; शिकायत निराकरण
विश्वविद्यालय एवं उसके अधिकारियों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों के मध्य विवादों का समाधान [धारा–27(ङ), धारा–34(3) और धारा–35]	15.01	(1) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की शिकायतों, यदि हों, के निष्पादन हेतु प्रबंध मण्डल एक समुचित शिकायत निराकरण प्रणाली की स्थापना करेगा। इस प्रयोजन के लिए एक शिकायत निराकरण प्रकोष्ठ होगा, जिसकी अध्यक्षता कुलपित द्वारा नामित विरष्ठ प्राध्यापक करेगा।
		(2) व्यथित कर्मचारी, शिकायत निराकरण प्रकोष्ठ के विकल्प का प्रयोग करने के पश्चात्, स्वयं के विरूद्ध किये गये निर्णय के विरोध में निर्णय के 10 (दस) दिनों के भीतर, प्रबंध मण्डल को अपील योजित कर सकेगा। इस संबंध में प्रबंध मण्डल का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।
		(3) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की कोई भी शिकायत / विवाद समुचित प्राधिकारी द्वारा साधारणतयः इस संदर्भ की तारीख से 03 (तीन) महीने के भीतर निर्णित किया जायेगा।
		(4) व्यवस्थापक मण्डल, प्रबंध मण्डल की संस्तुति पर, अध्यापकों तथा कर्मचारियों की शिकायतों के निराकरण व विवादों के समाधान हेतु संरचना एवं प्रणाली विहित करने के लिए उपयुक्त अध्यादेशों की रचना करेगा।

### अध्याय – सोलह

# स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन

स्थायी विन्यास
निधि, सामान्य
निधि और विकास
निधि का संचालन

[धारा–27(ख) और धारा–45]

- 16.01 निम्नलिखित निधियां व्यवस्थापक मण्डल के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन वित्त समिति द्वारा अनुरक्षित की जायेंगी:—
  - (1) स्थायी विन्यास निधिः विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नाम से प्लेज्ड 05 (पांच) करोड़ रूपये की एक स्थायी विन्यास निधि राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी के रूप में स्थापित की जायेगी, जिसकी अवधि 05 (पांच) वर्ष की होगी, उसके उपरान्त पुनः 05 (पांच) वर्ष के लिए नवीनीकरण कराया जायेगा।

# (2) सामान्य निधिः

- (क) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी; अर्थात :—
  - (i) विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले सभी शुल्क;
  - (ii) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;
  - (iii) सामान्य निधि के प्रयोजन के लिए प्रायोजित संस्था द्वारा किये गये सभी अंशदान; तथा
  - (iv) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान / दान।
- (ख) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्तक व्ययों के लिए किया जायेगा तथापि सामान्य निधि में अधिशेष धनराशि को, जैसा प्रायोजित संस्था का निर्णय हो, उपयोग में लाया जा सकेगा।

# (3) विकास निधिः

- (क) विश्वविद्यालय द्वारा एक विकास निधि भी स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित निधियां जमा की जायेंगी; अर्थात् :-
  - (i) विकास शुल्क, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाये;
  - (ii) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशिः
  - (iii) विकास निधि के प्रयोजन के लिए प्रायोजित संस्था द्वारा किये गये सभी अंशदान;
  - (iv) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान; तथा
  - (v) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।
- (ख) समय—समय पर विकास निधि में जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए तथा जैसा प्रायोजित संस्था का निर्णय हो, उपयोग में लाया जा सकेगा।

	<u> </u>	अध्याय — सत्रह		
विश्वविद्यालय का विघटन				
विश्वविद्यालय का विघटन	17.01	(1) अधिनियम की धारा 49 की उपधारा 1 के प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के विघटन के प्रस्ताव की प्राप्ति पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन की तिथि विनिश्चित करेगी;		
[धारा-49(4)]		(2) राज्य सरकार द्वारा विघटन की तिथि तय करने के पश्चात् विश्वविद्यालय के किसी भी पाठयक्रमों / कार्यक्रमों में कोई भी प्रवेश नहीं किया जायेगा;		
		(3) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी व अधिकारी अन्तिम बैच विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हो जाने तक कार्यरत् रहेंगे;		
		(4) विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों से संग्रहित शुल्क एवं किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त धनराशि को विश्वविद्यालय के खातों में जमा किया जाता रहेगा;		
		(5) विश्वविद्यालय से छात्रों के अन्तिम बैच के उत्तीर्ण होने की तिथि से विश्वविद्यालय विघटित माना जायेगा एवं अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत, प्रायोजित संस्था द्वारा विश्वविद्यालय को सौंपी गयी सम्पदा, चल एवं अचल सम्पत्ति प्रायोजित संस्था को हस्तांतरित एवं उसमें निहित हो जायेगी; तथा		
		(6) विश्वविद्यालय का विघटन होने पर, विश्वविद्यालय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियां, चल एवं अचल सम्पत्तियां अथवा प्रायोजित संस्था द्वारा विश्वविद्यालय को सौंपी गयी सम्पदा, अधिनियम की धारा 49 के प्राविधानों के अधीन, प्रायोजित संस्था को हस्तांतरित एवं उसमें निहित हो जायेगी।		
		अध्याय – अठ्ठारह		
		विविध		
भविष्य निधि एवं पेंशन [धारा–36]	18.01	विश्वविद्यालय अपने पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों के लाभ के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना की सुविधा प्रदान करेगा जैसा कि व्यवस्थापक मण्डल द्वारा, प्रबंध मण्डल तथा वित्त समिति के परामर्श से, लागू मानदंडों के अनुसार निश्चित् किया जाये।		
विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद [धारा–27(ण)]	18.02	यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के सदस्य के रूप में विधिवत नामित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय इस संबंध में अंतिम होगा। व्यवस्थापक मण्डल के संबंध में व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।		
समितियों / उपसमितियों का गठन [धारा–27(ण)]	18.03	विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी शक्तियों के साथ उसके कार्य संचालन, कार्यनिर्वहन में जैसा वह प्राधिकारी ठीक समझे, कि उसके क्षेत्राधिकार के अधीन किसी मामले की जांच रिपोर्ट या परामर्श के लिए आवश्यक है, कोई समिति/उप—समिति गठित कर सकेगा।		

शक्तियों का प्रत्यायोजन [धारा–27(ण)]	18.04	अधिनयम एवं परिनियमों के प्राविधानों के अधीन, विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी अपनी शक्तियों को, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी या समिति / उप—समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगा;  परन्तु यह कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उस अधिकारी या प्राधिकारी का रहेगा जो ऐसी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर रहा है।
रिक्ति के कारण कार्य / कार्यवाही का अविधिमान्य न होना [धारा–27(ण)]	18.05	विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी निकाय या किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अवैध नहीं होगी कि उस प्राधिकारी / निकाय / समिति के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।
विशेष आमंत्रित [धारा–27(ण)]	18.06	विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय को, आवश्यकता पड़ने पर, अपनी बैठक में भाग लेने के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करने की शक्ति होगी। इस प्रकार का विशेष आमंत्रित सदस्य, प्राधिकारी या निकाय की बैठक में विषय वस्तु पर अपनी विशेष राय देने के लिए भाग लेगा एवं तत्पश्चात् बैठक से विरत होगा। ऐसे विशेष आमंत्रित सदस्य को मतदान की शक्ति नहीं होगी।
प्राधिकारी की बैठक की कार्यवाही [धारा–27(ण)]	18.07	<ul> <li>(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी की बैठक की कार्यवाही प्राधिकारी की बैठक के सचिव द्वारा अभिलिखित की जायेगी एवं बैठक के सचिव एवं अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।</li> <li>(2) यदि प्राधिकारी का सचिव, प्राधिकारी की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ होगा तो, अध्यक्ष द्वारा प्राधिकारी के सदस्यों में से एक सदस्य को केवल उक्त बैठक के लिए सचिव नियुक्त किया जायेगा।</li> <li>(3) प्राधिकारियों की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत की एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि कुलसचिव द्वारा व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष तथा कुलाधिपित को प्रेषित की जायेगी।</li> </ul>
परिचालन द्वारा कार्य [धारा–27(ण)]	18.08	परिस्थिति अनुसार यदि आवश्यक हो, तो विश्वविद्यालय के प्राधिकारी का कार्य, संबंधित प्राधिकारी के अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से, सभी प्रासांगिक कागजातों एवं उचित संकल्प को अपने सदस्यों के मध्य परिचालित कर सम्पादित किया जायेगा। ऐसा परिचालित किया गया व अनुमोदित संकल्प उतना ही प्रभावी एवं बाध्यकारी होगा जैसे कि यह संकल्प प्राधिकारी की बैठक में पारित हुआ हो। इस प्रकार पारित संकल्प को प्राधिकारी की आगामी बैठक में संपुष्टि हेतु रखा जायेगा।
त्याग—पत्र [धारा—27(ण)]	18.09	किसी प्राधिकारी का कोई सदस्य पदेन सदस्यों को छोड़कर प्राधिकारी के सचिव को संबोधित पत्र प्रस्तुत कर त्याग–पत्र दे सकेगा और ऐसा त्याग–पत्र प्राधिकारी के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करते ही प्रभावी हो जायेगा।
अनर्हता [धारा–27(ण)]	18.10	(1) किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारियों के सदस्य के रूप में चुना जा रहा हो या उसके सदस्य होने से अयोग्य ठहराया जा सकेगा यदि वहः—

Γ		
		(क) मानसिक रूप से अस्वस्थ हो;
		(ख) दिवालिया घोषित हो;
		(ग) किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष—सिद्ध हो;
		(घ) यदि चिकित्सकीय रूप से अयोग्य हो; तथा
		(ङ) यदि वह संबंधित प्राधिकारी की, जिसका वह सदस्य (पदेन सदस्यों के अतिरिक्त) है, 03 (तीन) निरंतर बैठकों में उपस्थित न हो।
		(2) उपर्युक्त उल्लेखित खण्ड एक (1) के संबंध में यदि किसी व्यक्ति की अनर्हता से संबंधित कोई ऐसा विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे मामले को कुलपित द्वारा व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष को संदर्भित किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।
आकरिमक रिक्तियों का भरा जाना [धारा–27(ण)]	18.11	विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या कोई सिमति / निकाय के (पद्न सदस्यों के सिवाय) सदस्यों की आकिस्मिक रिक्तियां, ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति जिसके द्वारा वह सदस्य नियुक्त या नामित किया गया था, यथाशीघ्र सुविधाजनक समय पर भरी जायेंगी और इस प्रकार से आकिस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामित व्यक्ति उस प्राधिकारी या सिमति का अविशष्ट अविध के लिए सदस्य होगा, जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त या नामित किया गया है, सदस्य रहा होगा।
अन्य विश्वविद्यालयों या शिक्षण संस्थानो को अनुदान का आंवटन एवं संवितरण [धारा–8(2)]	18.12	विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल किसी अन्य विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान को विभिन्न शिक्षण एवं अनुसंधान के प्रायोजनों हेतु अनुदान के आंवटन एवं संवितरित करने की शक्ति होगी।
स्व प्रकटीकरण से संबंधित उपबंध [धारा–27(ण)]	18.13	पारदर्शिता और स्व प्रकटीकरण मानदंडों को सुनिश्चित् करने के उद्देश्य से प्रायोजित संस्था, आधारभूत सुविधाओं, शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों आदि का विस्तृत विवरण, व संपर्क विवरण विश्वविद्यालय, जैसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपेक्षित हो, अपनी वैबसाईट के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।
उपाधियों, डिप्लोमा एवं प्रमाण–पत्रों का प्रत्याहरण	18.14	ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान की जा चुकी हैं, प्रबंध मण्डल, विद्या परिषद् की संस्तुति पर, निम्नलिखित कारणों से इन विशिष्टताओं को प्रत्याहरित कर सकेगा:-
[धारा—27(ण)]		(1) झूठी सूचना प्रस्तुत करना, तथ्यों को छिपाना, विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम / कार्यक्रम में प्रवेश लेते समय हेराफेरी से तथ्यों को बदल देना;
		(2) प्रवेश लेते समय अथवा आगामी परीक्षाओं में प्रतिरूपण;
		(3) शोध ग्रन्थ / शोध सारांश में अपुनरुत्पादनीय (इरिप्रोडयूसिबल) परिणाम या साहित्यक चोरी का प्रयोग (प्लेगियेराइजेशन);
		(4) विश्वविद्यालय के देयों के भुगतान में जानबूझ कर चूक; तथा
		(5) विद्या परिषद् द्वारा निर्धारित कोई अन्य कारण।
		·

दीक्षान्त समारोह [धारा–27(ण)]	18.15	(1) विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष में एक बार उपाधियों, डिप्लोमाओं एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को प्रदान करने हेतु दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया जायेगा। दीक्षान्त समारोह की तिथि व समय व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विद्या परिषद् की संस्तुति से विनिश्चित की जायेगी।
		(2) कुलाधिपति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा विशेष दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया जा सकेगा।
		(3) दीक्षान्त समारोह की प्रक्रिया व नवाचार ऐसे होगें जैसा अध्यादेशों में प्राविधानित किये जायें।
		(4) कुलाध्यक्ष के अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपित द्वारा की जायेगी। कुलाध्यक्ष एवं कुलाधिपित दोनों की अनुपस्थिति में प्रति—कुलाधिपित, यदि कोई हो, दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा। तीनों (कुलाध्यक्ष, कुलाधिपित एवं प्रति—कुलाधिपित) की अनुपस्थिति में कुलपित दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।
		(5) यदि विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारोह का आयोजन करने में असमर्थ होगा, तो उपाधि, डिप्लोमा एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं संबंधित अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रुप से सौंपी जा सकेंगी या पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की जा सकेंगी।
क्षेत्राधिकार (ज्यूरिसडिक्शन) [धारा–27(ण)]	18.16	विश्वविद्यालय के मामलों से संबंधित सभी विवाद, उत्तराखण्ड राज्य के माननीय उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विषय होगा।

संकेतनः अधिनियम के संयोजन में ये परिनियम पढ़े जायेंगे।